खण्ड-206, अंक-4
गुरूवार, 22 श्रावण, शक संवत् 1881
(13 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १३ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवर्रासिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर.
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री

नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पद्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बूजबासीलाल, श्री
बेजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगतीसिंह विशारद, श्री
भगतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
राम कुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वंशरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री

शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १३ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुछ जिलों में लेखपालों को बढ़ा मंहगाई भत्ता न मिलने की शिकायत

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०० रुपये तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में साढ़े सात रुपया मासिक वृद्धि करने का निर्णय प्रदेश के लेखपालों पर लागू नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—वेतन में वृद्धि करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ अतएव लेखपालों पर निर्णय लागू होने या न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ५ रुपये और इस वर्ष ढाई रुपये १०० रुपये से कम वेतन पाने वालों के लिये वृद्धि करने का आदेश सरकार द्वारा हुआ ह और बजट में भी इस तरह का तखमीना था?

न्याय मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—यह डियरनेस एलाउन्स के बारे में था। एक बार ५ बढ़ा दिये गये और ढाई फिर बढ़ा दिये गये तो साढ़े सात हो गये और इस प्रकार साढ़े उन्नीस रुपये भत्ता हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—ढाई रुपये इस साल जो बढ़ोत्तरी हुई है, क्या लेखपाल को यह बढ़ोत्तरी नहीं मिलती है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—साढ़े उन्नीस रुपये वे पाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार पता लगाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में तथा आसपास के जिलों में ढ़ाई रुपया जो बढ़ोत्तरी हुई है वह नहीं दी गयी है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—कोई रिप्रेजेन्टेशन करेगा तो हम उसे जरूर देखेंगे।

श्री भवगतीसिह विशारद (जिला उन्नाव)—जिन क्षेत्रों में इन ढाई रुपये का प्रभाव पड़ने वाला था उन सभी जगहों पर संबंधित आदेश भेज दिये गये ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—खयाल तो मेरा यही है कि भेज दिये गये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ढ़ाई रुपये की वृद्धि की गयी है २०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिये, तो म्युनिसिपल कर्मचारियों को भी यह वृद्धि दी गयी या नहीं ? अगर दी गयी, तो कब दी गयी है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—दी गयी है, उन सबको, लेकिन कब, यह नहीं मालूम है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—विधायकों के इस कथन को सूचना मान कर क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि ढाई रुपये की बढ़ोत्तरी अभी लेखपालों को नहीं दी गई है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—अब यह सूचना हम सारे सूबे में कहां तक भेजते रहेंगे ? जिन जिन को नहीं मिला है अगर वे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देख लेंगे।

दोहरीघाट में घाघरा तथा मऊ में टोंस पर पुल निर्माण योजना

**२—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट में घाघरा पर तथा मऊ (आजमगढ़) में टोंस के टूटे पुल के स्थान पर पुलों के निर्माण कार्य की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)—दोहरी घाट में घाघरा पर पक्के पुल का निर्माण कार्य आर्थिक संकट के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा नेशनल हाइवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना से निकाल दिय गया है। मऊ में टोंस नदी के पुल का निर्माण कार्य जो सरकार द्वारा रोक दिया था अब वर्षा के पश्चात बाढ़ के पानी की सतह कम होने पर पुनः आरम्भ किया जायगा।

श्री झारखंडेराय—क्या निर्माण मंत्री जी बतलायेंगे कि जब यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना से निकाल दिया गया है तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पुल के लिये जाने की कोई सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—सम्भावना है इसके लिये जान की।

श्री झारखंडेराय---मऊ का जो पुल टूट गया है उसकी जगह पर जो पुल बनने वाला है उसमें अब तक कुछ कार्य हो चुका है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री महावीरसिंह---बरसात बाद कार्य आरम्भ होगा ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि जिला परिषद आजमगढ़ से और जनता की तरफ से भी कुछ ऐसे प्रस्ताव सरकार के पास भेजे गये हैं कि टूटे हुए पुल के पश्चिम तरफ शहर के करीब पुल बनाया जाय और जो स्थान चुना गया है वह चूंकि शहर से बहुत दूर है और उसकी वजह से कोपागंज ८ मील पड़ जाता है इसलिये वहां न बनाया जाय ?

श्री महावीरसिंह---गांव सभा के प्रधानों की तरफ से प्रस्ताव आये हैं। लेकिन जिला परिषद् की ओर से भी कोई प्रस्ताव आया है, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री झारखंडेराय---उसके ऊपर सरकार ने क्या निश्चय किया ?

श्री महावीरसिंह---निर्णय यही किया कि जो स्थान पहले तय किया गया था, उसी जगह बनेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि दोहरी घाट के पुल की योजना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गयी थी वह कितने रुपये की थी ?

श्री महावीरसिंह---९१.४ लाख रुपये ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में से इस योजना को निकाल देने का क्या कारण है ?

श्री महावीरसिंह---धनाभाव ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने कन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है कि बनारस से गोरखपुर तक एक रेलवे लाइन खोली जाय, वे दोहरी घाट का पुल, रेल कम-रोड पुल बनवायेंगे, ताकि सरकार को दोहरा खर्चा न पड़े ?

श्री महावीर सिंह---यह तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में है, तब इन सब बातों पर खयाल किया जायगा ।

सेशन्स जज, लखनऊ की अदालतों के लिए वकीलों का पेनल

****३---श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में जिला जज की अदालत में सरकार की ओर से फौजदारी के मुकदमों को करने के लिये ७ वकीलों का पेनल बनाने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---लखनऊ में ६ सेशन्स जज की अदालतें काम कर रही हैं । इन अदालतों में सरकार की ओर से फौजदारी का काम करने के लिये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउन्सेल (क्रिमिनल) के अतिरिक्त ७ वकीलों का पेनल बनाना आवश्यक समझा गया ।

****४---श्री त्रिलोकीसिंह**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पेनल में मनोनीत करने के लिये किन-किन वकीलों की सिफारिश जिला जज तथा जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा सरकार के पास हाल में आई थी, उनमें क्या क्रम था और उनमें से किसे मनोनीत किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—गत जुलाई में जिला जज और जिलाधीश ने पेनल के मौजूदा सात वकीलों में से पांच की कार्यावधि बढ़ाने की सिफारिश की थी और चूंकि दो वकीलों की आयु ६० वर्ष की हो चुकी थी उनके स्थान में दो नये वकीलों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। एतदर्थ उन्होंने कुमारी राज मोहिनी स्याल और सर्वश्री उमापत मिश्रा, पी० एन० माथुर, मजहर हुसेन, शान्ति प्रकाश और गुरु सरन लाल श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए इसी क्रम में सिफारिश की थी। इनमें से सर्व श्री उमापत मिश्रा और मजहर हुसेन की नियुक्ति उनके परिपक्व अनुभव तथा पद के लिये उनकी उपयुक्तता के कारण स्वीकार की गई।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रदेश के और जिलों में ५ वकीलों का पेनल है तो लखनऊ के साथ यह रियायत किस आधार पर की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५६ के पहले ५ यहां भी थे लेकिन उसके बाद जब काम बढ़ गया तो सात किये गये।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जज और मजिस्ट्रेट की यूनानिमस राय के बाद भी कौन से ऐसे आधार थे जिनके कारण कुमारी राज मोहिनी स्याल के मुकाबले श्री उमापत मिश्र तथा श्री मजहर हुसेन को स्थान दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुमारी राज मोहिनी स्याल को केवल ५ वर्ष का तजुर्बा था जब कि श्री मजहर हुसेन को ८ वर्ष का और श्री उमापत मिश्र को ९ वर्ष का तजुर्बा था। उनसे ज्यादा सीनियर और तजुरबेकार ये लोग हैं इसलिये इनको लिया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लखनऊ में ५ की जगह पर अब ७ वकील हैं तो क्या इसी अनुपात से जरायम बढ़ गये हैं या परवरिश के लिये इन लोगों की तादाद बढ़ा दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—जरायम बढ़े हों या न बढ़े हों, काम जरूर बढ़ गया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इन वकीलों की नियुक्ति में केवल अनुभव की अवधि का माप दंड है या कुछ और भी माप दंड है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तजुरबा है, योग्यता है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अन्य योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने जिनके संबंध में लिखा था तो फिर केवल तजुर्बे वाले मामले को क्यों देखा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अफसरान की महज सिफारिश होती है, बाइंडिंग नहीं होती है और राजमोहिनी के बारे में उनकी राय गलत थी।

पूर्वी जिलों के डी० एस० ओज० को लखनऊ बुलाना

****५—श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्य संकट को हल करने के लिये इधर क्या लखनऊ में प्रदेश के क्षेत्रीय फूड कन्ट्रोलर्स (Zonal Food Controllers) की कोई मीटिंग हुई थी ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं।

**६--श्री मुक्तिनाथराय--यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनका ध्यान, "गवर्नमेंट प्रिकौशन अगेन्स्ट फूड क्राइसिस इन ईस्ट यू० पी०" कानपुर की खबर जो ७-८-५९ के नेशनल हेरेल्ड में प्रकाशित हुई है, गया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के जोनल फूड कंट्रोलर्स की मीटिंग लखनऊ में ४, ५ अगस्त को हुई है जिसमें अभावग्रस्त जिलों में उत्पन्न विशेष परिस्थिति पर विचार किया गया और आवश्यक कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जोनल फूड कंट्रोलर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, शायद यह गलत छप गया है । केवल पूर्वी जिलों के डी० एस० ओज० को जानकारी प्राप्त करने के लिये बुलाया गया था ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को पता है कि अभावग्रस्त जिले बलिया, बस्ती, देवरिया और आजमगढ़ में भयंकर रूप से सूखा पड़ा है और स्थिति असाधारण हो गई है तो सरकार उसका कैसे मुकाबला करेंगी ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--परिस्थिति असाधारण नहीं हुई है परन्तु फिर भी सरकार ने समुचित व्यवस्था, जहां तक अन्न के वितरण का सवाल है, कर ली है और लगभग जितनी दूकानें पिछले साल चल रही थीं उतनी ही खोलने के आदेश दिये गये हैं और खुल भी गई होंगी ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जोनल आफिसर्स ने जो निर्णय किया था उस पर मंत्री जी ने बाद में विचार करना छोड़ दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैंने कहा कि जोनल आफिसर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गेंदासिंह--क्या यह सही है कि इन अफसरान ने खबर दी कि खरीफ की फसल पिछले साल से ज्यादा खराब है और अनाज की हालत ज्यादा खराब हो गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--उन्होंने इस तरह की सूचना नहीं दी बल्कि कुछ इलाकों में खरीफ की फसल अच्छी दिखाई दे रही है और बाद में जो फसल बोई गई उसका विवरण निकल रहा है । बाकी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन पूर्वी जिलों के डी० एस० ओज० आये थे और किसके बारे में उन्होंने सूचना दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सूचना देने नहीं आये थे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रीजनल फूड कंट्रोलर्स की मीटिंग नहीं थी, केवल सप्लाई विभाग के आफिसर्स को बुलाया गया था कि चीनी कैसे बांटी जाय और आटा कैसे उठाया जाय । देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती के डी० एस० ओज० को बुलाया गया था ताकि उनको समझा दिया जाय कि इस तरह से काम करें ।

श्री झारखंडेराय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डी० एस० ओज० ने ऐसी सूचना दी कि पूर्वी जिलों में पानी न बरसने के कारण लेट पैडी के रोपने का काम नहीं हुआ है और अन्न संकट पैदा हो गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मैं कह चुका हूं कि ऐसी कोई सूचना हमको नहीं दी गई । मैंने स्वयं उनको बुलाया था । हम भाव देख रहे थे और ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं है । लेकिन फिर भी यदि कोई कठिनाई सामने आये उसका मुकाबला करने के लिये, उनको सावधान करने के लिये बुलाया था । उनको यह इंस्ट्रक्शन देने थे कि किस तरह से शहरों में और देहातों में चीनी को बांटा जाय । इसलिये उनको बुलाया गया था ।'

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी पूर्वी जिलों में कम वर्षा के कारण जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसका पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न भेज दीजियेगा ।

केन्द्र से प्राप्त खाद्यान्न

**७---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल प्रान्तीय सरकार ने कितने गल्ले की मांग केन्द्रीय सरकार से की है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९५९ तक कवाल (KAVAL) तथा मेरठ और बरेली नगरों के लिये केन्द्रीय सरकार से १,२७,८७१ टन गेहूं लिया गया । इसके अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों के लिये २,१२,००० टन खाद्यान्नों की मांग की गई ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जितने गल्ले की मांग केन्द्रीय सरकार से की है क्या उतना गल्ला प्रदेश के अन्न संकट को दूर करने के लिये पर्याप्त होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो आपने जिन महीनों की बात कही थी उन महीनों का विवरण है । यह तो बट चुका है जुलाई तक ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन महीनों का उन्होंने तजकिरा किया है, उन महीनों में जितना गल्ला उन्होंने केन्द्रीय सरकार से मांगा था उतना पूरा का पूरा उनको मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कम से कम पूर्ति तो हो ही गई । जितनी जरूरत थी उतना आ गया ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १,२७,८७१ टन में से कितना गल्ला केन्द्रीय सरकार से मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---टोटल वहीं से तो मिला है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १,२७,८७१ टन गल्ला इसलिये लिया गया कि प्रान्त में यहां जो गल्ला सीज किया गया था, वह पूर्ति नहीं कर रहा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यहां तो सीज नहीं हुआ ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आंकड़े अभी आपने सम्मानित सदस्यों के सामने प्रस्तुत किये, उतना गल्ला जो मंगाने की बात कही गई है उसके बारे में रीजनल फूड कंट्रोलर्स से राय ली गई या स्वयं मंत्री जी ने अपने मन से लिखा कर भेज दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो सब चीजें विचार होने के बाद होती हैं । जहां से पूछने की आवश्यकता होती है वहां से पूछा जाता है । जहां से जरूरत नहीं होती वहां से नहीं पूछा जाता है ।

आजमगढ़ जिले में सस्ते अनाज की दुकानें कम करने का कथित आदेश

**८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में चलने वाली सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की संख्या को १५ जुलाई, सन् १९५९ के बाद कम कर देने का आदेश प्रादेशिक सरकार ने क्यों दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१५ जुलाई, १९५९ के बाद सस्ते गल्ले की दुकानें कम करने के कोई आदेश नहीं दिये गये ।

****९---श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जिला खाद्य परामर्शदात्री समिति, आजमगढ़ का १०० दुकानों के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव २७-६-५९ का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां । ८ जुलाई, १९५९ को ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि १५ जुलाई, १९५९ को खाद्य सचिव द्वारा द्रुतगामी पत्र भेजा गया था कि २०० दुकानों के बदले आजमगढ़ जिले में केवल १४६ दूकानें रखी जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बन्द करने का कभी कोई आदेश कहीं नहीं दिया गया । २५ प्रतिशत से जहां पर आफ टेक गिर जाय वहां पर दूकानें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं । उसके बाद खाद्य समिति के सदस्यों की सलाह से यह बात भेजी गई कि बजाय इसके कि पंचायती अदालतों के पीछे दुकानें खोली जायं, १५ या २० हजार आबादी के बीच में एक दूकान खोली जाय । वही वहां लिख दिया गया कि १५-२० हजार की आबादाँ पर जितनी दुकानें आती हैं, उतनी दुकानें खोली जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री फिर से स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि केवल १४६ दुकानें ही चालू करने का आदेश था डेफिनिट ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने कह तो दिया कि जितनी पन्द्रह और बीस हजार की आबदी के अन्दर आती हैं उतनी खोलने का आदेश दिया था कि इतनी खोल दो । अब जब लोगों की मांग हुई कि लोगों की हालत वहां खराब है तो जितनी पिछले साल थीं उतनी खोल दीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जब खाद्य सलाहकार समिति की बैठक का प्रस्ताव २७-६-५९ का सरकार को ८ जुलाई को प्राप्त हो चुका था तो १५ जुलाई को ८ दिन बाद दुकानें कम करने का आदेश क्यों जारी किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---शायद यह स्पष्ट नहीं हो रहा है । दुकानें बन्द करने का आदेश कोई नहीं दिया गया । यह दिया गया कि जितनी उन्होंने सिफारिश की थी उतनी खोल दो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि २७-६-५९ को खाद्य समिति ने प्रस्ताव भेजा था कि २०० .....

श्री अध्यक्ष---आप ऐसा करें कि २७-६-५९ इस तरह से न कहकर जून, १९५९ कह दिया करें, आंकड़े न दे कर इस तरह से महीना बता दिया करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---२७ जून को सरकार के पास इस तरह का प्रस्ताव खाद्य समिति का भेजा गया था कि जो २०० दूकानें चालू हैं वे चालू रखी जायं और १०० दूकानें और बढ़ाई जायं जिसके बदले में २०० में से ५४ कम करने का आदेश क्यों दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो उस नीति के अनुसार किया जो कि सर्वत्र बरती जा रही थी ।

श्री गेंदासिंह---इन दूकानों के खोलने का या जो भी आदेश सरकार का गया उसके संबंध में फूड ऐडवायजरी कमेटी जो स्टेट लेवेल पर है उसमें कुछ विचार-विनियम हुआ या नहीं ? यदि हुआ, तो क्या तय हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कोई विचार नहीं हुआ था ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शक्कर की वितरण व्यवस्था

१०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहात के रहने वालों को शक्कर का वितरण किस प्रकार किये जाने की योजना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिलाधीशों को आदेश भेजा जा चुका है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार यथोचित दूरी पर सस्ते शक्कर की दूकानें खोलें या फुटकर बिक्रेता नियुक्त करें ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी दूरी पर और कितनी आबादी पर शक्कर की दूकान होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यथोचित शब्द का मैंने प्रयोग किया है ।

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शक्कर बेचने वालों को लाइसेंस दिया जायगा और अगर हां, तो किस प्रकार के लोगों को ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लाइसेंस होलसेल डीलर्स को दिया जाता है जो कि पिछले तीन सालों से १३७ मन के ऊपर चीनी का व्यापार करते रहे हों ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि देहातों में होलसेल डीलर नहीं होते, फिर देहात में चीनी वितरण की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वहां पर तहसील हेडक्वार्टर्स, ब्लाक्स में सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उनके द्वारा वितरित की जायगी या अगर नहीं होगा तो कोई और दूकान खोलने का प्रबन्ध जिलाधीश करेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में जो वितरण होता है गल्ले का, कोई कार्ड वगैरह वहां उसके लिये नहीं बंटे हुए हैं तो इस संबंध में क्या आदेश सरकार ने दिया है कि चीनी का वितरण किस आधार पर देहात के रहने वालों को किया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसके लिये हर जिले की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां के जो अधिकारीगण हैं वह इस बात को देखेंगे मगर आमतौर पर यह है कि जैसे हम डेढ़ सेर फी यूनिट यहां देते हैं देहात वाले भी उन हेडक्वार्टर्स पर आकर उसी हिसाब से लेते चले जायेंगे और मुझे यह आशा है कि जितनी आवश्यकता उनकी होगी उसकी पूर्ति हो जायगी ।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उचित का निर्णय सरकार द्वारा दिये गये चीनी के कोटे के आधार पर होगा या जनता की मांग के अनुसार ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें तो तीन-चार चीजें हैं, आपने दो ही को गिनाया। उसमें दूरी का भी सवाल आ सकता है जैसे पहाड़ों पर ५ मील की दूरी भी बहुत दूरी होती है, प्लेन्स में कुछ उस दूरी में अन्तर आ जाता है, फिर चीनी बहुत मुमकिन है कि बाद को कोई मांगे ही नहीं और उस का और इन्तजाम करना पड़े जबकि उसकी ज्यादा खपत न रह जाय। फिलहाल उसको मंडियों में या जहां पर पैठ लगती है उन जगहों पर वितरण करना होगा। यह तो हर जिले की अलग-अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहीं के अधिकारी करेंगे ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिस भाव से शहरों में चीनी मिलती है उसी भाव से देहातों में भी चीनी मिले ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, कोशिश इस बात की है कि जो चीनी हम शहरों में १५ आना ६ पाई के भाव से देना चाहते हैं वह किसी रूप में कितनी दूर कहीं पर भी १ रुपये से अधिक न बिके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी देहातों में शक्कर वितरण की योजना के सम्बन्ध में इस बात पर विचार करेंगे कि यह योजना तब तक पूरी तरह से लागू न की जाय जब तक कि सहकारी समिति न बन जायं और उससे सम्मति न ले ली जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह दोष पहले बतलाया जाता था कि वैकुअम क्रियेट न हो जाय। उस गलती को हम दोहराने की कम से कम हिम्मत नहीं करेंगे। हम यह चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी हो जाय और लोगों को चीनी मिलने लगे। उसमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता होगी तो हर जिले की रिपोर्ट आने पर उस वक्त हम कर लेंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जिलाधीशों को सरकार की तरफ से ऐसे आदेश भेजे गये हैं कि जो देहात की कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको प्राथमिकता दी जाय इस चीनी के मामले में ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो आम आदेश है कि सब चीजों में प्राथमिकता कोआपरेटिव सोसाइटियों को दी जाय।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या जिला स्तर पर खाद्य समिति की तरह शक्कर के वितरण के लिये भी ऐसी समिति है जो जिलाधीशों को राय दे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—खाद्य समिति है मगर जैसा मैंने अभी कहा कि हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि खाद्य समिति को बुलाने में देर हो जायगी इसलिये फौरी तौर पर सब काम चालू किया जा रहा है। उसके बाद कोई सुझाव खाद्य समिति देगी तो उसका स्वागत किया जायगा।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जहां पर सस्ते गल्ले की दूकानें नहीं हैं और होलसेलर की दुकान भी १५, १८ मील की दूरी पर है वहां पर शक्कर लेने की जरूरत पड़े तो क्या वहां के लोग होलसेलर के यहां जायेंगे या उनके लिये सरकार ने कोई और प्रबन्ध किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—दूर जगहों पर जहां अभी तक रिटेलसेलर नहीं हैं वहां नियम तोड़ कर भी हमने आदेश दे दिये हैं कि वहां पर होलसेल डीलर को ही डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज रिटेलर्स मुकर्रर कर सकती हैं चाहे ३ साल से उन्होंने कोई काम न भी किया हो।

तारांकित प्रश्न

मैनपुरी उद्योग विभाग से सहायता

*१—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी उद्योग विभाग से सन् १९५६ ई० में व सन् १९५७ ई० में कौन-कौन से उद्योगों को सहायता दी गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—चर्म शोधन, चर्मकला तथा बढ़ईगीरी को।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों को उद्योग विभाग से सहायता दी गई उन लोगों के नाम, पते क्या हैं और कितनी सहायता दी गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जिन लोगों को जनवरी, सन् ५६ से दिसम्बर, ५७ तक इस जिले में सहायता दी गई वे हैं :—

(१) गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड, सिरसागंज को १०,००० रुपये।

(२) गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति लिमिटेड, फरदपुर, सुलतानगंज को ५,००० रुपये।

(३) श्री कासिम अली, पुत्र अब्दुल अजीज खां, प्रोपराइटर, आदर्श लेदर वर्क्स, मुहम्मद हवेली, भोगांव, मैनपुरी को १,००० रुपया।

(४) श्री नियामत इलाही, भोगांव को १,००० रुपया।

(५) श्री बाबूराम, निवासी अलीपुर पट्टी को १,००० रुपया।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग से सहायता देने के लिये कोई आधार बना रखा है या जो चाहे दरख्वास्त दे दे उसको सहायता दे दी जाती है, तो वह आधार क्या है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उद्योग चलाने की क्षमता ही सहायता का आधार है। जिसमें क्षमता होती है उसको देते हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि यह रुपया जिन-जिन व्यक्तियों को दिया गया है इसकी जांच करा ली गयी है कि उन्होंने इस रुपये का उपयोग किया अथवा दुरुपयोग?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कौन करता है कि किस आदमी में उद्योग चलाने की क्षमता है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इसके लिये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थायें हैं। जिला उद्योग समिति, जिला स्तर पर देखती है जो स्टेट एड्स ऐक्ट के मातहत लोन देती है। फाइनेंस कारपोरेशन है उसकी भी एक मैनेजिंग कमेटी है जो लोन्स को देखती है। राज्य सरकार के स्तर पर भी एक कमेटी है जो लघु उद्योगों के लिये ऋण देती है, स्टेट एड्स ऐक्ट के मातहत वह कमेटी उनको देखती है। स्टेट कारपोरेशन है, वह अपनी जगह देखता है, स्टेट बैंक है, वह अपनी जगह देखता है। सारी अलग-अलग संस्थायें हैं जो इस काम को देखती हैं।

खण्ड विकास अधिकारी, मुसाफिरखाना के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*२—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में मुसाफिर खाना ब्लाक के सरकारी कर्मचारियों के कार्य के बारे में ६-८-५८ को विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के यहां जनता की तरफ से शिकायतें आई हैं?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—६-८-५८ को तो नहीं; किन्तु ३०-८-५८ को विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में खंड विकास अधिकारी, मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध जनता की ओर से भेजा गया एक दिनांक रहित शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था।

*३—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—यदि हां, तो वे क्या शिकायतें हैं?

श्री सुल्तान आलम खां—शिकायतें मुख्यतः क्षेत्र विकास अधिकारी की Integrity (चरित्रशुद्धता) के विरुद्ध थीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलावे की कृपा करेगी कि जो खंड विकास अधिकारी की शिकायतें आयीं उनमें क्या लिखा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--उसमें उनके चरित्र और इंटेग्रिटी के मुताल्लिक शिकायत की गयी है।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन शिकायतों की जांच का क्या नतीजा हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां--शिकायतों की जांच के लिये उन्हें जिलाधीश के पास भेज दिया गया। उन्होंने तहसीलदार और परगनाधीश के जरिये से जांच करायी और उनकी रिपोर्ट आ गयी है। वह बतलाती है कि यह शिकायतें गलत थीं और बेबुनियाद थीं।

श्री प्रतापसिंह--क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायत उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी के बारे में थी या आफिशियल इंटेग्रिटी के बारे में ?

श्री सुल्तान आलम खां--मैं उनके ओहदे को अलग नहीं कर सकता। यह शिकायत थी कि उनके पास जो लोग खरीफ आन्दोलन के सिलसिले में या खाद की तकसीम के सिलसिले में जाते हैं वह उनसे पैसा मांगते हैं। इसी किस्म की शिकायतें थीं। वह उनकी जाती भी हैं और ओहदे की भी।

दिल्ली की "भारत १९५८ प्रदर्शनी" में यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट का सामान गायब होना

*४--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नई दिल्ली में भारत १९५८ प्रदर्शनी जो अक्तूबर, १९५८ से जनवरी, १९५९ तक के लिये आयोजित की गई थी उसमें गवर्नमेंट यू० पी० हैंडीक्राफ्ट ने भी भाग लिया था ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जी हां।

*५--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रदर्शनी में आर्ट तथा टैक्सटाइल का अलग-अलग कुल कितने मूल्य का सामान भेजा गया था तथा कितने मूल्य का सामान बिक गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--"भारत १९५८ प्रदर्शनी" नई दिल्ली में आर्ट तथा टैक्सटाइल का जो सामान भेजा गया और जो बेचा गया, उसका विवरण इस प्रकार है:--

	भेजे गए सामान का मूल्य	बिके हुए सामान का मूल्य
	रु०	रु०
टैक्सटाइल का सामान	३२,९९३.२४	१५,७५७.८१
आर्ट का सामान	९०,३६३.३५	३४,०९६.०४
योग ..	१,२३,३५६.५९	४९,८५३.८५

*६--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट के कौन-कौन से अधिकारी दिल्ली गये थे तथा उनकी यात्रा में कितना व्यय हुआ ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--एक पब्लिसिटी इन्सपेक्टर, एक डिस्प्ले आर्टिस्ट, एक कर्ल्क, ४ सेल्स मैन, ६ सेल्स अटेन्डेन्ट, २ ड्राइवर तथा २ क्लीनर भेजे गये थे।

उपरोक्त कर्मचारियों की यात्रा में कुल रु० २००५.९९ नये पैसे का व्यय हुआ।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सामान वहां बिकने के लिये भेजा गया था उसमें से कुछ के गायब होने या कुछ और प्रकार की गड़बड़ी की सूचना सरकार को मिली है? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो मेरे पास सूचना है उसमें तो नहीं है कोई, लेकिन एक दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने के सम्बन्ध में मेरी नजरों से गुजरा है कि कुछ सामान की गड़बड़ी है, उसकी इनक्वायरी चल रही है। रिपोर्ट आने पर यह बताया जा सकता है।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय वहां प्रदर्शनी चल रही थी उस समय स्पेशल मैनेजर और पब्लिसिटी आफिसर भी कई बार दिल्ली गये थे? उनके आने जाने का खर्चा इसी में से दिया गया है, जो लिस्ट है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जितने भी मान्यवर, अधिकारी गये उनके आने-जाने का भत्ता इसी में शामिल है।

श्री गेंदासिंह--क्या इस प्रकार की शिकायत आपके पास आयी है कि जो दाम में से छूट देने की रकम थी उसमें प्रति रुपया कीमत में से वह छूट की रकम, बेचने वालों ने नहीं दी कपड़ा खरीदने वालों को, और खुद ले ली--जिसको रिबेट कहते हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य ने बताई हो तो मुझे फिर से आगाह करा दें।

श्री चन्द्रजीत यादव--सामान की गड़बड़ी का पता जो सरकार को चला है वह जिसके द्वारा चला और किस आफिसर द्वारा जांच करायी जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--संचालक उद्योग उसमें देख रहे हैं। सामान की जो लिस्ट थी उसमें कमी पायी गयी, उसका पता चलाया जा रहा है।

फैक्टरी इन्सपेक्टरों द्वारा कारखानों का निरीक्षण तथा रीजनल कन्सीलिएशन आफिसेज की इमारतें

*७--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १९५७ में Factory Inspectors ने कितने कारखानों का निरीक्षण वर्ष में एक बार ही किया है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--१,२०८ रजिस्टर्ड कारखानों का।

*८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में ३१-३-५९ को कितने Regional Conciliation Offices किराये के मकानों में थे और कितने Regional Conciliation Offices की इमारत सरकार की अपनी निजी थी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--सभी प्रादेशिक संराधन कार्यालय (Regional Conciliation Offices) किराये के मकानों में थे।

*९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १९५८ में Factory Inspectors ने कितने कारखानों का निरीक्षण (Inspection) वर्ष में एक-एक बार ही किया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—१,३९५ रजिस्टर्ड कारखानों का।

*१०-११—श्री उग्रसेन—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

रोडवेज की बसों में लाकर सिस्टम

*१२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की रोडवेज की बसों में लाकर सिस्टम चालू है और इस सिस्टम के चालू होने के बाद से सफर करने वाले यात्रियों की फेहरिस्त (चालान) कन्डक्टर द्वारा बस चलने पर लाकर में रख दी जाती है ?

परिवहन मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से लाकर सिस्टम चालू हुआ है तब से बसें निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर न पहुंच कर अत्यधिक देरी से पहुंचती हैं ?

डाक्टर सीताराम—यह ठीक नहीं है, बल्कि ऐक्युरेसी ९७.१ परसेंट है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बस का कन्डक्टर जो फेहरिस्त लाकर में रखता है उसके बाद प्रति व्यक्ति १ टिकट काटता है, फिर चालान फार्म पर चढ़ाता है इस वजह से देरी लगती है ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी शिकायत कोई मेरे पास नहीं आयी।

श्री उग्रसेन—जब लाकर सिस्टम नहीं चालू था तब रोडवेज के टाइमिंग की ऐक्युरेसी क्या थी ?

डाक्टर सीताराम—उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे कि जब लाकर सिस्टम चालू हो गया तो प्रिंटेड टिकट लोगों को दे दिया जाया करें ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होने में गड़बड़ी का डर है।

लघु उद्योग निगम की स्थापना

*१३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन) की स्थापना उत्तर प्रदेश में हो चुकी है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हो चुकी है।

*१४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—यदि हां, तो उक्त निगम की स्थापना का उद्देश्य तथा अधिकृत पूंजी क्या है और इस निगम के सदस्य और अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अन्य उद्देश्यों के साथ लघु उद्योग निगम के निम्नलिखित दो मुख्य उद्देश्य हैं :—

(१) प्रदेश के लघु गृह उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध एवं

(२) औद्योगिक आस्थानों का प्रबन्ध।

लघु उद्योग निगम की अधिकृत पूंजी १२,५०,००० रुपया है और इस निगम के सदस्य एवं अध्यक्ष निम्नलिखित हैं :—

सदस्य—

(१) राज्यपाल महोदय, जिनकी ओर से सचिव, उद्योग कार्य कर रहे हैं।

(२) वित्त आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग।

(३) संचालक, उद्योग विभाग, कानपुर।

(४) संयुक्त संचालक, सामग्री क्रय-विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(५) संयुक्त विधि परामर्शदाता, न्याय शाखा।

(६) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, निबन्धक सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश।

(७) मैनेजिंग डायरेक्टर, लघु उद्योग निगम।

अध्यक्ष—श्री राम सुन्दर लाल कक्कड़, आई० ए० एस०, सचिव, उद्योग।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लघु गृह उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री और औद्योगिक आस्थानों का प्रबन्ध निगम के द्वारा किस प्रकार किया जाता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, यह नहीं कहा गया कि किया जा रहा है बल्कि यह कहा गया कि किया जायेगा और उसके लिये यह निगम बना है। उसके सारे विधि-विधान, स्कीम्स इत्यादि के ऊपर यह निगम विचार कर रहा है। जब यह सब बन जायगा तब कहा जा सकेगा कि कैसे करेगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है और इसमें जनता के शेयर्स प्राप्त किये गये हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह कारपोरेशन एक लिमिटेड कन्सर्न तो है ही लेकिन इसमें कोई शेयर्स पब्लिक में बेचने के लिये नहीं दिये गये हैं।

झांसी जिले में पम्पिंग सेट खरीदने के लिए तकावी

*१५—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में तहसीलवार सिंचाई के लिये पम्प खरीदने को सन् १९५७-५८ में कितने व्यक्तियों के तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से किस तहसील में कितने व्यक्तियों को तकावी दी गयी ?

श्री सुल्तान आलम खां—

तहसील		प्रार्थना-पत्रों की संख्या	स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की संख्या
झांसी	..	१	१
मोठ	..	२	२
महरौनी	..	२	२

*१६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को तकावी दी गई थी उनमें से कितनों ने अभी तक पम्प नहीं खरीदे और जिन्होंने पम्प नहीं खरीदे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुल्तान आलम खां—तहसील महरौनी के दो व्यक्तियों ने पम्पिग सेट नहीं खरीदे इसलिये पूरी तकावी वसूल करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त वित्तीय वर्ष में झांसी जिले के लिये कितने पंप खरीदने के लिये तकावी देने का निश्चय किया गया था ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य ने १९५७–५८ के बारे में सवाल किया था और वह सूचना मंगाकर दे दी गई है। अगर किसी दूसरे साल के लिये कोई ऐसी सूचना मागेंगे तो वह भी दे दी जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सन् १९५७–५८ की सूचना मैंने मांगी थी उसमें कितनी तकावी देने का निश्चय किया गया था ?

श्री सुल्तान आलम खां—६ व्यक्तियों को तकावी दी गई है जिसमें किसी भी एक आदमी को २,५०० रु० से ज्यादा नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष—उनका सवाल यह है कि कुल कितना प्रपोजल देने का था।

श्री सुल्तान आलम खां—मैं इस वक्त टोटल नहीं बैता सकता। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो सूचना दे दी जायगी।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील ललितपुर में श्री बनवारी लाल को २५०० रु० तकावी के रूप में दिया गया था लेकिन आज तक पंप नहीं खरीदा गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने अर्ज किया कि मेरे पास यह इत्तला है कि महरौनी तहसील में २ व्यक्तियों ने तकावी ली थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया इसलिये उनको वापस करने की नोटिस दे दी गई है और इन के अलावा ४ व्यक्तियों को जो तकावी दी गई उन्होंने वक्त के अन्दर उस रुपये का इस्तेमाल कर लिया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात को सूचना मानकर इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि ललितपुर में जो २,५०० रुपया तकावी का दिया गया वह पम्प आज तक नहीं खरीदा गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो इसकी जांच करा ली जायगी।

झांसी जिले में कुओं के लिए तकावी

*१७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में सन् १९५८-५९ में तहसीलवार कितने खेतों के सिंचाई के कुओं को तकावी दी गई अथवा अनुदान दिया गया और सन् १९५९-६० में कितने कुओं को तकावी देने की योजना है ?

श्री सुल्तान आलम खां—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३६ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५८-५९ में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी और अनुदान देने के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्री सुल्तान आलम खां—१५,००० रुपये की रकम ५८-५९ में रखी गयी थी, उसके बाद और रुपया मांगा गया तो १९,६५९ रुपया और देना मंजूर किया गया।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पिछले वर्षों से इस वर्ष में सिंचाई के कुओं के लिए जो अनुदान दिया जाता था, उसमें कमी हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सुल्तान आलम खां—उन्होंने जो ५८-५९ की संख्या पूछी थी वह उनको दे दी। इसके अलावा और कोई संख्या मेरे पास इस वक्त नहीं है जिससे उसका मुकाबला किया जा सके।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो १५,००० और १९,६५९ की तकावी निश्चित की गई है, इसमें से कितना रुपया मांगने वालों को दिया जा चुका है ?

श्री सुल्तान आलम खां—यह सब रुपया झांसी जिले में तकसीम कर दिया गया है।

*१८—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

उद्योग विभाग द्वारा जूट के माल की खरीद

*१९—श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार का उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश में बने जूट के माल को न खरीद कर बंगाल के बने जूट के माल को खरीदता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जी नहीं। उद्योग विभाग जहां तक संभव होता है उत्तर प्रदेश में बने जूट के माल को ही खरीदता है। दूसरे प्रदेश का बना जूट का माल उसी अवस्था में खरीदना पड़ता है जबकि इच्छित विवरण के अनुसार तथा नियत समय में उत्तर प्रदेश का बना जूट का माल उपलब्ध नहीं होता।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि फाइनेंशियल ईयर ५७-५८ और ५८-५९ में उत्तर प्रदेश का माल और बंगाल का माल कितने कितने रुपये का खरीदा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, सवाल १९५९ के बारे में था, उसकी सूचना मेरे पास रुपयों में नहीं है संख्या में है, जो बोरे बाहर से खरीदे गये उनकी संख्या ७,७५,००० थी। पुराने सालों के आंकड़े की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या उत्तर प्रदेश से बंगाल का माल कुछ सस्ता पड़ता है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---श्रीमन्, यह बात नहीं है कि वह सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है, बोरों की किस्म अलग-अलग होती है। सी क्लास का एक और बी क्लास का एक मापदंड होता है। एक ही किस्म के बोरों के दाम कम हैं या ज्यादा यह तो इस वक्त कहा नहीं जा सकता। जैसा कि अभी बताया गया कि ७,७५,००० बोरे उत्तर प्रदेश के बाहर से हमें मंगाने पड़े। हमारी कभी भी ऐसी नियत नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के बाहर से मंगायें।

*२०---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

नियोजन संबंधी साहित्य को हिन्दी भाषा में वितरित करने की मांग

*२१---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जिला प्लान बनाने के संबंध में जिला अधिकारियों को अपने आदेश भेज दिये? अगर हां, तो वे क्या हैं? अगर नहीं तो सरकार ये आदेश कब तक भेजने का इरादा रखती है?

श्री सुल्तान आलम खां---तृतीय पंचवर्षीय योजना के जिला प्लान बनाने के संबंध में जिला अधिकारियों को अभी आदेश नहीं भेजे गये हैं। अभी तो राज्य प्लान की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जिला प्लान बनाने के लिये आदेश प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार होने के बाद ही जारी किये जा सकेंगे। इसमें अभी लगभग २-३ माह का समय लगेगा।

*२२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---उत्तर प्रदेश शासन नियोजन (ख) विभाग ने २४ अप्रैल, १९५९ को २२६० XXXVB नम्बर का जो आफिस मेमोरेंडम जारी किया है क्या वह केवल अंग्रेजी में ही है? अगर हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह हिन्दी में क्यों नहीं भेजा गया?

श्री सुल्तान आलम खां---नियोजन (ख) विभाग का २४ अप्रैल का मेमोरेंडम अंग्रेजी ही में है। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के लिये सचिवालय के समस्त सचिव तथा विकास विभागों को आदेश दिये गये हैं। प्लान भारत सरकार के आदेश पर बनते हैं। उनके आदेश अंग्रेजी में होते हैं और वे अंग्रेजी में प्लान चाहते भी हैं। अतएव प्लान बनाने का समस्त कार्य, राज्य स्तर पर, अंग्रेजी ही में होता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य की प्रारम्भिक प्लान की रूपरेखा जब तैयार हो जायगी तो क्या वह जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित की जायगी?

श्री सुल्तान आलम खां---जी हां।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा कब तक तैयार हो जायगी?

श्री सुल्तान आलम खां---मैंने जवाब में ही कह दिया है कि २-३ महीने लगेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज के फैसले की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि यदि केवल अंग्रेजी में ही विज्ञप्ति होगी तो वह अवैधानिक मानी जायगी जब कि उत्तर प्रदेश की राज भाषा हिन्दी है? इसको देखते हुए क्या यह अवैधानिक कार्य नहीं है?

श्री अध्यक्ष—यह वैधानिक अवैधानिक का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लान अंग्रेजी में ही बनाया जाय तो आदेश हिन्दी में भेजने में क्या कठिनाई होती है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कोई बहुत बड़ी कठिनाई तो नहीं है, यह हमारी थोड़ी सी सुस्ती है, और मैं क्या जवाब दूं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी संक्षेप में बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी जायगी या एग्रीकल्चर को?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं है उसकी बाबत हम कैसे कोई जवाब दे सकते हैं? अभी तो हमारे सामने कोई तस्वीर ही नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की सूरत क्या होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस बात का इरादा रखती है कि अंग्रेजी में प्लान बनाने में बाधा पहुंचाये बिना जितना काम हिन्दी में हो सकता है, भविष्य में उतना काम हिन्दी मे कराया जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२३-२४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

हाथरस में विभिन्न उद्योगों के लिए सहायता

*२५—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में हाथ का कागज, प्लास्टिक, चर्म उद्योग, तांबे तथा पीतल के सजावटी उद्योग, दियासलाई उद्योग तथा परफ्यूमरी के लिये प्रोत्साहन देने के लिये सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—चर्म विकास योजना के अन्तर्गत हाथरस क्षेत्र में सन् १९५८-५९ में गृह उद्योग चर्म शोधन सहकारी समिति, 'भोज का नगला" नामक स्थान पर स्थापित की गई है। इस समिति को १९,८७५ रु० का अनुदान एवं ५,६२५ रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है। तांबे तथा पीतल के सजावटी उद्योग के प्रोत्साहन के लिये श्री राम लाल, चमनगली, हाथरस को ३,००० रु० ऋण स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त पीतल के बर्तन उद्योग के हेतु २,००० रु० का ऋण श्री होती लाल को भी दिया गया है। इस समय हाथरस खास में हाथ का कागज बनाने, प्लास्टिक, दियासलाई उद्योग तथा परफ्यूमरी उद्योग के प्रोत्साहन के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं चल रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि हाथरस जो खुशबूदार तेल के लिये सबसे बड़ा प्रदेश का केन्द्र है उसको प्रोत्साहन देने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है तथा क्या सरकार इसका सर्वेक्षण कराने की कृपा करेगी?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जहां तक मदद देने का प्रश्न है, साधनों की कमी है और जहां तक सर्वेक्षण का प्रश्न है अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। लेकिन अगर माननीय सदस्य दिलचस्पी लें और उनकी सहकारी समितियां कायम करावें तो अवश्य सरकार उनकी कुछ मदद करेगी।

तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत उद्योग-धंधों के लिए नियुक्त समिति की रिपोर्ट की मांग

*२६---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सन् १९५९ में सरकार ने उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में नये उद्योग धंधे खोले जाने के लिये कोई कमेटी बनाई है और क्या इस कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट या सिफारिशें सरकार के पास भेजी हैं? अगर हां, तो वे क्या हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां।

अभी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कब तक यह पूरी रिपोर्ट आ जायगी उनके पास और रिपोर्ट आने के बाद उसकी एक प्रति वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---प्लान तो जरूर सदन की मेज पर रखा जायगा जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट को सदन में रखने की बात है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर प्लानिंग ने एक सवाल के जवाब में बतलाया, आशा की जाती है कि जल्दी ही सारा प्लान ही आपके सामने आ जायगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को नजर में रखते हुए कि यह कोई गोपनीय वस्तु नहीं है बल्कि यह सरकार की पंच पंचवर्षीय योजना के संबंध में है, ताकि लोग अपनी योजना के विषय में मत दे सकें क्या मंत्री जी जनहित में उस का लोगों में प्रसार करने के लिये राजी हैं? क्या इस कारण वह उस को सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---सदन की मेज पर न रखने का मतलब उसको छिपाने से नहीं है। माननीय सदस्यों को समय मिले न मिले और इसके अलावा इस की आवश्यकता भी नहीं है परन्तु मैं सभी माननीय सदस्यों को दावत दिये देता हूं कि यदि वे चाहें तो अपने सुझाव उद्योग संचालक के पास भेज कर अनुगृहीत करें और जो वहां एक एक्सपर्ट्स की कमेटी है वह उन के विचारों को देखेगी।

कुमायूं डिवीजन में खनिज पदार्थों की जांच

*२७---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार कृपया बतायेगी की कुमायूं और अल्मोड़ा जिले में जो मैंगनेसाईट, शीशा सेलखड़ी, (सोप स्टोन) तांबा, गंधक चूने आदि का पत्थर का पता लगा है, इन धातुओं के निकालने व शोधन किये जाने के कार्यक्रम पर सरकार ने क्या प्रोग्राम बनाया है? या सरकार वहां कोई कारखाना इस संबंध में स्थापित करने का विचार रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुमायूं डिवीजन में मंगनेसाइट, शीशा, सोपस्टोन, तांबा, गंधक चूने इत्यादि खनिज पदार्थों की जांच जारी है। अभी तक की जांच के परिणामस्वरूप जो पदार्थ पाये गये हैं उनका विवरण निम्नलिखित है :

खनिज पदार्थ		स्थान
तांबा	..	गढ़वाल, अल्मोड़ा
शीशा	..	गढ़वाल
गंधक	..	गढ़वाल
लाइमस्टोन	..	गढ़वाल
सोपस्टोन	..	अल्मोड़ा
मैगनेसाइट	..	अल्मोड़ा

अभी इन स्थानों में किसी कारखाने की स्थापना के लिये कोई योजना नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मंत्री महोदय इस बात को देखते हुये कि इस जांच को ५ साल से अधिक हो गये और वह पूरी नहीं हुई, उसमें कुछ शीघ्रता लाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५ वर्ष नहीं बल्कि जांच तो १०० वर्ष से हो रही है परन्तु इस सरकार ने ज्यालाजी डिपार्टमेंट से ५ साल से करायी है और काम शुरू कराया है।

श्री मोहनसिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह सही है कि अल्मोड़ा के अन्तर्गत सर्वेक्षण के बाद सेलखड़ी का ठेका वहां की यूनियनों को न देकर प्राइवेट कन्सर्न्स को दिया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम ठीक नहीं कह सकते। प्रश्न इस विषय में नहीं था इसलिये इस वक्त नहीं बताया जा सकता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि वहां मैगनेसाइट की तादाद करोड़ों टनों में है। यदि हां, तो क्या जल्द उसको काम में लाने के लिये सरकार कोई इंतजाम करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कितने टन है यह तो हमें नहीं मालूम लेकिन वह वहां काफी मात्रा में है और सरकार का ध्यान इस तरफ गया है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स उसके प्रोसेसिंग की बात सोच रहे हैं और उसका उपयोग करना चाह रहे हैं।

श्री मोहनसिंह मेहता---क्या सरकार वहां सेलखड़ी के खिलौने, मूर्त्तियां आदि का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खिलौने बनाने की बात भी सोची जा सकती है लेकिन अब तक तो हमने एक कमेटी बनाई है जो देखेगी कि प्रदेश में कौन-कौन हैवी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वह इस विषय पर विचार कर रही है, उसी के सामने खनिज पदार्थों का भी सवाल है, उसको मालूम होगा कि कौन सी इंडस्ट्री वहां चलाई जा सकती है, शायद कोई इंडस्ट्री सरकार के चलाने की भी हो, यह नहीं कहा जा सकता कि प्राइवेट लोग चलाने को तैयार होंगे या नहीं होंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि मैगनेसाइट व सोपस्टोन की खोज के लिये पिथौरागढ़ तहसील में किसी अमरीकन इंडस्ट्रियलिस्ट को काम सौंपा गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमने तो सौंपा नहीं किसी अमरीकन इंडस्ट्रियलिस्ट को यह काम।

श्री झारखंडे राय--जिन चीजों के कारखानों की बात बताई गई है क्या इस संबंध में भारत सरकार का भी ध्यान आकर्षित किया गया है और किसी सहायता के लिये कोई लिखापढ़ी भी हुई है ? यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--खोज तो भारत सरकार की ओर से और हमारे जियोलाजी विभाग की ओर से हुई है लेकिन जांच अभी इतनी दूर तक नहीं पहुंची है कि यह कहा जा सके कि जो चीजें पाई गई हैं वे इतनी मात्रा में हैं कि उनको एक्सप्लायट किया जा सके, यानी खोदा और निकाला जा सके और वह एकनामिकल होगा या नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की है कि प्रास्पेक्टिंग का काम करेंगे तो इस संबंध में सरकार ने उनसे आगे बात की है ? यदि हां, तो उनके काम प्रारम्भ करने में क्या देर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गवर्नमेंट का सवाल कुछ नहीं है। कायदा यह है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिस्ट्रियलिस्ट उसे करना चाहते हैं तो उसको हमारे यहां दरख्वास्त देनी चाहिये कि हम इस जगह पर जाकर जांच करना चाहते हैं। ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, ठीक तौर से अभी किसी ने लाइसेंस इस बात के लिये लिया नहीं है।

*२८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण सातवें गुरूवार के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिले में शराब और भांग की दूकानों का नीलाम

*२९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १९५८-५९ तथा चालू वित्तीय वर्ष में शराब, भांग तथा ताड़ी की दूकान कितने-कितने रुपये में नीलाम की गई ?

डाक्टर सीताराम--इलाहाबाद जिले में १९५८-५९ तथा चालू वित्तीय वर्ष में शराब तथा भांग की दूकानें निम्नलिखित रुपये में नीलाम की गई :

वर्ष	शराब	भांग
	रु०	रु०
१९५८-५९	८,६७,७२५	१,६९,४६०
१९५९-६०	१०,२२,८५०	२,१९,४२५

ताड़ी का नीलाम ताड़ी वर्ष १९५८-५९ में १,२७,८०० रुपयों में हुआ था। १९५९-६० के वर्ष में अभी ताड़ी, का नीलाम नहीं हुआ है।

*३०--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण २७ अगस्त, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

स्वदेशी काटन मिल नैनी, इलाहाबाद में काम करने का समय

*३१--श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वदेशी काटन मिल नैनी, इलाहाबाद के मजदूरों को प्रति दिन कितनी देर काम करना पड़ता है और मिल चलन का दैनिक समय क्या है ?

नोट--तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त मिल में कुछ कर्मकारों की सप्ताह के ६ दिन ८ घंटों की पालियों में काम करना पड़ता है तथा कुछ को सप्ताह के ५ दिन ८ १/२ घंटे प्रतिदिन व एक दिन ५ १/२ घंटे की पालियों में काम करना पड़ता है। मिल दिन रात चलती है ।

उन्नाव जिले को तांबे का कोटा

*३२—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में १९५७–५८ व १९५८–५९ में सरकार द्वारा कितना तांबे का कोटा दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५७–५८ मे कोई कोटा नहीं दिया गया । सन् १९५८–५९ में २ टन का कोटा दिया गया ।

*३३—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त तांबा किस-किस प्रकार के कार्य के लिये दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त कोटा बर्तन बनाने हेतु दिया गया ।

*३४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

प्राइवेट बसों के परमिट देने में परिगणित जातियों के संरक्षण के लिए प्रार्थना

*३५—**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह प्राइवेट बसों के परिमिट देने में परिगणित जाति के लिये स्थान सुरक्षित रखने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—मोटर वेहिकिल्स एक्ट, १९३९ के अन्तर्गत इस प्रकार का सुरक्षण देना सम्भव नहीं है ।

तमकुही बस-स्टेशन पर रोडवेज कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था

*३६—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमकुही रोड बस स्टेशन पर रात के समय ५ से अधिक बसें रुकती हैं ? यदि हां, तो कर्मचारियों के ठहरने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । कर्मचारियों के ठहरने के लिये बस स्टेशन में एक कमरा नियत है ।

गन्ना विकास परिषद्

*३७—**श्री गेंदा सिंह तथा श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के गन्ना विकास परिषदों का बनवाना कब से ड्यू था और वह कब बनायी गईं तथा उसमें इतनी देर करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रदेश में ६८ में से ६५ गन्ना विकास परिषदों का कार्यकाल दिसम्बर, १९५८ से जनवरी, १९५९ के मध्य समाप्त हुआ और गन्ना आयुक्त द्वारा सदस्यों तथा सभापति के नामांकन सम्बन्धी सूचना एकत्र किये जाने में समय लगने के कारण इन परिषदों का पुनर्गठन कार्य लगभग अप्रैल, १९५९ तक समाप्त हो सका ।

कुमायूं डिवीजन से उद्योग-धंधों में सहायता के लिए मांग

*३८—श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर कुमायूं डिवीजन के कितने व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने नये उद्योग चालू करने लिये सरकार से सहायता मांगी थी और कितनों को और कितनी महायता अनुदान इत्यादि के रूप में अब तक दी जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में कर्मचारियों का नाइट आउट माइलेज तथा इन्क्रीमेंट का बकाया

*३९—श्री उग्रसेन—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के ड्राइवर, कन्डक्टर्स, बुकिंग क्लर्क का कितना वेतन नाइट आउट माइलेज, जमानत तथा इंक्रीमेंट का धन १ अप्रैल, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ की अवधि में बकाया था ?

डाक्टर सीताराम—इस अवधि में कर्मचारियों के ८१७.६९ रु० वेतन, ५७.८७ रु० नाइट आऊट, ८५.७८ रु० माइलेज और ८०९.६२ रु० इन्क्रीमेन्ट के बाकी थे। जमानत की कोई धनराशि बाकी नहीं थी ।

रोडवेज में कण्डक्टरों की पदोन्नति

*४०—श्री उग्रसेन—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में प्रति क्षेत्र कितने कंडक्टरों की पदोन्नति ए० टी० आई० के पद पर ८ मार्च, १९५७ से लगायत १ जनवरी, १९५९ के अन्दर हुई ?

डाक्टर सीताराम—किसी की भी नहीं ।

बुलन्दशहर में खरीफ अभियान के सम्बन्ध में गोष्ठी

*४१—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३० मई, १९५९ को जिला बुलन्दशहर में Planning Department की तरफ से एक Seminar में सम्मिलित होने के लिये किन-किन प्रकार के लोगों को बुलाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से ३० मई, १९५९ को ऐसा कोई सेमीनार आयोजित नहीं किया गया। उस दिन जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से खरीफ अभियान के विषय में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। कमेटी के अनुरोध पर सुविधा की दृष्टि से क्षेत्र विकास अधिकारीगण, समस्त सहायक विकास अधिकारी, पंचायत निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, कृषि निरीक्षक तथा प्रशासनिक अभियन्ता नलकूप एवं नहर विभाग को सूचना दे दी गई थी ।

इण्डियन टरपेनटाइन ऐण्ड रेजिन फैक्टरी द्वारा कलट्टरबकगंज, बरेली में लीसा के लिए प्लांट लगाने की योजना

*४२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लीसा पैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इंडियन टरपेन टाइन ऐन्ड रेजिन फैक्टरी एक नया प्लांट कब तक लगा चुकेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लीसा पैदा करने वाले पहाड़ी क्षेत्रों में इंडियन टरपेनटाइन तथा रेजिन फैक्टरी द्वारा नये प्लान्ट लगाने की कोई योजना नहीं है । परन्तु एक नया प्लान्ट फैक्टरी द्वारा कलट्टरबकगंज बरेली, में ही लगाने की योजना कार्यान्वित हो रही है और आशा है कि यह मार्च, १९६० तक लग कर चालू हो जायेगा ।

*४३—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्लांट द्वारा कितने रजिन की खपत हो सकेगी और कितने टन रेजिन का कुल उत्पादन वार्षिक होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नये प्लान्ट द्वारा फैक्टरी की क्षमता लगभग २२,२०० टन लीसे प्रति वर्ष की हो जायेगी। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का उत्पादन १९५८ में १०,९५२ टन था किन्तु भविष्य में उत्पादन के बढ़ने की आशा की जाती है।

निलम्बित गजटेड अफसर

*४४—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गजटेड अफसर १ वर्ष, २ वर्ष और ३ वर्षों से सस्पेन्डेड हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ वर्ष से ऊपर के ६, २ वर्ष से ऊपर के ४,३ वर्ष से ऊपर के ५ अफसर सस्पेन्डेड हैं।

एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेण्टर्स

*४५—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर हैं ? उनमें से कितने व्यक्ति सन् १९५७ व १९५८ में ट्रेनिंग में अलग-अलग आये ? उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश में २४ एक्सटेन्शन ट्रेनिंग सेन्टर हैं जिनमें १९५७ में ३,१११ तथा १९५८ में १,२२० व्यक्ति ट्रेनिंग में आए। उनमें से परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई विवरण नहीं रखा गया था।

*४६—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के उपरोक्त ट्रेनिंग सेन्टरों में कितने-कितने व्यक्ति ट्रेनिंग ले रहे हैं तथा उनमें कितने परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२,०४२ व्यक्ति जिनमें ४०६ परिगणित जाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं।

*४७—श्री लक्ष्मणराव कदम—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

यातायात विभाग, जिला गोरखपुर में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के बस कर्मचारी

*४८—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर डिवीजन के अन्तर्गत गाजीपुर जिले में यातायात विभाग में कितने कन्डक्टर, ड्राइवर और क्लीनर्स हैं ? उनमें कितने बैकवर्ड तथा कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सीताराम—कुल २३ कन्डक्टर, २६ ड्राइवर और ३ क्लीनर हैं जिनमें ४ कन्डक्टर और ६ ड्राइवर बैकवर्ड हैं तथा ४ कन्डक्टर १ ड्राइवर और १ क्लीनर हरिजन हैं।

पूर्वी जिलों में अनावृष्टि के कारण जनता में व्यापक असन्तोष के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री चन्द्रजीत यादव का यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है कि "सम्पूर्ण पूर्वी जिलों में पानी न बरसने से धान की रोपाई का काम नहीं हो पा रहा है और उसका समय भी निकल रहा है। धान ही इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और उसके भविष्य के अन्धकारमय होने के कारण जनता में हाहाकार मचा हुआ है। अनावृष्टि से सूखा की स्थिति पैदा हो गई है और सरकार इस स्थिति को मौन दर्शक के रूप में देख रही है जिससे जन असंतोष बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से आजमगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के निश्चित और अति आवश्यक प्रश्न पर विचार हेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

आप का मतलब यह है कामरोको प्रस्ताव का कि सरकार ने जो चुप्पी साधी है तो वह चुप्पी खोल दे। और तो मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। यह कुछ निश्चित सा नहीं मालूम होता कि आपका उद्देश्य क्या है? आप जरा इसको स्पष्ट कर दें।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि इस समय पानी नहीं बरस रहा है बहुत दिनों से और सरकार को भी इस बात की सूचना है कि पहले धान की जो बेहन पड़ती है उसमें काफी देर हुई और वह तैयार हुई तो उसमें गांठें पड़ गई। उस क्षेत्र में ट्यूबवेल्स और नहरें भी हैं। लेकिन ट्यूबवेल्स का पानी धान रोपने के लिये नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां ट्यूबवेल्स हैं वहां धान रोपने के लिये उनका प्रयोग हो सकता है। तो जो उसका पानी नहीं दिया गया है इससे नुकसान हो रहा है। नहर का पानी भी.....

श्री अध्यक्ष—यह तो आपने इसमें कहीं लिखा नहीं है कि सरकार क्या नहीं कर रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—सरकार चुप बैठी हुई है और ऐसी स्थिति में जो साधन ह सिचाई के उनका भी प्रयोग नहीं कर रही है। यह मैंने स्पष्ट कर दिया। मैं चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय बतावें कि ट्यूबवेल और नहरों के लिये क्या आदेश दिये गये हैं और क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष—आपका यह प्रस्ताव अस्पष्ट है। कामरोको प्रस्ताव के रूप में मैं इसको नहीं ले रहा हूं। लेकिन विषय ऐसा है जो काफी महत्व का है। अगर वहां अनावृष्टि है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है यह सूचना सरकार सदन को दे दे तो अच्छा ही है। संबंधित मंत्री इस वक्त सूचना देना चाहें तो इस वक्त दें कि पूर्वी इलाके में ऐसी परिस्थिति है या नहीं और अगर है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुर्मासिह विसेन)—अभी तक इस गोलमोल प्रस्ताव के सिवाय मेरे पास कोई ऐसी मांग नही आई है और इसका नोटिस भी मुझे इस वक्त नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्या आप के आफिसर्स ने कोई ऐसी रिपोर्ट आपके पास भेजी है?

श्री हुकुर्मासिह विसेन—कोई नहीं आई। हमारे मित्र की मंशा थी कि गवर्नमेंट बोले, तो मैं बोल चुका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह अधिक उचित होगा यदि माननीय सदस्य, जो उनको शिकायत है, उसको व्यौरे में लिख कर सरकार के पास भेज दें और सूचना दे दें....

श्री चन्द्रजीत यादव—सूचना मैं दे दूंगा। यहां के लोकल अखबारों में, जैसे 'नेशनल हैराल्ड' 'नवजीवन' में वहां के सम्वाददाताओं द्वारा यह खबर छापी जा चुकी है कि उस क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय को अभी तक सूचना नहीं मिली जब कि हम बार-बार सदन में कहते रहे हैं, प्रश्न भी पूछे गये। तब इस प्रकार ऐसे गम्भीर विषय को मजाक में टाल देना शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि उनकी आंखें अफसर हैं और आपकी आंखें अखबार हैं। तो इनमें जरा अन्तर हो जाता है। आपने कहीं नहीं लिखा डीटेल में कि आपने कोई जांच करके यह सूचना हासिल की। ऐसी कोई चीज नहीं है, डीटेल्स भी नहीं हैं। तो ऐसी अवस्था में स्पष्ट न होने के कारण और निश्चित न होने के कारण मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, आपने आज्ञा दी है कि जो भी माननीय यादव जी को सूचना मिली उसकी वह खबर दे दें। इसके अलावा मैं यह प्रार्थना और करना चाहता हूं कि वे यह भी खबर दे दें कि किस जगह पानी की कमी के कारण उन्होंने दरख्वास्त दी और जहां नहर या ट्यूबवेल में पानी था वहां पानी नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—बिल्कुल निश्चित उनको बताना चाहिये नहीं तो जांच क्या करेगी सरकार। सरकार को स्पष्ट मालूम हो जाना चाहिये कि फलां जगह से शिकायत आयी कि यहां पर यह नहीं हो रहा है तो उसकी जांच करके कार्यवाही सरकार करेगी।

सरकार की ओर से कुछ सदस्यों को प्रलोभन देकर अनुचित दबाव डालने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है और यह ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है जो कि उनका आक्षेप है। उनका आक्षेप है कि यहां पर कुछ सदस्यों ने दस्तखत करके जो एक वक्तव्य दिया था, आचार्य जुगल किशोर जी ने, और जिनका नाम उन्होंने लिया था कि ये सहमत हैं अपने भाषण में, उनके ऊपर कोई नाजायज दबाव सरकार की तरफ से डाला जा रहा है और उन्होंने नाम भी लिख भेजे हैं। नाम देकर बताया है कि किस तरह से नाजायज दबाव डाला जा रहा है, पांच सदस्यों के ऊपर दबाव बताया जाता है और प्रलोभन देने वगैरह की बात कही गयी है। तो यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता, इस तरह का कोई प्रलोभन या दबाव वगैरह जिसके ऊपर डाला जा रहा है उसको आक्षेप पहले करना चाहिये क्योंकि मैं यह मानता हूं कोई भी सदस्य यहां पर जो प्रतिनिधि बन कर आया है अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो उसका काम है कि वह सदन में उसका जिक्र करे। अगर वह नहीं करता है किसी और वजह से और दूसरे लोग करना चाहते हैं तो प्रिविलेज का सवाल उठा कर और स्पष्ट कह कर कि गवर्नमेंट के फलां व्यक्ति ने प्रलोभन या दबाव डाला जो किसी सदस्य को नहीं करना चाहिये, इस तरह की कोई स्पष्ट शिकायत मेरे पास आनी चाहिये। लेकिन कामरोकोप्रस्ताव का यह विषय किसी हालत में नहीं हो सकता। तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उनको प्रलोभन दिया गया या दबाव डाला गया अगर वह व्यक्ति यह नहीं कहता कि उसको प्रलोभन दिया गया या दबाव डाला गया तो क्या यह उस व्यक्ति की मानहानि नहीं है जिसको यह कहा जाय कि उसको प्रलोभन दिया गया? और इस तरह की गैरजिम्मेदारी की बात यहां सदन में कोई दूसरे साहब लाये कि फलां साहब ने दबाव में आकर कुछ ऐसा काम किया तो क्या उसकी इज्जत की आप रक्षा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---जी हां। इसीलिये मैंने किसी का नाम नहीं लिया और मैंने उसको एक सूचना के रूप में बता दिया इसलिये कि अब माननीय सदस्य नाम न लें किसी का और अ र उनको लेना है तो उसी परिस्थिति में लें जब उनके पास कुछ लिखित ऐसी चीजें स्पष्ट सामने आ जांय और वह प्रिविलेज का प्रश्न उठाकर उस शिकायत को सदन को सामने ला सकते हैं न कि कामरोको प्रस्ताव के सिलसिले में।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। यह सभी को विदित है कि यहां विधान सभा के सदस्य हैं। डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और सदन में अध्यक्ष महोदय को हस्ताक्षर करके हमने अपना एक मत स्पष्ट किया है। हमारे यहां यह नैतिकता तथा विधान : है कि हम आपको लिख कर दे दें कि असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो वह पत्र पहुंचना ही काफी हो जाता है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। विधान सभा के ९८ सदस्यों ने लिख कर दे दिया कि इस सरकार में हमारा विश्वास नहीं है, नैतिकता इसकी भ्रष्ट हो गयी है .....

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न यहां नहीं उठता।

श्री राजनारायण---वहां नहीं जा रहा हूं, प्रसंगवश कह दिया है। मैं कह रहा था कि वही सदस्य नहीं लिखेंगे कि हमने दस्तखत नहीं किये जब तक उन पर दबाव न डाला जाय.....

श्री अध्यक्ष---मैंने कोई सूचना इस विषय में नहीं दी। आप काल्पनिक बात कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---पुलिस के लोग हमेशा थाने में बन्द करके जबरदस्ती रपट लिखा लेते हैं और जब उस आदमी से पूछा जाय तो कहा जाता है कि हम पर जोर दबाव नहीं डाला गया।

श्री अध्यक्ष---आपके पास इस तरह का सबूत हो तो आप उस तरह से उठा सकते हैं वर्ना नहीं उठा सकते।

श्री राजनारायण---आपने बिलकुल ठीक बात कही थी, मैं बोलने भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब माननीय मंत्री जी, श्री मोहनलाल गौतम तैश में आ कर बोले तो मुझे मजबूर हो कर बोलना पड़ा।

श्री अध्यक्ष---यह तैश का स्थान नहीं है। जो पार्लियामेंटरी पद्धति है उसका सिद्धांत पहला यह है कि बहुत शांति के साथ विवाद हो कर सत्य का शोधन हम लोग करें और सत्य जानने का प्रयत्न करें और जिस प्रश्न के बारे में आपके सामने विचार हो रहा हो उस पर अपने विचार शांत वातावरण में प्रकट कर सकें। इसमें तैश की बात नहीं है, इससे दिमाग बिगड़ जाता है और उसमें बात ठीक नहीं होती।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मेरा इस संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि जिस व्यक्ति के साथ कोअर्शन हुआ वह जब तक सूचना नहीं देता है, शिकायत नहीं करता है तब तक उसके सम्बन्ध में कोई दूसरा यहां किसी बात को नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष---मैंने इस चीज को नहीं कहा। आप मेरे फैसले को मानेंगे या मंत्री जी की बात को? मैंने दूसरा रास्ता बतलाया कि जब तक आपके पास इस बात का स्पष्ट सबूत हो तब भी कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता, वह केवल प्रिविलेज का सवाल होकर आ सकता है।

श्री राजनारायण---मैंने इसलिये कह दिया था कि लोग शायद संभल जायं, लेकिन यदि वे यह चाहते हैं कि प्रिविलेज का मोशन आ जाय तो आ जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, श्री विजय-सिंह, को पुलिस द्वारा पीटने पर गृह उपमंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मेरे पास कई सूचनायें आई हैं किन्तु उनमें सबसे महत्व की और नियम के अनुसार मुझे एक को लेना है, जो कि तात्कालिक भी है, आज का ही सवाल है और उसे श्री गोविंदसिंह बिष्ट व राजेन्द्रसिंह ने दिया है :---

"कल रात जब श्री विजयसिंह जो लखनऊ विश्वविद्यालय के पी० एच० डी० के एक छात्र हैं वे पुलिस स्टेशन, डालीगंज में इस बात की रिपोर्ट दाखिल करने गये कि उस थाने में एक डालीगंज के युवक को पुलिस ने अकारण ही ५ दिन बन्द रखा, बाद को बिना मुकदमा चलाये छोड़ दिया और उसके बाद जब वह भोजन कर रहा था तो पुलिस उसे पकड़ ले गई आदि---तो उन्हें व श्री विजय सिंह को नायब दरोगा व दरोगा ने बुरी तरह पीटा और उसके बाद उसको पुलिस ने भी बहुत पीटा जिससे विजयसिंह को चोटें आई हैं। पुलिस ने विजयसिंह को ला कर थाने के फाटक के पास फेंक दिया। घटना का पता लगने पर स्थानीय लोगों की व करीब डेढ़ सौ विद्यार्थियों की वहां न्याय मांगने के लिये भीड़ जमा हुई। जनसंघ के उत्तरी पूर्वी अंचल के सेक्रेटरी श्री नाना जी देशमुख घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल पर समझाया जो इस अनाचार से बहुत उत्तेजित थी। उच्च पुलिस अधिकारियों को श्री नाना जी द्वारा टेलीफोन से सूचित भी किया गया था। पुलिस के अधिकारी वहां आये पर उन्होंने रिपोर्ट पर कोई प्रबंध नहीं किया। पुलिस जनता की रक्षा के लिये है न कि उस पर अत्याचार के लिये इत्यादि---"

तो मैं संबंधित मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसकी जानकारी अगर उन्होंने हासिल कर ली हो तो कोई वक्तव्य दे दें और अगर जानकारी नहीं है तो किसी दूसरे रोज के लिये मुझ से कह दें तो मैं वह दिन नियत कर दूंगा ।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---मेरे पास सूचना आ गयी है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन को दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह घटना इस प्रकार है कि मुलई कहार को हसन-गंज पुलिस ने १२ अगस्त, १९५९ को दफा ११० सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया था। श्री विजयसिंह जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं पुलिस स्टेशन में उसकी जमानत के लिये गये। पुलिस ने जमानत नहीं ली। श्री विजयसिंह वहां से चले आये । श्री विजयसिंह ने जिन किन्हीं सज्जनों से शिकायत की हो, आज प्रातः आर्गेनाईजिंग सेक्रेटरी, जनसंघ ने एस० एस० पी० को टेलीफान पर कहा। एस० एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी वहां गये। उनकी मांग यही थी कि श्री विजयसिंह को पुलिस अधिकारियों ने मारा है। इस सम्बन्ध में डी० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) को इन्क्वायरी के लिये मामल दे दिया गया है और एस० ओ० को लाइन्स में बुला लिया गया है जिससे कि जांच के समय वे वहां न रह सकें। कोई बाहरी चोट श्री विजय-सिंह के नहीं थी और उन्होंने डाक्टरी मुआयना कराना भी ठीक नहीं समझा। प्राक्टर जो यूनिवर्सिटी के हैं वे भी पुलिस स्टेशन पहुंच गये थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी (कुरता दिखाते हुये) इस बात को देख कर स्वीकार करेंगे कि कुरता तक फाड़ दिया गया था उस पी० एच० डी० के लड़के का ?

श्री अध्यक्ष---यह तो कोई तरीका नहीं है, इसका कोर्ट में फैसला होगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि वहां पर बहुत भारी भीड़ जमा है और लोगों की मांग है कि उस थानेदार को जिसने पीटा है और नायब थानेदार को मुअत्तल किया जाय तब जांच की जाय, उनके रहते हुये ठीक से जांच नहीं हो सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो यही अभी निवेदन किया कि एस० ओ० को पुलिस लाइन्स भेज दिया गया है । जब तक प्रिलिमिनरी इस बात का सबूत न आ जाय कि उसने मारा है तब तक इतनी जल्दी मुअत्तल करना ठीक नहीं है, लेकिन इसीलिये कि वे इन्क्वायरी के वक्त थाने में न रहें लाइन्स भेज दिये गये ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उनको जो चोटें लगी हैं वे घूंसों से लगी हैं इसलिये ऊपर कोई वरम नहीं है और इसीलिये उसकी डाक्टरी जांच नहीं हो सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सब-इन्सपेक्टर और स्टेशन अफसर तो मारना स्वीकार नहीं करते हैं । चोटों के बारे में डाक्टरी कराके ही जाना जा सकता है कि वे मारे गये या नहीं, लेकिन वह कराना उन्होंने स्वीकार नहीं किया ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विजयसिंह को पीटने के बाद उनको फाटक पर ला कर फेंक दिया गया था और जनता को जब खबर लगी तो सैकड़ों की तादाद में वहां पर आयी और जनसंघ के नेता नाना साहब भी वहां पर पहुंच गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस प्रकार की शिकायत तो एस० एस० पी० को की गयी है । बाकी उनको फाटक पर फेंक दिया गया, जिन सज्जन का नाम उन्होंने लिया वे पहुंचे या नहीं, यह सब तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---जब यह तथा कथित मार-पीट थाने के अन्दर हुई है तो किस आधार पर मंत्री जी यह अनुमान लगाते हैं कि विजयसिंह के लिये यह मुमकिन होगा कि वह शहादत पेश कर सकें कि अमुक व्यक्ति के सामने उनको पीटा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स की एक डिपार्टमेन्टल जांच होगी । जिनके भी सामने पीटा गया होगा उनका नाम तो उन्हें बतलाना ही पड़ेगा ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से उन्होंने इस विभाग की डिप्टी मिनिस्ट्री सम्हाली है तब से उनको पुलिस का कोई भी ऐसा केस मालूम है जिसमें पुलिस अधिकारी ने यह स्वीकार किया हो कि हमने फलां आदमी को पीटा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आम सवाल है, प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आरोप लगाया गया है कि एक मुलई व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा और ५ दिन के बाद बगैर केस चलाये छोड़ दिया तो क्या कम्पलेंट आफिसर से कह दिया है कि वह इसकी भी जांच करे कि उसको क्यों पकड़ा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, जांच तो सारी बातों की होगी जो लिखकर दी गई हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री विजयसिंह छात्र को मारते समय स्टेशन आफिसर शराब के नशे में चूर थे और जो देख रहे थे वह उनके साथी और मातहत थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन, शराब वाली बात तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ी।

श्री अध्यक्ष--मालूम होता है कि आप जुर्म को हल्का करना चाहते हैं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार बतायेगी कि दोनों दरोगाओं को लाइन हाजिर कराया गया है या महज एक को ही ?

श्री रामस्वरूप यादव--स्टेशन आफिसर को ही लाइन भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि अब बहस नहीं होगी। जितनी जानकारी लेनी थी वह लेली गयी और चूंकि जांच हो रही है इसलिये मैं समझता हूं कि इस विषय में अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री राजनारायण--अधिक आरोप छोटे दरोगा पर ही है और जब वह वहां है तो जांच कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब मुलई को छोड़ दिया गया तो खाना खाते समय क्यों दुबारा पकड़ लिया गया ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये गये अन्य विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन, मैंने कल भी एक प्रश्न दिया था कि.....

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि मैं एक ही विषय तो ले सकता हूं। आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दीजिये।

श्री उग्रसेन--श्रीमन, वह तो एक हफ्ते में आयेगा।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। हालत यहां की बहुत खराब है।

श्री उग्रसेन--वहां की हालत इससे भी ज्यादा खराब है।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)--श्रीमन, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठें।

श्री बंशीधर शुक्ल--बैठ क्या जायं, उस दिन मंत्री जी ने बताया था उसके बारे में कितनी दुकानें खुलेंगी इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष--आप लिखकर दे दें तो आपको उत्तर मिल जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल--उस दिन मंत्री जी ने कहा था कि...

श्री अध्यक्ष--जी नहीं।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का ताल्लुक है इसके ऊपर कई बार बहस हो चुकी है। अभी थोड़े दिन हुये जब अननुमोदन का रिजोल्यूशन आया था कि इसको डिसएप्रूव किया जाय

---

†१० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

तो उसके सिलसिले में बहुत तफसील से बहस हुई थी जिसमें जो उसके मेरिट्स हैं उन पर और जो बातें कही गई हैं उसके काफी एतराज किये गये और उनका जवाब दे दिया गया । बहरहाल मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है, जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार की तरफ से यह तजवीज आई थी कि कोर्ट फीस में कुछ बढ़ोत्तरी की जाय और वह बढ़ोत्तरी जब हुई तो हमने पहले यह तजवीज की थी कि रिट एप्लीकेशंस के ऊपर १०० रुपये कोर्ट फीस लगे जैसे कि आंध्र में लगाई गई है । लेकिन जब सदस्यों ने एतराज किया और कहा कि यह बहुत ज्यादा है तब हमने उसको घटाकर ५० रुपया कर दिया और हाउस ने उसे स्वीकार किया, कौंसिल से बिल मंजूर हुआ और गवर्नर की मंजूरी हुई और यकुम अप्रैल, १९५९ से यह नाफिज हो गया और १ अप्रैल से चलता रहा और मई तक जितनी रिट्स दाखिल हुईं उन पर ५० रुपये कोर्ट फीस दाखिल होते रहे। एक मुकदमा ऐसा था जिसमें यह कहा गया कि जो कानून है वह कोर्ट फीस ऐक्ट की दफा ४ के विरुद्ध है और और इसकी बहस हाई कोर्ट में हुई । कोर्ट फीस ऐक्ट की दफा ४ के अल्फाज यह हैं :—

"No document of any of the kinds specified in the first or Second Schedule to this Act annexed, as chargeable with fees, shall be filed, exhibited or recorded in, or shall be received or furnished by, any of the said High Courts in any case coming before such Court in the exercise of its extraordinary original civil jurisdiction ; or in the exercise of its extraordinary original criminal jurisdiction."

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जिला जौनपुर)—इसका तर्जुमा कर दीजिये।

श्री सैयद अली जहीर—हाई कोर्ट का जो गैर मामूली जुरिस्डिक्शन है, अगर उसमें कोई दरख्वास्त दी जायगी तो उसकी फीस शेड्यूल १ और २ में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से पड़ेगी । यह समझा जाता था कि हाई कोर्ट का आर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अपीलेट जुरिस्डिक्शन है लेकिन जो मुकदमा उनके ओरिजनल जुरिस्डिक्शन में जायगा तो वह एक्स्ट्रा-आर्डिनरी जुरिस्डिक्शन समझा जायगा । यह राय गवर्नमेन्ट की थी । हमारे जो लाइयर्स थे उनकी भी यही राय थी । इसी खयाल से यह जरूरी नहीं समझा गया कि दफा ४ में कोई तरमीम की जाय और महज शेड्यूल में तरमीम करके जो रिट अप्लीकेशंस पर फीस लगा करती थी उसके लिये एक अलग प्राविजन कर दिया गया और यह कहा गया कि रिट अप्लीकेशंस पर ५० रुपये कोर्ट फीस होगी । इस हाउस ने उसको मंजूर किया और वह लागू हो गया । लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट में गया, एक माननीय जज के सामने तो उनकी राय यह हुई कि दफा ४ में जो एक्सट्राआर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है उसमें उसी में फीस बढ़ाई जा सकती है और जो रिट अप्लीकेशन्स हैं, यह आर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है जो कि हाईकोर्ट को कांस्टीट्यूशन के जरिये से मिला हुआ है । लिहाजा इसके ऊपर फीस बढ़ाने का अधिकार जब तक दफा ४ में तरमीम न की जाय उस वक्त तक गवर्नमेन्ट को नहीं होगा । यह फैसला हुआ । यह सही है या गलत इसमें मैं नहीं जाना चाहता । उस फैसले की अपील गवर्नमेन्ट की तरफ से बेंच के सामने हो गयी है । आखिरी फैसला वहां होगा । लेकिन सूरत हाल यह हो गयी है कि जो फैसला माननीय सदस्यों ने और इस सदन ने किया था वह रुक गया क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज का फैसला हो गया । इस सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि उसी के साथ-साथ जहां शेड्यूल में और चीजें बढ़ायी गयीं वहां दरख्वास्तों के ऊपर बजाय ३ रु० १२ आने के ५ रुपये कोर्ट फीस कर दी थी और माननीय जज ने यह माना कि जहां तक ३ रुपये १२ आने को बढ़ा कर ५ रुपये किया गया है वहां वह कानून लागू है । इसलिये रिट अप्लीकेशंस पर भी ३ रु० १२ आने के बजाय ५ रु० कोर्ट फीस लगा करेगी । तो जब यह फैसला हो गया तो जाहिर है कि कुछ रिट अप्लीकेशंस ऐसी थीं जिन पर ५० रुपये की कोर्ट फीस लगी और कुछ ऐसी थीं जिन पर ५ रुपये की कोर्ट फीस लगी हुई थी ।

(इस समय १२ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त पीठासीन हुये।)

[श्री सैयद अली जहीर]

जुलाई के महीने में, मिडिल आफ जुलाई में १४ को या कोई ऐसी तारीख को हाई कोर्ट फिर खुलने वाला था और जब हाईकोर्ट खुलता है तो माननीय सदस्य जैसा जानते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में रिट अप्लीकेशंस वगैरह फाइल की जाती हैं। तो हमें यह खयाल हुआ कि जो फैसला यह सदन कर चुका है उसके विरुद्ध काम होगा और इस फैसले की वजह से हाईकोर्ट की जो फीस मुअय्यन की गई है और जो गवर्नमेन्ट चाहती है कि लगे वह न लगकर के जो दूसरा फैसला हाई कोर्ट का हो गया है उसके हिसाब से लगेगी। चुनांचे इस अहमियत को महसूस करते हुये हमने दूसरी जुलाई को यह आर्डिनेन्स जारी किया और उसके जरिये से हमने कानून में तरमीम कर दी कि जो एक्सट्राआर्डिनरी जूरिस्डिक्शन है उसके साथ-साथ आर्डिनरी और एक्सट्रा-आर्डिनरी जूरिस्डिक्शन बढ़ा दिया जाय। उसके बाद फिर गौर किया गया और हमको यह मालूम हुआ कि बाज लोग इस किस्म की बहस उठाने वाले हैं कि रिट अप्लीकशंस के ऊपर तो किसी हालत में भी चाहे आर्डिनरी जूरिस्डिक्शन हो, चाहे एक्सट्राआर्डिनरी जूरिस्डिक्शन, गवर्नमेन्ट का अधिकार कोई फीस लगाने का है ही नहीं।

बहरहाल, इसके लिये जब कानून हमने सदन में पेश किया तो उसमें हमने कुछ और थोड़ी सी दफात इसको और ज्यादा साफ करने के लिये शामिल कर दिया जो कि आपने पढ़ा होगा और आप देखेंगे कि जहां तक कि इस गवर्नमेन्ट के अधिकार का ताल्लुक है जो मुकदमे हाईकोर्ट में जाते हैं उसके ऊपर फीस ताय्युन करने का चाहे वह रिट हो चाहे कोई चीज हो, वह अधिकार कांस्टीटयूशन के जरिये से स्टेट गवर्नमेन्ट को मिला हुआ है। अगर आप लिस्ट २ का आइटम ३ देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जहां तक इस गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है इसको पूरा अख्तियार है ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में फीस लगाने का। उसके अल्फाज ये हैं, स्टेट लिस्ट के आइटम (३) के—"एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस, कांस्टीटयूशन ऐंड आर्गनाइजेशन आफ आल कोर्ट्स एक्सेप्ट दी सुप्रीम कोर्ट ऐंड दी हाई कोर्ट, आफिसर्स ऐंड सर्वेन्टस आफ दी हाई कोर्ट, प्रोसीजर इन रेंट ऐंड रेवेन्यू कोर्ट्स, फीस टेकेन इन आल कोर्ट्स एक्सेप्ट दी सुप्रीम कोर्ट"। तो उसके अल्फाज इतने वाइड हैं कि सरकार को पूरा अधिकार है कि वह रिट अप्लीकेशंस के ऊपर कोर्ट फीस लगाये। जहां तक कि इसका सवाल है कि आया यह फीस मुनासिब है या गैर मुनासिब है, यह सरकार को लगाना चाहिये था या नहीं लगाना चाहिये था मैं अर्ज करूंगा की यह सवाल बिलकुल इर्रेलेवेंट है। इसके ऊपर इस वक्त कोई बहस नहीं है। जिस वक्त कि ओरिजिनल कोर्ट फीस का बिल आया और वह मोशन हुआ और उसमें लिखा गया था कि रिट एप्लीकेशंस के ऊपर कोर्ट फीस ५० रुपये होगी, और वह तमाम जगहां भी और कौंसिल में भी मंजूर हुआ तो उसके बाद अब यह बहस उठाना ठीक नहीं है। बहस इस वक्त सिर्फ इतनी है कि जो कानूनी गुत्थी और रुकावट पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से कि इस सदन की मंशा को इंम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था उसको हमें दूर करना है। इसी के लिये हमने आर्डिनेंन्स जारी किया और जैसा आपने देखा होगा आर्टिकिल २१३ जो कांस्टीट्यूशन का है उसके मुताबिक ६ हफ्ते के अन्दर जब असेम्बली मीट करे तो उसके सामने कानून का लाना जरूरी है। तो आपके सामने कानून पेश कर दिया गया। जब यह तरमीम की गई तो जाहिर है कि छोटी-छोटी और कुछ जो खराबियां थीं उनको भी ठीक कर दिया गया। मसलन दफा ४ में हाईकोर्ट्स का हवाला है। उसमें आप देखेंगे कि जो अल्फाज हैं सेड हाई कोर्ट्स यह उस जमाने का है कि जब यह सेक्शन ३ के अल्फाज ये थे" आफ दी हाई कोर्ट्स अदर दैन दोज आफ केरल, मैसूर ऐंड राजस्थान"। यह अल्फाज उसमें तरमीम हो गये थे। बहरहाल और किसी हाई कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, तो हमने इन अल्फाज को "सेड हाई कोर्ट्स" को बदल दिया है। जाहिर है कि इसकी जरूरत नहीं है कि हम इसमें यह "सेड हाईकोर्ट" रखें। इसलिये इसमें जो एम्बीग्वीटी थी उसको हमने दूर कर दिया है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि इसके जो थोड़े से मार्जिनल नोट्स हैं उनमें भी हम एक तरमीम के जरिये से तरमीम करना चाहते हैं जिसको सरकार मंजूर कर लेगी। उसक अल्फाज यह हैं कि "इफ दि

अपीलेट जुरिस्डिक्शन" इसके बाद दो क्लाज हमने और बढ़ाये हैं। उनका नोट पेश कर दिया है जिसके जरिये से यह मालूम होता है कि सरकार की मंशा क्या है और क्या इस कानून की मंशा है। लिहाजा इस कानून का जो मंशा है उसमें वही चीज है जो कोर्ट फीस ऐक्ट में मंजूर हो चुकी है। उसके लिये कानूनी बाधा हमारे रास्ते में है उसको दूर करने के लिये यह तरमीमी कानून इस सदन में पेश किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने अर्ज कीं उसको देखते हुए इसका कोई खास विरोध नहीं होगा बल्कि इसको मंजूर किया जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि नियम १३१ के मातहत वह हाईकोर्ट का फैसला माननीय मंत्री सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसके ऊपर यह विधेयक आधारित है। साथ ही मैं यह भी अर्ज कर दूं कि यह डाकुमेंट्स हर रोज उनसे मांगे जाते हैं, लेकिन कभी नहीं मिलते। माननीय मंत्री जी के पास रहते हैं। इसलिये मंत्री जी से आइंदा के लिये कहा जाय कि वह सदन की मेज पर यह रख दिया करें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास वह हाईकोर्ट का फैसला है?

श्री सैयद अली जहीर---जैसा कि आप जानते हैं कि वह पब्लिक प्रापर्टी है। अखबारों में छप जाती है, ला रिपोर्टर में छप जाती है, हर शख्स उसकी कापी ले सकता है। इस वक्त मेरे पास वह हाईकोर्ट का फैसला नहीं है और न वह ऐसा डाकुमेंट है जो स्पेशली मेरे कब्जे में हो और जब तक मैं सप्लाई न करूं तो और लोगों को न मिल सके। उसको हर शख्स हासिल कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता---यह प्वाइंट यहां पर कई दफा उठ चुका है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इतना अर्ज करना चाहता हूं कि नियम १३१ में यह है कि विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्र की प्रतिलिपि, यदि कोई हो, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं। मैं अपने हक के अनुसार यह मांग करता हूं कि यदि वे कागज गोपनीय न हों तो सदन की मेज पर रखे जायं। अगर मंत्री जी कहें कि गोपनीय हैं तो मैं अपने तर्क को वापस ले लूंगा। यदि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं उसको कोर्ट से नहीं ले सकता हूं। यह तो सदस्यों का अधिकार है और मैं भी उसी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए यह मांग उनसे करता हूं। या माननीय मंत्री जी यह कहें कि बिना देखे ही उन्होंने पेश कर दिया है या अखबार पढ़कर ही यह बना लिया है। जब वह यहां पर लायें हैं तो उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे कागजात जो उनके पास हों वह मांगने पर हमको मिल जायं। यदि वह फैसला हमें नहीं मिलता है तो सदन का यह राइट खत्म हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता---पहले इसके विषय में निर्णय हो चुका है। इसलिये ....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---एक बात मेरी भी सुन ली जाती।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, अब मैं किसी को इसके लिये इजाजत नहीं देता। इसके विषय में पहले कई बार प्रकाश डाला जा चुका है। इसमें अध्यक्ष महोदय की भी रूलिंग है और मैंने भी निर्णय पहले दिया था कि जो पब्लिक डाक्यूमेंट हैं उसके लिये हम माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वह उसको इस सदन की मेज पर रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपकी आज्ञा से अपना यह संशोधन पेश करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी दो सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

श्रीमन्, अभी आपने जो निर्णय दिया उसके विरुद्ध तो मुझे कुछ कहना नहीं है लकिन जो अपनी

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कठिनाई है वह मैं अवश्य कह सकता हूं और वह यह कि सरकार की दिक्कत आपने सुन ली, लेकिन हमारी दिक्कत है कि जब-जब ऐसे विधेयक हमारे सामने आते हैं कि जिनका कारण यह हुआ करता है कि हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया और उस के आधार पर सरकार को किसी विधेयक में संशोधन करना पड़ा, उस हालत में वह निर्णय सदन के सामने रखना सरकार के लिये आवश्यक होता है और ऐसे ही समयों पर उस नियम का सहारा लिया जाता है। यदि यह निर्णय हमारे सामने न हो तो हम अपने विचारों को संगत रूप में आपके सामने नहीं रख सकते। जब-जब ऐसे कानून हमारे सामने आयेंगे जिनका आधार यह होगा कि हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि जिसके कारण यह संशोधन लाना पड़ा तब तक इस नियम की आवश्यकता पड़ेगी और सरकार यह कह देगी कि सदस्य उसको स्वयं हासिल कर लें। तो यह सिद्धांत की बात है और सदस्यों को उसके न मिलने पर डिबेट में एक बाधा पड़ सकती है। आपकी रूलिंग पर मैं कुछ न कह कर अपनी यह दिक्कत आपके सामने रखता हूं और चाहता हूं कि सरकार इस पर सोचे और इस बात की आड़ ले कर अपना बचाव न करे।

जो मैटीरियल हमारे सामने है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने दो बातें मानी हैं। पहली बात तो आर्डिनेन्स जारी करने के बाद जो आर्डिनेन्स के शब्द थे उनसे विधेयक के शब्दों में कुछ परिवर्तन करना पड़ा और उसका कारण यह बताया कि सोचने के बाद उनको यह शंका दिखलाई पड़ी। ज्योंही आर्डिनेन्स जारी हुई त्यों ही उस आर्डिनेन्स के खिलाफ भी हाईकोर्ट में रिट दाखिल हुआ और उस रिट को भी हाईकोर्ट ने ले लिया है। तो जो एक अनधिकार चेष्टा सरकार की तरफ से पहले कोर्ट फीस लगा कर हुई थी और दुबारा आर्डिनेन्स जारी कर के हुई, उन दोनों ही के विरुद्ध जनता की तरफ से किसी ने हाईकोर्ट के पास अपने आवेदन पत्र रखे।

दूसरी बात वित्त मंत्री जी ने यह कही कि इस विधेयक को पेश करने के साथ-साथ उन्होंने कुछ और भी परिवर्तनों पर विचार किया है और उनको वह स्वीकार कर लेंगे। मैं उनको संशोधनों के रूप में किन्हीं सदस्यों के नाम से देखता हूं। इससे जाहिर है कि सरकार का मस्तिष्क इस छोटी-सी गुत्थी के संबंध में उलझा हुआ है और कई जगह नीचे उतरता चढ़ता है। मैं आप से प्रार्थना करूं कि यह बहुत ही मासूम विधेयक दिखाई पड़ता है और इसमें यह बात कही गयी है कि कुछ थोड़ा हेर फेर करने के साथ हमने रिट में फीस हासिल करना बनाये रखा और उससे हम अपने खजाने की आमदनी में वृद्धि करते रहेंगे। यह लक्ष्य बताया गया है। किन्तु मैं यह बात रखना चाहता हूं कि इसमें दो प्रस्ताव नहीं हैं। क्या इस प्रकार से कोर्ट फीस में परिवर्तन करके खजाने का रुपया बढ़ाना न्यायोचित होगा...

श्री अधिष्ठाता—जो संशोधन माननीय मंत्री जी लाये हैं उससे मेरा खयाल है कि खजाने का रुपया बजाय ज्यादा खर्च होने के कम खर्च होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—खर्च की बात नहीं है, खजाने की आमदनी की बात है। मैंने जो संशोधन रखा है इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का उसके कारणों में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो कोर्ट फीस की बढ़ी हुई दर को रखने की चेष्टा की जा रही है कि वह कायम रहे, उससे खजाने में सरकार का रुपया बढ़ेगा, वह टैक्स, वह रुपया, टैक्सपेयर को ही देना होगा। तो प्रश्न यह है कि आपके खजाने में रुपया बढ़ते रहना उचित होगा, यह प्रश्न भी हमें देख लेना है और यह प्रवर समिति के सामने आ भी सकेगा। दूसरा जो संशोधन प्रवर समिति में भेजे जाने के संबंध में है वह यह है कि क्या इस प्रकार का परिवर्तन कोर्टफीस ऐक्ट में शामिल कर देना न्यायसंगत होगा कानून के लिहाज से, हमारे अधिकार के अन्दर होगा?

एक सदस्य—कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--यह पहले से तय हो चुका है कि इस बारे में, कोरम के बारे में, कोई प्रश्न नहीं उठायेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---वह १ और २ बजे के बीच में होता है।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है।

(घंटी बजायी गयी, कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अब घंटी आइंदा नहीं बजनी चाहिये, क्योंकि यह सरकार का काम है कि कोरम पूरा रहे। बार-बार घंटी बजा कर कोरम पूरा करने से कैसे काम चलेगा?

श्री अधिष्ठाता---बार-बार कहां बजी, पहली बार बजी है।

श्री राजनारायण---आइंदा के लिये नियोजित कर दें ताकि सदन का दुरुपयोग और अपमान न हो।

श्री अधिष्ठाता ---(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आप जारी रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आपके सामने यह रख रहा था कि यह जो हमारे सामने विधेयक है, इसकी धाराओं को आधार मानकर इस पर विचार करना होगा। अब जो इसमें खंड, उपखंड हैं उनके प्रभाव के ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूं। इसमें "ऐनी आफ दि सेड हाई कोर्ट स" के स्थान पर "दि हाई कोर्ट आफ जुडीकेचर ऐट इलाहाबाद" रख रहे हैं, इससे कहते हैं कि ऐम्बिगुइटी दूर हो जायगी। तीनों हाई कोर्ट, "अदर दैन दोज आफ केराला, मैसूर ऐंड राजस्थान", के स्थान पर अब उसको रखा है, इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही "इन दि एक्सरसाइज आफ इट्स" और "एक्सट्राआर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन" के बीच में "आर्डिनरी आर" जोड़ना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने नयी चीज रखी है जो नये रूप में लायी जा रही है जो पहले आर्डिनेन्स में नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दो या तीन या चार या इसके बाद और सरकार जो सोच पायेगी, क्योंकि उसके सोचने का क्रम जारी ही रहता है, अपनी गलतियों को सरकार समझेगी? वह अपनी गलतियों को जान लेना सौभाग्य समझती है, गलतियों पर शर्म खाना नहीं जानती। अब भी, इन ३-४ परिवर्तनों के बाद भी मैं आपके द्वारा बता देना चाहता हूं सरकारी पक्ष के सदस्यों को कि अब भी सरकार को हेर फेर करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बावजूद भी वह उचित परिवर्तन नहीं होंगे। क्योंकि इसमें जनता के एक बहुत बड़े मूलाधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है कि जब कभी किसी को किसी संबंध में एक उचित सहायता या निर्णय न मिल रहा हो तो वह उस समय इन रीतियों के द्वारा न्याय का पक्ष और सहारा ले सके और ऐसा करने के लिये हर नागरिक के लिये मार्ग सुलभ होना चाहिये चाहे वह नागरिक नितान्त निर्धन ही क्यों न हो और चाहे वह कितना ही निस्सहाय क्यों न हो। आप देखें कि अपने भारतवर्ष की स्थिति में आज सबल ही निर्बल के साथ अन्याय करता पाया जाता है। माइट इज राइट, वाली बात हर लाइन में देखी गई है और लोगों द्वारा यह भी कहते सुना गया है कि रुपये के बल पर तुम्हें नीचा दिखा देंगे। यह जो रिट की व्यवस्था हमारे सामने इस विधान में है उसमें एक विशेष सरलता या आसानी थी कि उसकी फीस केवल ३ रुपये १२ आने से सरकार के कथनानुसार ५ रु० पहले की गई थी लेकिन यकायक पिछले ही सालों में उसे १०० रु० करने का प्रयास किया गया और फिर ५० रु० के रूप में उसे मान लिया गया है।

मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यह बढ़ोत्तरी न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यह उन निर्धनों के लिये हमेशा अहितकर होगी या उन लोगों के लिये जो निस्सहाय हों,

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

या न्याय न प्राप्त कर सकते हों। अतः यह हाईकोर्ट की उस निर्देशित भावना का भी उल्लंघन है जो यह सरकार की ओर से फीस बढ़ाये जाने की चेष्टा से हो रही है। इस ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह शब्द बढ़ाये जा रहे हैं "or in the exercise of its jurisdiction to issue directions, orders or writs under the Constitution of India"। यह एक नयी चीज और बढ़ाई जा रही है। अभी तक यह चीज नहीं थी। इसमें यह शब्द "to issue directions, orders or writs" और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो और शब्द रखे गये हैं वह यह हैं "or in the exercise of its jurisdiction in any other matter". यह शब्द बहुत ही विस्तृत शब्द हैं। यह इतना व्यापक टर्म है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे शब्द रख कर के हम सरकार को एक बड़ी रस्सी दे देते हैं जिससे सरकार को रिट्स के संबंध में अपनी पूरी सुविधा मिल जाती है और उसके लिये लम्बी फीसों को चार्ज करने में आसानी हो जाती है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, पिछले दो-तीन मामलात में रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये हैं कि इस सरकार के ऐक्टों में कभी भी सुनिश्चित और सोचे हुए शब्द नहीं होते हैं बल्कि बड़े ही वास्ट और वाइड हुआ करते हैं जिनका अर्थ मिसकैरी हो जाता है और उनका इण्टरप्रिटेशन करने में सरकारी अधिकारी उनको दुरुपयोग कर ले जाते हैं। आज भी जो यह सरकार ने इस प्रकार के शब्द बढ़ाने की कोशिश की है वह उसी प्रकार की समस्या है। इसके साथ मुझे संदेह हो रहा है कि अभी जो संकेत किया गया कि हम कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लेंगे, यह क्या जाहिर करता है ? यह जाहिर करता है फर्स्ट थाट, देन सेकेंड थाट और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से विचार सरकार के सामने आते जाते हैं और सरकार कभी दृढ़ निश्चय न होने के कारण हमेशा चूकती चली जाती है और बार-बार अपनी गलतियों की तरफ आकर्षित होती जाती है या मानती जाती है। मैं उन्हीं सब विचारों के लिये चाहता हूं कि सरकार अपना माइण्ड फिक्स्ड करे और अपनी बात पर पूर्ण विचार करके हमारे सामने आवे।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--माननीय अवस्थी जी कृपया अंग्रेजी में न बोलें और माइक के सामने मुंह करके बोलें क्यों के उनकी बात समझ में नहीं आ पाती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं मशीन को कैसे सुधार सकता हूं ? यह तो अक्सर हम से कह दिया जाता है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है या बहुत कम आती है। जैसी परिवर्तनशील इस विधेयक के संबंध में हमारी सरकार है उसे देखते हुए यह लगता है कि यह बिल हाई कोर्ट में जाकर नल ऐंड वायड हो जायगा। मैं मानता हूं कि कुछ संशोधन सरकार के इशारे से लाये जा रहे हैं। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे और वह देर न लगावे ? मैंने अपने संशोधन में केवल २ सप्ताह यानी १४ दिन का समय रखा है।

एक संशोधन माननीय नरेंद्रसिंह विष्ट की तरफ से आया है, ऐसे ही और भी संशोधन आ सकते हैं और उन सब पर विचार करने के लिये इसका प्रवर समिति में जाना नितान्त आवश्यक है। मेरा संशोधन न तो डिपलेटरी है और न वह किसी प्रकार से विरोध के रूप में है। वह सरकार को एक सुमार्ग देने के लिये है जिससे गल्तियां ठीक की जा सकें। मैं मूलतः रिट पर कोर्ट फीस बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। कहा गया कि सदन की राय को ही यह सरकार प्रयोग में लाने का प्रयास कर रही है। जो राय सदन की है वह सरकार की राय अवश्य थी लेकिन सरकार के साथ उन लोगों की राय नहीं थी जो चाहे आज अल्पमत में ही कहे जाते हों लेकिन उनकी राय भी वैसा ही वजन रखती है जैसा कि सरकार की राय रखती है। सरकार और अल्पमत में केवल संख्या का अन्तर है, लेकिन बुद्धि का अन्तर नहीं होता है। सभी सदस्यों ने कहा था कि ऐसे निर्धन देश में किसी भी

चीज में एक पाई भी बढ़ाना अनुचित है। ३ रु० १२ आ० की जगह ५ रु० कर चुके हैं और अब उसका ५० रु० करना हर हालत में अनुचित है। यह जनता के मूलाधिकार का हनन करना है और हमारे संविधान को निष्फल करना है। उसे निरर्थक बनाने के समान है। जहां हमारा जीव या प्राण है वहां आघात करना उचित नहीं है। फिर भी यदि सरकार मानती है कि यह विचार सदन का है तो उसे दोबारा सोचना चाहिये। अपनी गलती को यह सरकार तब तक नहीं मानती है जब तक कि उसी के पीछे बैठने वाले उसे ठोकर नहीं मारते हैं इसलिये इसे सरकार छोटी-सी गलती न माने क्योंकि आगे चल कर यही उसके कफन में एक कील हो सकती है....

श्री अधिष्ठाता---आप अपने प्रस्ताव के पक्ष में काफी कह चुके हैं, उसे रिपीट करना अनुचित मालूम होता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं अपनी बात खत्म करने पर आता हूं तो आप क्यों मुझे टोकने की जरूरत समझते हैं। ए जज इज नोन बाई दी पेशेंस ही कीप्स (A Judge is known by the patience he keeps.)

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---अब ठीक १ बज गया है, इसलिये कोरम की जरूरत नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन जब जज की ही पेशेंस बहुत जल्दी खत्म होने लगती है तो कभी-कभी संदेह होने लगता है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। बहरी और अंधी सरकार को रिपीटीशन क्या, ढोल से भी जोरदार चिल्लाने वाली चीज चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह---सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९५९ तक दे दे।

श्री अधिष्ठाता---आपके और मोतीलाल अवस्थी जी के संशोधनों में केवल परिधि बढ़ाने का ही तो अन्तर है।

राजा वीरेन्द्र शाह---इस विधेयक में बहुत सी खामियां हैं, जैसे अगर कोई किसी शिक्षा संस्था को कुछ दान देना चाहता है तो इस बिल के अनुसार उसे कोर्ट फीस में कोई रियायत नहीं है। यह बड़ा भारी अन्याय है? मैं समझता हूं कि यह जनहित में होगा कि इस अवसर से ऐसी बातों को ठीक करने के लिये फायदा उठाया जाय और इस विधेयक की परिधि बढ़ाते हुए इसे प्रवर समिति में भेजा जाय। मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह एक भूल सुधार विधेयक है। मैं इसका समर्थन करता हूं और संशोधनों का विरोध करता हूं। इन संशोधनों में कोई तथ्य नहीं है। इस प्रदेश में चकबन्दी के संबंध में किसानों की बहुत सी कठिनाइयां हैं जो हिमालय जैसी हैं उनको अपील और रिवीजन में हाई कोर्ट में पहुंचने का कोई साधन नहीं है। न कोई विधि है और न कोई विधान है। उनका दारिद्रय बहुत ही दुखमय है। इसलिये रिट के संबंध में जब एक कोर्ट फीस ऐक्ट लाया गया तो चकबन्दी के किसानों के लिये भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जैसे मूल अदालतों में, नीचे की अदालतों में....

श्री अधिष्ठाता---रामलखन जी, ये तो आप वही बातें कह रहे हैं जिनसे यह साबित होता है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री रामलखन मिश्र—मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं मैं केवल उनको स्मरण दिला रहा हूं और प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव का हृदय से विरोध करता हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक भूल सुधार विधेयक है और उस भूल सुधार के लिये धारा ४ में आर्डिनरी और एक्स्ट्राआर्डिनरी शब्दों में संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। उसी प्रकार से मैं एक और भूल सुधार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि चकबंदी के किसानों को रिट में जाने की सुविधा मंत्री जी प्रदान करें। आज न सही तो आगे कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी इसमें कर दें क्योंकि चकबंदी के किसानों की इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजे जाने का विरोध करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कोई अवसर भविष्य में चकबंदी के किसानों के लिये भी निकालने का प्रयत्न करें।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोर्टफीस बढ़ाने का जो कार्य सरकार ने किया है उसको मैं समझता हूं कि सरकार ने कोई नासमझी से नहीं किया, सरकार ने बहुत समझ-बूझ कर किया है। कम से कम इतना तो है कि जो रिट की फीस हाई कोर्ट में थी, उसको इतना कर दिया गया कि पहले से वह ज्यादा हो और इस विधेयक के अनुसार जो आर्डिनेन्स पास किया गया है, उसको ऐक्ट का रूप दिया जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जनतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि सस्ता न्याय सबको मिल सके। अगर जमीन रखने वाला कोई आदमी है या किसी प्रकार की कोई जायदाद है या रोजी का काम करने वाला आदमी है तो उसे रिट में जाने की संभावना हो सकती है, ऐसा समझना चाहिये। जब यू० पी० की गवर्नमेन्ट श्रीमन्, यह दुहाई दे सकती है कि हमारे प्रदेश के वे लोग जो बम्बई में भीख मांगने गये हैं, उनको यह वैधानिक अधिकार है कि वह हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में भीख मांग सकते हैं। बाम्बे की सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा कि बाम्बे में उत्तर प्रदेश के भीख मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं अगर वह वापस चले जायं तो हमारा काम हल्का हो जाय। जब मैं बाम्बे गया था तो मुझे उलाहना दिया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हिन्दोस्तान के हर नागरिक को अपने पेशे को चुनने का अधिकार है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार अपने कान्सटीट्यूशनल राइट्स को इतना एसर्ट कर सकती है तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपने अधिकारों को एसर्ट कर सकता है और उसके लिये संभवतः किसी मौके पर भी हाई कोर्ट में जा सकता है। भीख मांगने वालों को ५० रुपया दाखिल करके रिट करना पड़े तो क्या होगा ?

माननीय राम लखन जी ने बहुत ही सही मामले की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। पिछले वर्षों में जब चकबंदी का काम शुरू हुआ तो अकेले मुजफ्फरनगर जिले में, यदि मेरी याद ठीक है, २०० से ज्यादा मुकदमें रिट के किसानों ने हाईकोर्ट में दायर किये और २०० मुकदमे बहुत मुकदमे होते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी गलत बात होगी कि हम इस विधेयक की स्वीकृति बगैर समझे बूझे दे दें। प्रस्ताव केवल इतना है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। सेलेक्ट कमेटी में जाने का मतलब यह होता है जैसा कि माननीय रामलखन मिश्र जी ने संकेत किया, माननीय अवस्थी जी भी इस मामले में बतला सकते हैं और लोग भी इस बात को बतला सकते हैं कि कहां पर यह फीस बढ़ायी जानी चाहिये, यह रकम कहां पर बढ़ायी जानी चाहिये और कहां पर नहीं बढ़ायी जानी चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि असल में हमारे प्रदेश की जो एक्जीक्यूटिव है वह हाईकोर्ट से घबड़ाती है। एक मामले में ही नहीं बल्कि अनेक मामले में उसको वहां से चपत मिली है। शासन की गलतियों का मैं यहां वर्णन नहीं कर सकता और न गिनती ही बतला सकता हूं लेकिन ग्लेरिंग एक्जाम्पिल जो हमारे सामने है उसकी मैं आपको याद दिलाता हूं। पिछले साल मोदीनगर में एक झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मैजिस्ट्रेट ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---माननीय गेंदा सिंह जी, यहां प्रस्ताव यह है कि सेलेक्ट कमेटी में जाय या न जाय, उसी के ऊपर आप तर्क उपस्थित करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदासिंह---मैं यही तो कह रहा था कि सेलेक्ट कमेटी में क्यों जाना चाहिये और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में न जाने के लिये जो जोर पड़ेगा उस तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक्जीक्यूटिव किसी भी हालत में इस रकम को कम करने के लिये राजी नहीं हो सकती है। क्योंकि जेलखाने में कोई आदमी रहे तो मुझे तो नहीं मालूम है कि जेलखाने में रहने पर रिट फीस लगेगी या नहीं लगेगी लेकिन अगर सरकार किसी पर कोई हमला करेगी, तथा सरकारी अधिकारी जो भी गलती करेंगे उनकी गलतियों के लिये कोई इलाज नहीं है और श्रीमन्, शासन और न्याय को अलग न करने की कुछ कड़ी है। शासन और न्याय को अलग न करने के सम्बन्ध में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक दफा कहा था कि भाई कुछ वजह है जिस वजह से हम उन्हें अलग नहीं कर रहे हैं। बहुत सफाई के साथ उन्होंने कबूल किया था कि अगर हम अलग कर देंगे तो तुम लोग बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दोगे। वह बात इधर की उधर रह गयी लेकिन वे बात वही कह गये जो असल थी कि आप न्याय के काम में दखल देते हैं।

श्रीमन्, आपके सामने मैं मोदीनगर के उन सारे मामले की चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन जहां तक एक्जीक्यूटिव के काम का सम्बन्ध है, यह निश्चय है कि एक्जीक्यूटिव हाईकोर्ट से घबड़ाती है, सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पी०एस०पी० के प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी को इस इल्जाम में वहां बन्द कर दिया गया कि उन्होंने दफा १४४ तोड़ी। वह इस प्रकार तोड़ी कि उन्होंने वहां के मैजिस्ट्रेट से कहा कि हमको इजाजत दे दी जाय, हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। मीटिंग करने की इजाजत वे चाहते थे लेकिन जिस वक्त तक वे मीटिंग करना चाहते थे उस वक्त तक मैजिस्ट्रेट ने उनको इजाजत नहीं दी। पहले कहा, बाद में कहा, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा वे गये, दूसरे लोग गये और उनसे जाकर आवेदन किया, निवेदन किया और उनकी जानकारी में लाने की कोशिश की कि वक्त बीतता जा रहा है कृपा करके आप इजाजत दे दीजिये। जब उन्होंने इजाजत नहीं दी तो मजबूर होकर वहां मीटिंग हुई और उस मीटिंग के सिलसिले में वे गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार करने के बाद यह बात गवर्नमेन्ट के नोटिस में लायी गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाहते थे कि यह मामला तो पी०एस०पी० जैसे आर्गेनाइजेशन के प्रधान मंत्री का है जिसको इस पवित्र सदन में भी उन्होंने प्रमुख विरोधी दल मान रखा है। उस दल के प्रधान मंत्री जेलखाने में हों तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाहते थे कि उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिये, यह उनकी नीयत जरूर होगी। लेकिन यह नीयत होने के बाद भी किसी कीमत पर वे श्री चन्द्रशेखर जी को छोड़ने के लिये तैयार नहीं हुये, गलती कर गये, मेरठ की मैजिस्ट्रेसी गलती कर गयी और ऐसी जगह पर गलती हुई थी कि वह पकड़ गयी थी। लेकिन वह किसी भी हालत में उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर में हम तो यहां बातचीत करते रहे और माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन पर, भरोसे पर सब हुआ और चन्द्रशेखर जी ने एक रिट मूव किया था, उसके बाद आप मैजिस्ट्रेसी का हाल देखें कि वहां से एक अहलमद हाईकोर्ट में जवाबदेही के लिये भेजा गया। श्रीमन्, हाईकोर्ट का जो उस पर फैसला हुआ है वह देखने लायक है और मैं चौधरी धर्म सिंह जी से कहूंगा कि वह मेहरबानी कर के उसे मंगा कर जरा पढ़ लें। उस में बड़ी भारी लानतमलामत की गई है कि यह निहायत अशिष्टता की बात है और यदि आइन्दा ऐसा हुआ तो बहुत सीरियस व्यू इसका लिया जायगा और ऐसा फैसला देकर चन्द्रशेखर जी को रिहा कर दिया गया। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि एक्जीक्यूटिव का एक ऐसे नागरिक के साथ यह व्यवहार है। मैं अपनी चर्चा नहीं करूंगा, मेरी तो बड़ी खातिरदारी इस सरकार से होती है, और दो, तीन, चार बार खातिरदारी हो चुकी है और उस में सरकार को मुंह की भी खानी पड़ी है लेकिन इस तरह से ऐक्जीक्यूटिव के शिकार हम और चन्द्रशेख र जी ही नहीं देश में बहुत से लोग होते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया मैं तो विरोधी हूं सरकार का और चन्द्रशेखर जी भी उसके विरोधी कैम्प को आर्गेनाइज करते हैं लेकिन मुजफ्फरनगर के जो २०० किसान थे वह तो सरकार के दोस्त थे

[श्री गेंदा सिंह]

और उन २०० किसानों ने चकबंदी से ऊब कर हाईकोर्ट में जाना मुनासिब समझा और वह साढ़े ३ रुपया व्यय कर के चले गये। हम समझते हैं कि चकबंदी में जो रिश्वत खोरी होती है उस को कम करने में रिट से मदद मिलती और रिट में लोगों के न जाने से रिश्वतखोरी में मदद मिलेगी, जो साढ़े ३ रुपये से हाईकोर्ट द्वारा कान खींचे जा सकते थे वह अब सम्भव न होगा, क्योंकि ५० रुपया कौन व्यय कर सकता है।

श्रीमन् मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि मेहरबानी कर के वह भारतवर्ष के आंकड़ों को देखें। मैं किसी व्यक्ति की नियत की बात नहीं करता लेकिन यू०पी० की सरकार की नियत जुडीशियरी के काम में दखल देने की है या उसको डिफंक्ट करने की है, वह चाहती है कि जुडिशियरी के काम में बाधा पड़े। मैं प्रमाण दे सकता हूं कि अमुक कारण है जिनके कारण मैं कहता हूं और दावा करता हूं कि पिछले २ साल में इस बात की गिनती कराई गई कि भारत के किन-किन हाईकोर्ट्स में बकाया मुकदमे पड़े हैं तो मालूम हुआ कि पंजाब, बम्बई और अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में यू०पी० में ही ज्यादा मुकदमे बकाया पड़े हैं। जजों की नियुक्ति में किफायतशारी क्यों की जाती है जब इतने मुकदमे बकाया पड़े हैं?

श्री अधिष्ठाता--आप तो बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्री गेंदासिंह--थोड़ी देर में ही खत्म किये देता हूं। मैं सरकार की उस नियत पर जाता हूं, उससे कड़ी जोड़ता हूं···

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, इस बिल के लिये आज सुबह नेता विरोधी दल ने समय नियत कर दिया था, अगर समय का ख्याल कर के ही चला जाता तो अच्छा होता। उन्होंने कहा था कि यह ढाई बजे तक चलेगा और २ १/२ से ५ बजे तक बिजली वाला विधेयक चलेगा। इस का ध्यान माननीय सदस्यगण रखें तो अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता--ठीक है, यह ध्यान रखकर ही माननीय सदस्य समय लें तो ठीक है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--मैं इसका विरोध करता हूं, ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी।

श्री गेंदासिंह--मैं स्वयं अनावश्यक बात कहने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन इस बात पर सदन को विचार करना चाहिये कि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके। सदन को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि एक्जीक्यूटिव जो है वह जनता के अधिकारों पर हमला करती है। अगर जुडिशियरी में सस्ता न्याय पाने का अधिकार न रहा तो मन में क्रोध बढ़ेगा और क्रोध बढ़ेगा तो हम नहीं चाहते कि दूसरे तरीके लोग सोचें अपनी हिफाजत करने के लिये। इसलिये मुझे कहना पड़ा। अब मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। एक उदाहरण सरकार को अपने हृदय को टटोलने के लिये काफी है। जरा मोदीनगर वाले मामले में पता लगावें। धर्म सिंह जी के पड़ोस का मामला है। धर्म सिंह जी को देखने से मैं समझता हूं कि छोटे शिव और बड़े शिव की मूर्ति बराबर ही होती है। सबसे मुक्ति मिल जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस नियत से जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग नहीं करना चाहते हैं, जिस नियत से हाईकोर्ट के जजों की तादाद नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जिस नियत से जूडिशियल मैजिस्ट्रेटों को कलेक्टर के अधीन रखना चाहते हैं, जिस नियत से एक्जीक्यूटिव की पावर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, वही नियत मैं इसमें पाता हूं कि रिट के रसूम बढ़ाये जायं और लोगों को मजबूर किया जाय कि जहां एक्जीक्यूटिव का भंडाफोड़ होता हो वह न हो सके। अगर सरकार की नियत दुरुस्त है, जो मैं उसके ऊपर लांछन लगा रहा हूं वह गलत है तो--जो आर्डिनेंस पास हुआ है उसमें कुछ ही समय बीता है और इसी सेशन में सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी--इस तरफ के लोगों

की बात छोड़िये और जिस बात की चर्चा रामलखन जी ने की उसकी व्यवस्था कीजिये कि जो लोग रिट में जाना चाहें वह सस्ते में जा सकें और उन्हें सस्ता न्याय मिल सके। इसलिये मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इसे भेजे जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोर्ट फीस संशोधन विधेयक जो इस सदन में पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये भी जो प्रस्ताव है उसका इसलिये विरोध करता हूं कि इतने छोटे-छोटे बिल जिनको एक-दो घंटे में आप आगे बढ़ा सकते हैं, पास कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कमेटी में भेजने से---इसके बाद काउन्सिल में भी जायगा---और ज्यादा देर लगाने से कोई लाभ जनता और देश का नहीं होगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि मैं इसमें कुछ समय नियत कर दूं तो अच्छा होगा।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, इसमें कोई समय नियत नहीं होना चाहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मान्यवर, आप जो समय निर्धारित कर रहे हैं, कभी चेयर की तरफ से ऐसी रूलिंग नहीं आई। सामान्य विवाद में समय निर्धारित नहीं होता है, यह माननीय सदस्य ध्यान रखते हैं।

श्री अधिष्ठाता---नियम ११२ के अनुसार हम समय निर्धारित कर सकते हैं। एक मोशन विचार के लिये इधर से आया है और उधर से अमेन्डमेंट भी आया है इसलिये हम समय निर्धारित कर सकते हैं कि माननीय सदस्यों के लिये १० मिनट का समय रहेगा।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं माननीय मोतीलाल अवस्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जैसा कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ में लिखा हुआ है कि रिट पेटीशंन्स जो होते हैं वे "साधारण प्रारंभिक दीवानी क्षेत्राधिकार" के अधीन आते हैं और "असाधारण" नहीं होते और चूंकि १८७० के कोर्ट फीस ऐक्ट के धारा ४ के अन्दर यह दिया हुआ हैं कि जो मुकदमें साधारण तरीके के दीवानी क्षेत्राधिकार के अन्दर होंगे उसकी फीस बढ़ायी नहीं जा सकती, इसलिये हाई कोर्ट ने इसे 'अल्ट्रावायरेस' करार दे दिया जिसके कारण सरकार पचड़े में पड़ गई। सरकार ने डबल बेंच के सामने अपील कर रखी है। जब सरकार की अपील पड़ी है तो कौन-सा ऐसा भय पैदा हो गया जिसकी वजह से सरकार को राज्यपाल को सिपारिश करनी पड़ी कि अध्यादेश निकाल दें और फिर मंत्री जी बिल लायें? यह विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना खाद्य समस्या का विषय है। पूर्वी जिलों में सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, सारे प्रदेश में जो भुखमरी का नंगा नाच हो रहा है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्रीमन, मैं बतलाऊं, माननीय गेंदा सिंह जी ने इशारा किया। मुझे पता है गवर्नमेन्ट ने अभी डायरेक्टर आफ लिटिगेशन का कोई पद निकाला है। जहां तक मेरी सूचना है, सरकार डरती क्यों है, लखनऊ और इलाहाबाद बेंचों के सामने ७,००० से ज्यादा रिटस पेंडिंग हैं। क्यों न हों, भारतीय संविधान के अन्दर मेरी राय में अगर हमें सबसे अच्छी चीज मिली, यों तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, व्यक्तिगत अधिकार क्या है, सोशल अधिकार क्या है, ऐसोशियेशन के अधिकार क्या है, मांग रखने का क्या अधिकार है, यह सब कुछ है, मगर तत्काल फायदा पहुंचाने के लिये रिट आफ मेंडामस, रिट आफ सरशियोरारी और इसी प्रकार से एक और रिट है जिसका प्राविजन किया गया है जो सबसे जरूरी चीज है। जब कहीं जुडिशियल कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिलता है और भारतीय संविधान की धाराओं की हत्या की जाती है तो हमारे सामने कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हाई कोर्ट में जायं। यदि हाई कोर्ट में जाने के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

कुतुब मीनार की सीढ़ियां लगा देंगे तो गरीब आदमी तो जा नहीं सकता। मंत्री जी कहते हैं यह प्रश्न नहीं है कि यह महंगा पड़ा या सस्ता पड़ा। प्रश्न यह है कि १८७० के जूरिस्डिक्शन में आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो दफा ४ को वाइडेन करेंगे इसलिये इसको लाये हैं। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा क्या जरूरत सरकार को पड़ गई कि धारा ४ को वाइडेन किया जाय ताकि यह चीज आ जाय ? कोई आवश्यकता नहीं है। यही नहीं अमेरिका में जब कोई ऐसी गम्भीर स्थिति आती है तो जा-जा कर वहां के लोगों ने रात के १२ बजे जजों को जगाया है और उस समय रिट्स ऐडमिट हुये हैं। यहीं पर डाक्टर राम मनोहर लोहिया पर जब मुकदमा चल रहा था तो माननीय राजनारायण जी रात को १२ बजे जज साहब के यहां गये और दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से केस दायर किया। ऐडवोकेट जनरल ने राय दी कि यह मुकदमा वापस ले लिया जाय और सरकार के एजेन्ट ने दिल्ली में मुकदमा वापस ले लिया। सम्भवतः वह जस्टिस कपूर थे उन्होंने रिमार्क क्या दिया—"इट इज स्कैंडलस"। जब कभी डाक्टर लोहिया की रिट्स आती हैं तो सरकार मुकदमा वापस ले लेती है। मणिपुर का मुकदमा वापस लिया गया। अगर एक-एक रिट के फैसले पढ़े जायं तो पता नहीं सरकार के ऐडवोकेट जनरल किस मर्ज की दवा हैं। अभी मैं इलाहाबाद गया था देखा माननीय मिश्रा जी की बड़ी भारी कोठी है, बड़ी मोटर में बैठकर घूमते हैं ....

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं इससे क्या मतलब है। माननीय सदस्यों को कुछ सीमाओं के अन्दर भाषण करना चाहिये। आपकी प्रिविलेज्ड पोजीशन है तो इसका यह मतलब नहीं कि हर व्यक्ति को घसीट कर यहां ले आयें।

श्री उग्रसेन—मैंने श्रीमन्, रेफरेंस के तौर पर कहा था। खैर आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

दूसरी बात यह कहनी है अभी झांसी, हमीरपुर, बरेली के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स ने जो फैसले किये हैं उन पर हाई कोर्ट ने बहुत गम्भीर टीका-टिप्पणी की है। एक की चर्चा मैं माननीय मंत्री जी के सामने कर देना चाहता हूं। हम लोगों के सामने सिवा रिट दायर करने के कोई चारा नहीं रहता है। बलिया के मामले में चर्चा करते हुये हाई कोर्ट के जजेज ने यहां तक लिखा है कि लोग अपने बीमार कुत्ते की दवा करते हैं लेकिन बलिया का एक आदमी डकैती में घायल हुआ और ८ बजे रात को वह अस्पताल में जाते-जाते मर गया, पुलिस ने उसकी परवाह नहीं की और यह भी टीका की कि अधिकांश जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स का फैसला पुलिस के पक्ष में होता है। ऐसे फैसले जब जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने आते हैं तो हम रिट लगाते हैं, फिर रिट पर फीस पहले साढ़े ३ रुपये थी, बाद में ५ रुपये कर दी थी लेकिन अब ५० रुपये हो जायगी। क्या माननीय मंत्री बतला सकते हैं कि कोई भी मजदूर यूनियन का आदमी ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ फैसला होने पर संविधान के मातहत दिये हुये अधिकार की शरण ले कर रिट दायर कर सकता है ? नहीं शरण ले सकता। तो क्या वे चाहते हैं कि संविधान के अन्दर प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग वह न कर सके, अधिकांश लोग लाभ न उठा सकें ? अगर यह चाहते हैं तब तो ठीक है वर्ना इस की कोई जरूरत नहीं थी कि धारा ४ की जो सीमा है उसको काफी बढ़ा दिया जाय।

माननीय मंत्री ने ला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी। उस में लिखा गया है कि किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की गयी है। किस तरह से एक्जिक्यूटिव ने कांग्रेस राज्य में धांधली की है, किस तरह से प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं किया गया, यह सब चर्चा ला कमीशन की रिपोर्ट में दी हुई है। जब जजों की भर्ती में अन्याय, एक्जीक्यूटिव द्वारा दबाव पड़े, पुलिस के कांस्टेबिल व चौकीदार की नियुक्ति में ही नहीं बल्कि जजों तक की नियुक्ति में कुनबा परस्ती होती हो तो फिर न्याय कैसे प्राप्त हो सकता है ? मेरा चार्ज है मंत्री जी पर कि रिट के जो फैसले हुये हैं वे ज्यादातर सरकार के खिलाफ हुये हैं। इसीलिये सरकार बन्दिश लगाना चाहती है और बंदिश लगाने

के लिये सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है सिवा इसके कि १८७० का कोर्ट फीस ऐक्ट जो है उसकी दफा ४ को वाइडेन करें। सरकार डबुल बेंच के जजों के फैसले का इंतजार करती। बीच में कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। दूसरे मुझे यह भी निवेदन करना है कि अगर यह विधेयक इस समय नहीं आता तो कौन-सी खामी रह जाती। हाई कोर्ट के जजेज मौजूद हैं। सारी कोर्ट्स मौजूद हैं। लेकिन सरकार हाई कोर्ट तक के फैसले को नहीं मानती है। एक दिन माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में कहा था कि यह आम फैसला होगा और इस पर आम विचार किया जायगा। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार है जो जजों के फैसले को कुछ नहीं समझती, दीवाने आम की चीज समझती है—दीवाने आम में चर्चा की बात समझती है। इन शब्दों के साथ में माननीय मोती लाल जी अवस्थी का जो प्रस्तावित संशोधन है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख कोर्ट फीस विधेयक, १९५९ जो प्रस्तुत है और माननीय अवस्थी जी ने उसके सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। भारतीय न्याय की परम्परा सदैव अनुकरणीय रही। भारत के न्याय के प्रति विश्व के इतिहास में काफी प्रशंसा मिलती है परन्तु जबकि भारत अंग्रेजी दासता और बंधन में चला गया उसके बाद न्याय को एक व्यापार बना दिया गया। विदेशी शासकों ने भारतीय परम्परा का गला घोंट कर न्याय को भी आमदनी का एक साधन बनाया। आज वह साधन हमारी इस सरकार को भी विरासत के रूप में मिला है। जब हमने ब्रिटिश दासता के जुए को आपने कंधे से उतार फेंका तो आशा यह थी कि अब भारतीयों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। इस बात में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज भारत की न्याय परम्परा इतनी विषम और जटिल हो चुकी है कि लोगों को न्याय पाने के लिये अपना सर्वस्व खर्च कर देना पड़ता है परन्त फिर भी न्याय नहीं मिल पाता। दुखी, गरीब और निर्धन व्यक्ति, जिनके पास न्याय पाने के लिये रुपया व्यय करने के लिये नहीं है, उन्हें इस न्याय परम्परा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं असम्भव है क्योंकि न्याय का दरवाजा आज सिर्फ धन वालों के लिये ही खुला हुआ है, निर्धनों के लिये वह बिलकुल बन्द कर दिया गया है। जो कुछ आपको विरासत में मिला यदि उसमें स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कुछ संशोधन कर दिया गया होता और इस देश की जनता के लिये न्याय सस्ता और सुलभ बना दिया गया होता तो जनता कम से कम इस बात को महसूस करने लगती कि भारतीय न्याय परम्परा को फिर से स्थापित करने के लिये उसे व्यापार का रास्ता न बना कर सच्चे न्याय का रास्ता बना दिया है।

यद्यपि अंग्रेजों से पहले भी कई सदियों तक भारत दासता के चंगुल में फंसा रहा था लेकिन भारतीय इतिहास चिल्ला-चिल्ला कर जहांगीर की न्याय प्रियता को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यद्यपि वह भी एक विदेशी दासता का सूचक था लेकिन जहांगीर का दरबार सदैव न्याय पाने वालों के लिये खुला रहता था। कहीं भी जहांगीर हो—जैसे ही कोई घंटा बजाता था सारा काम छोड़ कर उस प्रार्थी को बुलाया जाता था और उसके साथ न्याय किया जाता था। इतिहास तो यह भी कहता है कि न्याय के लिये जहांगीर ने अपनी स्त्री और बच्चों तक को कोर्ट में बुला लिया था और उनके विरुद्ध निर्णय दिया। कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता था। लेकिन आज न्याय पाने के लिये हमारे सामने कोर्ट फीस का एक ऐसा बवंडर खड़ा हो जाता है कि अच्छे अच्छे धनिक भी न्याय पाने के लिये हिचक जाते हैं। वैसे ही कोर्ट फीस की दरें काफी बढ़ी हुई थीं लेकिन जो कोर्ट फीस संशोधन विधेयक इस सदन में लाया गया था उसमें वे दरें इतनी बढ़ा दी गयीं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के लोगों ने उसके ऊपर बड़ा असन्तोष प्रकट किया था लेकिन बावजूद उसके मंत्री महोदय ने एक ही राहत दी थी कि ३ रुपये १२ आने जो रिट की फीस थी उसको १०० रुपये की जगह ५० रुपये करना स्वीकार किया था। बाकी बातें उसी तरह बनी रहीं? लेकिन सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बनाये हुए कानूनों को एक बार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

पुनः अवलोकन करे तो पता चल जायगा कि इस सरकार का ला विभाग कितना लचर है तथा यह सरकार कितनी जल्दबाजी में अपने विधेयकों को तैयार करती है। यदि किसी व्यक्ति ने न्यायालय में चैलेन्ज कर दिया तो इनके कानून का सारा किला एक मिनट में चूर-चूर हो जाता है। इस सरकार द्वारा बनायें हुए एक, दो नहीं दर्जनों कानून हाई कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायरस घोषित किये गये हैं। जैसा कि उद्देश्य और कारणों में लिखा है इस कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को भी एक सज्जन ने चैलेन्ज किया, क्योंकि जब तक कोई भी विधेयक उच्च न्यायालय में चैलेन्ज न किया जाय तब तक उसको अवैधानिक डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही विधेयक उच्च न्यायलय में पेश हुआ तो मुझे खुशी है कि आज न्याय की परम्परा चाहे धन के द्वारा भले ही प्राप्त की जा रही है लेकिन वहां न्यायाधीशों ने हमेशा कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखा है और कहीं भी कोई कमी पाई तो उसको अनियमित करार दे दिया है। इस कोर्ट फीस विधेयक को भी उसी आधार पर अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन न्याय की परम्परा को कायम रखने के लिये आज आवश्यकता इस बात की थी कि हम न्यायाधीशों के निर्णय के आगे अपना सिर झुकाते। लेकिन जैसा कि जनसाधारण के लिये न्याय पाने के लिये अपील का रास्ता खुला हुआ है वैसे ही सरकार के लिये भी खुला है। जैसा कि उद्देश्य और कारणों में सरकार ने लिखा है कि सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है, उसके निर्णय तक उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिये थी और देखना चाहिये था कि वह उनके पक्ष में होता है या विपक्ष में, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारा ला विभाग इतना लचर है और इतनी जल्दबाजी में हमारे यहां कानून तैयार किये जाते हैं कि उनको स्वयं कमजोरी का पता होता है। इस लिये दिखाने के लिये अपील का रास्ता अपनाया गया है और उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसको अल्ट्रा वायरस करार दिया जायगा। अतः मैं वही बात कहता हूं कि—"समरथ को नहीं दोष गोसाईं"।

उन्होंने राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके इस नियम को जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनियमित करार दे दिया गया था नियमित रूप दे दिया। आप सोच लीजिये कि सत्ता का कितना बड़ा दुरुपयोग इस समय किया गया जब कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अनियमित को नियमित डिक्लेयर कर दिया गया। आज इस विधेयक को संविधान की दुहाई देते हुए सदन के सामने कानून का रूप देने के लिये पुनः प्रस्तुत किया गया है। सरकार ने इसके कारण और उद्देश्य में भी नहीं बताया कि जब सरकार को अध्यादेश का सहारा लेना पड़ा और विधान के तरीके से उसको पुनः नियमित करार दिया जा सकता था तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का ढोंग क्यों रचा? अगर अपील करनी थी तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से यह न्यायसंगत नहीं है बल्कि न्याय का गला घोंटना है। मैं एक बार फिर, चूंकि लाल बत्ती संकेत करती है कि मेरा समय समाप्त होने जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष—आपके भाषण का समय समाप्त होने जा रहा है आपका समय तो अभी बहुत है (हंसी)।

श्री जगन्नाथ लहरी—जी हां, मैं भाषण के लिये ही कह रहा हूं। मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय न्याय परम्परा को कायम रखने के लिये हमें भारतीय जनता को एक सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना चाहिये। इसलिये यदि यह हाई कोर्ट द्वारा अनियमित करार दे दिया गया है तो हम कोर्ट फीस की दर न बढ़ा कर इस तरह का प्रयत्न करें, चाहे कुछ करोड़ों की आमदनी हमारे प्रदेश में कम हो जाय, लेकिन जनता के लिये सस्ता न्याय उपलब्ध करें। अतः मैं पुनः मंत्री महोदय से एक बार निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के लिये सदन से स्वीकृति न मांग कर, क्या ही अच्छा हो कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और सर्वोच्च न्यायालय की उस अपील का इंतजार करें। अगर सर्वोच्च न्यायालय

की अपील आपके विरुद्ध जाती है तो आप जनता के सामने कह सकते हैं कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के सामने मत्था टेक दिया है और इस बात का प्रयत्न किया है कि जब निर्णय हमारे विरुद्ध हुआ है तो हम जनता के ऊपर किसी प्रकार भी कोर्ट फी की बढ़ोत्तरी नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह लाल बत्ती बुझ गयी। अब आप बैठें।

*श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के संशोधन का समर्थन करने के लि! खड़ा हुआ हूं। यह बिल वास्तव में तो बहुत छोटा है परन्तु इस का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। यह रिट से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी दफ्तर में नौकर हो या किसी छोटी जगह पर हो, उसके विरुद्ध यदि पंचायत का निर्णय हो या कंसलिडेशन आफ होल्डिंग्ज के विषय में निर्णय हो, इन सबके विषय में उसे रिट की आवश्यकता हुआ करती है। इस वास्ते इसका संयुक्त प्रवर समिति में जाना अत्यन्त आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि संविधान की धारा १४ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है—मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं, बाद में उसका अनुवाद कर दूंगा—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

मतलब यह है कि संविधान की धारा १४ के अन्तर्गत प्रत्येक भारतवासी को अधिकार प्राप्त हु कि यदि उसके अधिकारों में कोई न्यूनता हो तो वह न्यायालय में जा सकता है। जो और दरख्वास्तें दी जाती हैं उनके लिये केवल ५ रुपये रखा गया है। लेकिन जो दरख्वास्तें संविधान की धारा २२६ के अन्तर्गत दी जाती हैं उनमें विशेष तौर से ५० रुपये कर दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से और दरख्वास्तों के लिये प्रत्यक व्यक्ति को केवल ५ रुपये देने पड़ेंगे उसी तरह से इसमें भी केवल ५ ही रुपये होने चाहिये। गम्भीर बातों का निर्णय हम उस समय सदन में बैठ कर नहीं ले सकते, न हमें लेना चाहिये। पहले था एक्स्ट्राआर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और अब किया जा रहा है आर्डिनरी और एक्स्ट्राआर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अब साधारण य असाधारण जुरिस्डिक्शन में जो दरख्वास्तें दी जायं उनमें ५० रुपये किये जा रहे हैं। असाधारण में यह आया नहीं इस वास्ते साधारण में जो ५ रुपये में दरख्वास्त दी जा सकती है तो यह भी साधारण ही दरख्वास्त है। इसमें पांच रुपये से अधिक कोर्ट फीस नहीं पड़नी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एक गम्भीर विषय है जिसका प्रभाव बहुत व्यापक है। इस वास्ते इसको प्रवर समिति में भेजने की अवश्य कृपा की जाय।

*श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक आज सदन के सामने आया हुआ है उसको प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले वर्ष १२ दिसम्बर, सन् १९५८ को कोर्ट फीस का द्वितीय संशोधन विधेयक य ं आया और आज पुनः इसको फिर संशोधित किया जा रहा है। जबकि आज प्रजातंत्र का यग है, विधान में भी इस बात का अधिका दिया हुआ है—ईक्वलिटी बिफोर ला, तब कोर्ट फीस, रिट के ऊपर ५ रुपये से बढ़ाकर ५० रुपया करना यह किस बात का सबूत है। इसके अलावा जो केस है जिसके ऊपर यह फैसला हुआ उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है जबकि हमारे रूल १३१ में यह लिखा हु ा है, जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं— मैंने व्यवस्था का प्रश्न इसलिये नहीं उठाया कि माननीय मंत्री जी को स्वयं ही समझ लेना चाहिये था। उसमें लिखा हुआ है—

"विधेयक के पर:स्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगा कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जायं।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

मान्यवर, यह प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नि मावली में समझता हूं कि कवल सदस्यों के लिये ही नहीं बल्कि मन्त्रियों के लिये भी है और उनको इसे पढ़कर इसका पालन करना चाहिये। वह जानकारी सदन को मिलनी चाहिये। लेकिन जो रिट फाइल हुआ और उसका फैसला हुआ उसके कागजात यहां पर नहीं हैं। ५ रुपये से ५० रुपया जो किया गया उसकी दलील यह दी जा सकती है कि उसका खर्चा ज्यादा है। लेकिन उसके बारे में मैं इसी सरकार की एक रिपोर्ट के आंकड़े पेश करना चाहता हूं। सरका: के आंकड़े खुद बताते हैं कि कोर्ट फीस से कितनी आमदनी है और उससे कितना लाभ है। रिपोर्ट आफ दी जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, १९५४ में यह आंकड़े दिए हुए हैं। १९५४-५५ में २६८ लाख रुपये की आमदनी कोर्ट फीस से हुई जबकि कुल खर्चा २६२ लाख रुपये का है। पिछले वर्ष मान्यवर, २,८४,३९,९३३ रुपये की आमदनी हुई और खर्चा हुआ २,७३,१३,५५४ रुपये। उसमें भी ११,२६,३७९ रु० की बचत हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आवश्यकता हुई जिससे कि रिट्स के ऊपर फीस ५ रुपये से बढ़ा कर ५० रुपये करनी पड़ी ?

दूसरी बात यह कही गयी कि पिछली दफा जो विधेयक पास किया गया वह संविधान के अन्दर नहीं आता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार के पास एक कानून विभाग है जो इन सारी बातों के लिये राय देता है। अभी एक यूनिवर्सिटी का आर्डिनेन्स आया, इसलिये कि वह गैरकानूनी घोषित हो गया था, उसके बाद एक दूसरा ऐक्ट आया, उसको भी गैरकानूनी घोषित किया गया था और आज यह तीसरा विधेयक हमारे सामने है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि क्यों न ला डिपार्टमेंट को सेक किया जाय ? अगर वह सही राय नहीं दे सकते और इस तरह से नये-नये विधेयक रोज हमारे सामने आते रहे तो उससे एक्सचेकर के ऊपर भार पड़ता है, हमारे प्रदेश का खर्चा बढ़ता है।

तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि पूंजीपति ही हाई कोर्ट में रिट ले कर जाता हो। जिस किसी के भी अधिकारों का अपहरण होता हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर एक जा सकता है। हमारे हिन्दुस्तान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई ला है। यहां पर कोई ऐसा कानून नहीं पास किया जाना चाहिये जिसको एक्जीक्यूटिव गलत इंटरप्रेट कर सके। अमेरिका इत्यादि देशों में कोर्ट्स सुप्रीम हैं, हमारे यहां लेजिस्लेचर सुप्रीम है। मैं समझता हूं कि यहां पर यह आवश्यक हो जाता है कि हर व्यक्ति न्याय शाखा के जरिये न्याय प्राप्त कर सके और उसके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। और उसके अधिकारों की सुरक्षा तभी हो सकती है जबकि उसे रिट करने का अधिकार हो। आज कोई गरीब आदमी हाईकोर्ट में नहीं जा सकता। अमरीका जैसे देश में कोर्ट फीस नाम का कोई ऐक्ट नहीं है। १८७० में उन्होंने वहां पर एक ऐक्ट खास तौर पर इसके लिये बनाया और कहा कि कोर्ट फीस लेना यह एक किस्म से हमारे देश के लिये लज्जा की बात है --

"Every subject of the Commonweal h ought to find a certain remedy by having recourse to the laws, for all injuries or wrongs which he may receive in his person, property, or character. He ought to obtain right and justice freely, and without being obliged to purchase it; completely and without any denial; promptly and without delay ; conformably to the laws."

तो मान्यवर, पहले तो मैं यह समझता हूं कि रिट्स पर यह कोर्ट फीस नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिये। पिछले दिनों में माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत जिनके हाथ में पहले यहां का शासन प्रबन्ध था उन्होंने हमको इस बात का आश्वासन दिया था कि जब हमारी हुकूमत आयेगी तो कोर्ट फीस नाम का कोई ऐक्ट नहीं होगा। लेकिन आज इस ऐक्ट में यह द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय संशोधन आया हुआ है। तो मेरी मांग है कि आज हमारे इस प्रजातंत्र की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि न्याय सुलभ और सस्ता हो। मैं यह समझता हूं कि इन

चीजों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार इसको आज लाभ की वस्तु बना रही है जो कि प्रजातंत्र में बहुत ही गलत चीज है और जिसके विषय में कई विद्वानों ने भिन्न-भिन्न राय व्यक्त की हैं। इस विषय में जस्टिस स्टोन यह कहते हैं कि—

"It is a matter of life and death for a democracy because a democracy cannot survive if it cannot find a way to make its administration of justice competent.—(*Justice Herlan F. Stone*)"

जिस के पास पैसा नहीं है वह किसी तरह से भी कोर्ट में नहीं जा सकता। यदि उसके अधिकारों का अपहरण होता है तो वह पेटीशन दाखिल करके अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं पा सकता है। सरकार ने इस शक्ल में इस विधेयक को इसी वजह से रखा है कि जो पूंजीपति हैं उनके अधिकारों का अगर अपहरण होता हो तो वह अदालत में जा कर उसकी रक्षा करें। लेकिन गरीब लोग, मजदूर जो बोनस नहीं पाते हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है अगर वह पिटीशन दाखिल करके अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हों तो वह कैसे कर सकते हैं? उनके लिये कोई व्यवस्था इस प्रकार की सरकार की तरफ से नहीं है। आज इस बात की आवश्यकता थी कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार का विधेयक लाते और यह कहते कि आज प्रदेश में प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिये, सब नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये कोर्ट फीस को कम करने जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से यह कोर्ट फीस के लिये संशोधन आया है यह संविधान की धारा के विरुद्ध भी है। उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं—

"We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens...."

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत के लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय देंगे। मैं समझता हूं यह संशोधन हमारे सामाजिक न्याय के विपरीत है।

तीसरी बात मुझे यह कहना है कि आज किसी भी मुल्क में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि वहां पर कोर्ट फीस बढ़े। एक उदाहरण मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं जो अमरीका का ही है—

"Equal protection to all is the corner stone of our system of living ; and equality under the law, i.e. one and the same law for the rich and the poor alike ; these are recognized to be the fundamental principles underlying the policy of the administration of justice."

यह उस देश की बात है जहां पर जुडीशियरी सुप्रीम है। लेकिन आज जहां पर कोर्ट फीस को बढ़ाया जा रहा है वह ऐसा देश है कि जहां पर लेजिस्लेचर सुप्रीम है। अमेरिका में उतनी आर्थिक असमानता नहीं है जितनी कि यहां पर है। इसलिये यहां पर इस तरह से नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं भी चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाये और वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार हो। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के अन्दर डेमोक्रेसी मजबूत हो और देश के अन्दर जो अमीरी और गरीबी का अन्तर है वह मिटाया जाय। यह हमारा कर्तव्य है। हमने यहां रूल आफ ला को स्थापित किया है जिसके द्वारा लोग अलग-अलग अदालतों से न्याय पाते हैं। एक पूंजीपति भी वहां से न्याय पाता है और एक गरीब रिक्शा-वाला भी वहां से न्याय पाता है। दोनों के लिये वही एक अदालत है। ऐसे मुल्क में हमको ऐसा जरिया निकालना चाहिये जिससे कोर्ट फीस समाप्त हो। लोग अदालत में जायं और उनको कोर्ट फीस की कोई आवश्यकता न पड़े। इसलिये सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करे और दूसरे मुल्कों की तरह से इस प्रश्न पर विचार करे। जो संशोधन पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां पर इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त एक बहुत छोटा-सा बिल हाउस के सामने पेश है। उसमें यह संशोधन लाया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। ऐसा बिल जिसमें २, ३ धारा हों और उसमें केवल प्रयत्न इस बात का हो कि ५ रुपया कोर्ट फीस होना चाहिये या ५० रुपया होना चाहिये, वह प्रवर समिति में जाय, मैं समझता हूं, इस सदन का समय व्यर्थ नष्ट करना होगा। एक छोटा-सा मसला है। उस पर हम यहीं विचार कर सकते हैं। इस वक्त तो असल में यह कहना चाहिये कि इसके पहले जो विधेयक पास हुआ था उस पर हम लोग काफी विचार कर चुके हैं। लेकिन उसमें हाईकोर्ट ने कुछ खामियां बतायीं और उनकी शुद्धि के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। अब उन्हीं मसलों को, जिनको हम पहले विचार कर चुके हैं और उन पर निर्णय भी ले चुके हैं, उन्हीं को फिर से उठाना मैं समझता हूं इस हाउस के लिये शोभा नहीं देता। अगर कोई खामी रह गयी है.....

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष जी, फिलहाल कार्यवाही रोक दी जाय जब तक कि कोरम न हो जाय।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगर हमारे कानूनी सलाहकारों से कोई भूल हो गयी थी तो उनके लिये सरकार क्या कर रही है? यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, सरकार उस पर विचार कर सकती है कि वह नाकाबिल हैं या क्या हैं, लेकिन इस वक्त जो बिल हमारे सामने है उसके लिये तो मैं यह कह सकता हूं कि जिन मुल्कों का हवाला दिया गया है अभी भाषणों में, उनमें और हमारे मुल्क में काफी फर्क है।

हर माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारे यहां पंचसाला योजनायें चल रही हैं जिसमें काफी रकम उन्नति के कामों पर खर्च हो रही है। तो हमारी दशा ऐसी नहीं है कि हम अपने न्यायालयों के बोझ को भी पूरा-पूरा उठा सकें और इस खर्च को इस नियोजन के समय में पूरा कर सकें। तो ऐसी दशा में यह कहना कि एक दम से कोर्ट फीस समाप्त कर दी जाय ठीक न होगा। हम इस योजना के कार्य से अपने देश की गरीबी और बेकारी को दूर करना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि जब तक हम देश की गरीबी और बेकारी दूर न कर लें तब तक किसी दूसरे बोझ को न उठावें, उस समय तक इसे करना गैर मुनासिब न होगा और यह नजरिया भी रखना चाहिये कि हम अपने न्यायालयों को ऐसा न बना दें कि वह हंसी-मजाक का अखाड़ा हो जाय। किसी ने छींक दिया, किसी ने कोई सख्त बात कह दी और रिट दायर हो गया। तो उन्हें ऐसा तमाशा भी नहीं बना देना चाहिये। वहां पर अगर रिट दायर हों तो भी उस अदालत की, उच्च न्यायालय की शोभा बढ़ती है, उसको जेब देता है, नहीं तो कोई भी दरख्वास्त मामूली तौर पर गुजर गयी और इतने उच्च न्यायाधीशों का वहां पर वक्त खराब किया जाय यह अच्छी चीज नहीं है।

इसलिये मैं समझता हूं कि प्रवर समिति का जो संशोधन दिया गया है उसकी तो बिलकुल आवश्यकता नहीं है। रह गया यह कि ५ हो या ५० रुपया हो, उस पर इसी सदन में विचार किया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह---आप के खयाल से क्या होना चाहिये?

श्री कुंवरकृष्ण वर्मा---मैंने तो यह अर्ज किया कि यह चीज तो असल में पहले ही तय हो चुकी थी महज जो उसमें कानूनी अड़चन बतायी जा रही है, हाई कोर्ट ने बतायी है, उसी के अनुसार यहां पर किया जा रहा है कि वह खामी किसी तरीके से दूर हो जाय, केवल मसला इतना सा है। तो यह चीज नहीं रह गयी कि कितनी कोर्ट फीस हो, कितनी न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कोर्ट फीस विधेयक पेश है और जब पेश किया था तो यह कहा गया था कि पंचवर्षीय योजना चलाने के लिये रुपये की जरूरत है, लिहाजा कोर्ट फीस बढ़ाना लाजमी है, वरना हम कहां से प्लानिंग का काम पूरा कर सकेंगे। अभी एक सज्जन, वर्मा जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा यह छोटा-सा मसला है, यह तो महज ५ के ५० किये गये हैं। यह छोटा किसके लिए है? वहां तो छोटा आदमी ही रिट लेकर जायगा अपने हक की तलाश के लिये। वर्मा जी की निगाह में उसके लिये ५० रु० देना छोटी चीज है। हुकूमत की निगाह में नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि खर्चा कैसे चलेगा? जब से कोर्ट फीस का बिल पास हुआ है तब से कचहरियों की बात देखिये। रजिस्ट्रेशन में, दीवानी महकमें में फीस की बढ़ोत्तरी, वकालतनामे पर बढ़ोत्तरी, नकलों के कामों में बढ़ोत्तरी---वह सब दूनी हो गयीं। गांव वाला आकर कहता है मुंशी से, जब पैसा देता है कि काहे के ३ रुपये? जब मुंशी कहता है कि फीस बढ़ गयी तो वह समझता है कि अपने लिए लेता होगा। मुवक्किल परेशान हैं, वकील परेशान हैं। इस्तकरार की १ रुपया फीस थी, अब हुई २५। वकीलों ने शिकायत की कि इस्तकरार के मुकदमों में कोर्ट फीस ली जा रही है और पढ़ कर मुकदमे वापस किये जा रहे हैं। यह हालत आ रही है। कहने को कहा जाता है कि रुपया नहीं है। अरे भाई, १२१ करोड़ का बजट है उसमें १२ करोड़ का मुतफर्रिक खर्चा है। इसे क्यों नहीं खत्म करते? उतनी कोर्ट फीस भी नहीं है। १६ करोड़ का शिक्षा का बजट है उसमें १.११ लाख का आकस्मिक खर्चा है। पशुपालन में १,८८,००० का बजट है जिसमें ७९ लाख का आकस्मिक व्यय है। इन खर्चों को क्यों नहीं कम कर देते? कहते हैं कि न्याय आप को सुलभ करेंगे। उसका तरीका है कोर्ट फीस बढ़ायी जाय। न्याय की जांच का यह अच्छा पैमाना है। अस्पताल कौन सा अच्छा? जिसमें बीमार ज्यादा हों। न्याय कौन-सा अच्छा? जिसमें कोर्ट फीस ज्यादा पड़ जाय। यह उनकी जांच का पैमाना है। यह पैमाना उन्होंने जांच का रखा है। यह कहा गया कि पंचवर्षीय योजना चलानी है, रुपये की जरूरत है, बेकारी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, यह हमारे सामने लक्ष्य रख दिया। अब बताइये बेकारी और गरीबी इस कोर्ट फीस में निकल सकेगी?

सवाल यह है कि यह बिल क्यों आया। जब सामने रुकावट आई, तब आया। जब हाईकोर्ट ने इनका मामला फेल कर दिया तब आर्डिनेन्स लाये और उसके बाद यह बिल लाये। सरकार के कामों में जब रुकावट आती है तब उसकी आड़ हटाने के लिये हमारे सामने अध्यादेश रख दिया जाता है। सरकार पहले तो सोचने-समझने नहीं देती और कहती है कि दस घंटे में यह बिल पास करना है और उस पर बहस नहीं होने देती और जब वह ऊपर से फेल कर दिया गया तो अध्यादेश की शक्ल में एक सफा लाकर हमारे सामने रख दिया कि दफा ४ खराब हो गई थी उस को तरमीम कर लो। आज यह बिल हमारे सामने दफा ४ में तरमीम करने के लिये लाया गया है। दफा ४ में तरमीम करने की जरूरत तब आई जब हाई कोर्ट में यदुनन्दन प्रसाद का मुकदमा अटका और उस पर खिलाफ फैसला होने की आशा हुई, तो यह तरमीम आई। तो जहां रुकावट आई कि उन्होंने कानून का सहारा लिया और अध्यादेश लाकर रख दिया। अगर इनकी इस सदन में संख्या में जरा भी कमी होती, बैलेन्स बराबर होता तो उनकी अध्यादेश लाने और उसे पास कराने की हिम्मत नहीं होती। यह संख्या के बल पर कुछ कर लें लेकिन इसका पब्लिक में अच्छा असर नहीं है। इनकी नीयत अच्छी नहीं है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि इस वक्त हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि रिट के ऊपर कितनी कोर्ट फीस हो और आया वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

मुनासिब है या नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, एक अमेंडमेंट बिल कोर्ट फीस के सिलसिले में यहां आ चुका है और वह पास हो चुका है। उसमें सेकेन्ड शेड्यूल के क्लाज (इ) ३ में आइटम यह थे--

"Application or petition. . . .(*e*) When presented to a High Court—

(1) under the Indian Companies Act, 1956, for the winding up of a company ;	One hundred rupees.
(2) under Article 226 of the Constitution for a w it other than a writ in the nature of Habeas Corpus ;	One hundred rupees.
(3) for the probate or letters of administration to have effect throughout India .	Twenty-five rupees.

तो यह तीनों आइटम उसमें मंजूर हो चुके है। इसमें जो कुछ बहस है वह हो चुकी है। अब सिर्फ सव ल इतना है कि जहां तक इस तरमीम का ताल ुक़ है वह सिर्फ जो दफा ४ में कमी रह गई थी उसको पूरा करने के लिये है और उसी वास्ते यह बिल लाया गया है। लेकिन जो तमाम इस पर बहस की गई, मैं अर्ज करूंगा कि उसका कोई ताल्लुक़ इस बात से जो कि आज सदन में कही गयी है नहीं है।

कहा गया कि कोर्ट फीस समाप्त कर दी जाय। तो इसके लिये माननीय सदस्य कोई प्राइवेट बिल या रेजोल्यूशन लावें और उस वक्त इसके मुताल्लिक़ कहें लेकिन इसके सिलसिले में उन बातों का कहना कोई मानी नहीं रखता।

एक साहब ने कहा कि चकबन्दी और इस किस्म के जो दूसरे मुकदमें होते हैं, उस में जो रिट ऐप्लीकेशन होती हैं उस में कोर्ट फीस ज्यादा है। मेरी अर्ज है कि जहां तक उन मुकदमों का ताल्लुक़ है, उन पर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है। इनके लिये जो थोड़ा-सा मुकर्रर है, जैसे पौने ३ रु०, तीन रुपये १२ आने या पांच रुपये, वह देनी पड़ती है। उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर रिट की शक्ल में ओरीजनल ऐप्लीकेशन जायगी तो, चाहे वह ऑर्डिनरी हो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उस पर यह कोर्ट फ़ीस लगेगी। अगर मुक़दमों के खर्चे देखे जावें तो वे बहुत बढ़ गये हैं, वकीलों की फ़ीस ही कितनी बढ़ गई है। इसके साथ पुरानी कोर्ट फ़ीस के बढ़ने की जरूरत हुई। अगर बहुत छोटी कोर्ट फ़ीस होती है तो बहुत से लोग महज किस्मत आजमाई के लिये मुक़दमा कर देते हैं लेकिन अगर ज्यादा, यानी ५० रुपये है तो वह कई बार सोचेगा कि कहीं ५० रुपये बेकार न जावें। काम इतना बढ़ रहा है कि हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से भी एरियर्स खत्म नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिये भी खर्चे की जरूरत है।

इस बिल के सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। या तो इसे मंजूर किया जाय या नामंजूर किया जाय। यह तरमीम कोई माने नहीं रखती है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कोर्ट फ़ीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९, को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन आगामी दो सप्ताह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कोर्ट फ़ीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९, को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे, जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो अपनी रिपोर्ट ३१ अगस्त, १९५९ तक दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कोर्ट फ़ीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड २

***श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि वर्तमान खंड २ के पहले निम्नलिखित खंड २ के रूप में बढ़ा दिया जाय तथा वर्तमान खंड २ को क्रमशः पुनरंकित कर दिया जाय :—

"उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फ़ीस ऐक्ट, १८७० की धारा ४ के प्रथम खंड के शीर्षक में शब्द 'in High Courts in their extraordinary jurisdiction', के स्थान पर शब्द "in the High Court in their ordinary or extraordinary jurisdiction' रख दिये जायं।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने काफ़ी प्रकाश पहले ही डाल दिया है। एक रिट के आधार पर यह आवश्यकीय समझा गया कि आर्डिनरी शब्द इसमें जोड़ दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। श्रीमन्, आप देखें कि एक परिवर्तन के बाद दूसरा परिवर्तन जो सोचा गया है, उससे भी हाईकोर्ट की दिक्कत मौजूद रहती है। जिन कारणों से पहले अल्ट्रा वायरस हुआ उनकी गिरफ्त में आने से यह भी नहीं बचाता है। दफ़ा ४ के नीचे फुट नोट में उन्होंने लिखा है :—

"This section has no application to the High Courts in the exercise of their original civil and criminal jurisdiction."

आर्डिनरी के साथ में यह कभी इस्तेमाल में आता ही नहीं है। मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ऐक्ट में पहले से ही है, अमेंडिंग ऐक्ट में पहले से है। लेकिन उसके मार्जिनल नोट में चूंकि पुराने शब्द थे इसलिये 'आर्डिनरी' शब्द बढ़ाना जरूरी समझा गया। यह जरूरी तरमीम है और मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड २ के पहले निम्नलिखित खंड २ के रूप में बढ़ा दिया जाय तथा वर्तमान खंड २ को क्रमशः पुनरंकित कर दिया जाय—

"उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, की धारा ४ के प्रथम खंड के शीर्षक में शब्द 'in High Courts in their extraordinary jurisdiction' के स्थान पर शब्द 'in the High Court in their ordinary or extraordinary jurisdiction' रख दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की धारा ४ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० की धारा ४ में :—

(१) शब्द "any of the said High Courts" के स्थान पर शब्द "the High Court of Judicature at Allahabad" रख दिये जायं ;

(२) शब्द "in the exercise of its" तथा शब्द "extra-ordinary original civil jurisdiction" के बीच में शब्द "ordinary or" बढ़ा दिये जायं;

(३) शब्द "in the exercise of its" तथा शब्द "extraordinar original criminal jurisdiction" के बीच में शब्द "ordinary or" बढ़ा दिये जायं, तथा

(४) उप-पैरा "or in the exercise of its jurisdiction as a Court of reference or revision" के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा बढ़ा दिये जायं :

"or in the exercise of its jurisdiction to issue directions, orders or writs under the Constitution of India ;

or in the exercise of its jurisdiction in any other matter."

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड २ के उपखंड (४) द्वारा बढ़ाये जाने के लिये अभिप्रेत उप-पैराओं के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :—

"In the exercise of jurisdiction to issue writs, etc."

"Or in the exercise of its jurisdiction to issue directions, orders or writs under the Constitution of India;

"In the exercise of any other jurisdiction."

Or in the exercise of jurisdiction in any other matter."

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे अधिक नहीं कहना है। ये मार्जिनल नोट्स कन्सीडवेंशल से हैं और सभी धाराओं में रखे गये हैं। उसमें सिमिलैरिटी लाने के लिये यहां भी जरूरी समझे गये हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे मंजूर करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिन आधारों पर मैंने पहले संशोधन का विरोध किया था उन्हीं पर इसका भी विरोध करता हूं। चाहे जितनी शब्दों की वकालत की जाय लेकिन अन्ततोगत्वा यह हमारे ऊपर टैक्सों का बोझ लादा जा रहा है। मैं इसका मौलिक रूप से विरोध करता हूं और यह संशोधन निरर्थक है।

श्री सैय्यद अली जहीर—यह हर शख्स समझ सकता है कि यह संशोधन निहायत जरूरी है और मैं इसे मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड २ के उप-खंड (४) द्वारा बढ़ाये जाने के लिये अभिप्रेत उप-पैराओं के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :—

"Or in the exercise of its jurisdiction to issue directions, orders or writs under the Constitution of India ;

"In the exercise of jurisdiction to issue writs, etc."

Or in the exercise of jurisdiction in any other matter."

"In the exercise of any other jurisdiction."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

निरसन उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९५९।
यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४।

३—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त कोई अधिनियम (enactment) हो, जो पुनः अधिनियमित कर दी गई हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९

ऐक्ट संख्या ७, १८७०।

कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अध्यादेश संख्या २, १९५९ ऐक्ट संख्या ७, १८७०।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५९ गवर्नर द्वारा २ जुलाई, १९५९ को कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त प्रख्यापित किया गया था;

और 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार उक्त अध्यादेश विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह व्यतीत होने पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, और यह आवश्यक तथा इष्टकर है कि वह विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार।

१—(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ [The Court Fees (U. P. Amendment) Bill, 1959] पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मुझे इस बिल का कदम-कदम पर विरोध करने का सौभाग्य प्राप्त है और मैं चाहता हूं कि इसका अंतिम क्षण तक विरोध करता रहूं क्योंकि यह विधेयक सब गरीब और निर्धन लोगों पर एक और भार है। यह उसी सरकार के लिये शोभा देता है, जो निर्धनों की आहों की कोई परवाह नहीं करती। इसलिये मैं यह अपना फर्ज समझता हूं कि इसकी प्रत्येक लाइन का और प्रत्येक वाचन का विरोध करूं। मैंने इसका विरोध किया है और विरोध ही नहीं इसका मैं हृदय से विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ [The U.P. Electricity (Duty) (Amendment) Bill, 1959] पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है जब यह आर्डिनेंस के रूप में इस सदन के सम्मुख आया था, उस समय इस पर काफी चर्चा हुई थी और दोनों ओर के बैठने वाले लोगों ने अपने विचार रखे थे, जो बातें इस सदन में कही गयीं सरकार ने उन पर विचार किया....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं। आपने यह व्यवस्था दी थी कि दो बार कोरम के लिये सरकार को आगाह करने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जायगा, अगर कोरम न होगा। आज तीन बार कोरम के लिये घंटी बजायी गयी है। मैं आशा करता हूं कि आप सदन को स्थगित करके सरकार को चेतावनी देने की कृपा करेंगे।

---

†११ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं दी और न दे सकता हूं। हां, मैंने उस वक्त यह कहा होगा कि दो एक बार मौका देने पर अध्यक्ष को अधिकार है कि थोड़े समय के लिये अथवा पूरे दिन के लिये कोरम के अभाव में बैठक को स्थगित कर दे। उसके अनुसार सदन को स्थगित कर दिया होगा। यह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक मर्तबा ऐसा हो गया तो दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही होगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हम लोग निवेदन तो कर ही सकते हैं। हम निवेदन करते हैं कि सदन को इस समय स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय कोरम है सदन में।

श्री धर्मसिंह—मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन के सम्मुख जब आर्डिनेन्स प्रस्तुत किया गया था तो उसमें शेड्यूल आफ इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी लिस्ट थी। जिन सदस्यों ने अपने विचार इस सदन के सम्मुख रखे हैं, जहां तक इंडस्ट्रीज की बात है उसकी कोई ठीक डेफिनिशन नहीं हो सकती। इंडस्ट्रीज हमेशा बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, बहुत-सी इंडस्ट्रीज को जहां तक इस लिस्ट का सम्बन्ध है, उसमें छोड़ दिया गया है। बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि लिस्ट की जहां तक परिभाषा है, इंडस्ट्रीज की जो परिभाषा है वह बहुत व्यापक है। केवल बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को लिया गया है और छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को काटेज इंडस्ट्रीज का जहां तक सम्बन्ध है उनको छोड़ दिया गया था। तो इस आशय से सरकार ने जैसा मैंने निवेदन किया उनको फिर यहां की परिभाषा में जोड़ दिया है। सरकार किसी इंडस्ट्री को जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज आज चल रही है शामिल करेगी या निकाल देगी और सदन को उसकी सूचना बाद में देगी। उस बात का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है विचार करने के उपरान्त इसे उस सूची में से पूरे तरीके से निकाल दिया गया है। इस तरह की इंडस्ट्रीज जो उत्पादन करें, निर्माण करें वस्तुओं का, जिनको प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, उस तरह का एक नया क्लाज हमने इसमें जोड़ दिया है। उस आर्डिनेन्स में वह बात नहीं थी।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है वह उपभोक्ताओं से सम्बन्ध रखता है। पहले जो प्राइवेट कम्पनी होती थीं वह कंज्यूमर्स से एलेक्ट्रिसिटी ड्युटीज वसूल कर लेती थीं और नियम के अनुसार सरकार में उसे जमा नहीं करती थीं। तो देखा यह गया है कि बहुत सी प्राइवेट कम्पनी के पास तकाजा करने के बाद भी काफी दिनों तक (Duties) ड्यूटीज पड़ी रहती थीं। इस लिहाज से इस क्लाज के द्वारा इस विधेयक में यह प्राविजन किया गया है कि जो कम्पनी हैं वे नियम के अनुसार समय पर ड्यूटीज जमा करें और यदि कोई कम्पनी समय पर नियम के अनुसार सरकार में ड्यूटीज जमा नहीं करेगी तो आगे चल कर साढ़े १२ प्रतिशत फी साल के हिसाब से उसका सूद दे ताकि जो पैसे वह अपने पास रखती है और सरकार में नहीं जमा करती उस पर वह सूद दे। तो इस लिहाज से जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, दो बातें खासतौर से इस विधेयक में लायी गयी हैं और कहीं-कहीं कुछ शब्दों का हेरफेर है। जहां कंज्यूमर्स शब्द नहीं है वहां "कंज्यूमर्स" शब्द ला दिया गया है और "इंटरेस्ट" शब्द पुराने ऐक्ट में नहीं है तो इसमें "इंटरेस्ट" शब्द को जोड़ दिया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है जिस तरह से कि इधर के बैठने वालों ने और उधर के बैठने वालों ने इस बात की मांग की है कि चाहे काटेज इंडस्ट्रीज हो चाहे किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज हो उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ की जाय। तो फिलहाल पूरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ कर देंगे। इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। बहुत साधारण-सी बात है, इस तरह का कोई बहुत बड़ा विधेयक नहीं है जिस पर कोई बहुत बड़ी बहस की आवश्यकता हो। प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिये, प्रदेश को आगे ले जाने के लिये जो यहां पर तरह-तरह की इंडस्ट्रीज नहीं पनप पाती हैं उन तमाम समस्याओं को हल करने के लिये और ड्यूटी माफ करने के लिये सदन के सामने यह विधेयक लाया गया है। मुझे आशा है कि माननीय सदन इस पर पूरे तरीक से विचार करेगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि :

"उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर प्रस्तुत करे और जिस को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो।"

श्रीमन्, यह बड़ा बिल तो सचमुच नहीं है और बहुत बहस मुबाहिसे की भी इसमें गुंजायश नहीं है लेकिन धनी और गरीब यह दोनों शब्द भी बहुत बड़े नहीं हैं। दोनों यह शब्द केवल ५ अक्षरों में आ जाते हैं, २ अक्षर में धनी और ३ अक्षर में गरीब, ५ अक्षर में सब चीज आ जाती है और इन ५ अक्षरों में ही जो अरबों में दुनिया की आबादी है वह सब आ जाती है और गिन ली जाती है और अगर उनके माने लगाये जायं तो न मालूम कितना साहित्य और कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और कितने बहस मुबाहिसे होते रहे हैं।

यह बिल ६–७ दफाओं का है लेकिन इन ६–७ दफाओं में जो कुछ है वह शब्दों में बड़ी चीज न हो लेकिन रुपये के मामले में उन का प्रभाव बहुत बड़ा है। इस प्रदेश की जो कड़ी कमाई होगी उससे क्या ६०–७० लाख रुपया कारखाने चलाने वालों को देने का मकसद इस में नहीं है, क्या छूट नहीं मिलेगी उन कारखानेदारों को जो पहले से बिजली की ड्यूटी देते चले आ रहे हैं? क्या यह उचित है? अब तो यह संख्या और बढ़ेगी क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो यह रकम भी ६०–७० लाख से अधिक हो जायगी। इस में बिड़ला जी की अलमूनियम वाले कारखाने की बिजली का हिसाब शामिल अभी नहीं हुआ है, वह रकम अलग है लेकिन अगर उसको भी जोड़ लें तो करोड़ से ऊपर की बात हो जाती है। तो इस सदन के ऊपर माननीय धर्म सिंह जी को मेहरबानी करना चाहिये, उन्होंने इतना लाइटली इसे समझाने की कोशिश की, ऐसा उन्हें न करना चाहिये। हम उन से तो बड़ी आशा रखते हैं, उन के वहां बैठने से तो नहीं बल्कि इसलिये रखते हैं कि वह भी एक छोटे तबके से आते हैं और जिस तरह के लोगों से वह हैं तो उनके मन में गरीबों के लिये दर्द अवश्य होगा लेकिन स्थितियां मजबूर करती हैं कि आदमी कहां रहे। उनके मुंह से यह चीज अच्छी नहीं लगती कि हम ६०–७० लाख दे दें और इस पर सोच विचार हो चुका है, ज्यादा सोचने की इसमें कोई बात नहीं है इसको ऐसे ही पास कर दिया जाय, उनके मुंह से यह सुनकर जरा-सा कष्ट होता है। जो आर्डिनेन्स था उससे कुछ भिन्न बातें भी इस बिल में हैं। ऐसा कहना कि क्योंकि आर्डिनेन्स पर बहस हो गई, उसी को काफी समझा जाय ऐसी बात नहीं है। इसमें आप देखें कि अन्त में एक नोट दिया जिसमें यह स्पष्टीकरण है कि आर्डिनेन्स से इस बिल में अधिक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। लिखा है उसमें कि "यह देखा गया है कि बिजली की सप्लाई करने वाले लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं से वसूल किये गये विद्युत् शुल्क की धनराशि नियत सरकारी कोष में नियत समय के भीतर जमा नहीं करते। उक्त ड्यूटी जमा न करने वाले लाइसेंसदारियों से ब्याज लेने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी और अब यह निश्चय किया गया है कि उनसे ब्याज लिया जाय। उक्त निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करना आवश्यक है और इसलिये तत्सम्बन्धी संशोधन भी इस विधेयक में सम्मिलित कर लिये गये हैं।"

एक बात मैं इस सम्बन्ध में जरूर कहना चाहूंगा। इस बात की आवश्यकता सरकार नहीं समझती कि कम से कम इस सदन को यह तो बतावे कि कितना रुपया बकाया में पड़ गया और कहां इस बात की आवश्यकता पड़ी? कैसे लोग थे? यह बकाया की रकम आज डूबने वाली है या किस प्रकार की है? पिछले साल इस सदन में ऐसे बकायादारों के लिये कानून पास किया गया कि ऐज ए गवर्नमेन्ट रेवेन्यू उस रकम को वसूल किया जाय। हमारा खयाल है कि इस ड्यूटी के लिये कि ऐज ए गवर्नमेन्ट रेवेन्यू वसूल किया जाय, पहले से अधिकार है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जिन लोगों की वसूल करने की जिम्मेदारी थी उन्होंने क्यों नहीं वसूल किया? क्यों बकाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रह गया ? जब किसान के ऊपर एक आना बकाया पड़ता है तो---काफी चर्चा एक रोज हुई, हमारा भी गांव से ताल्लुक है और वित्त मंत्री जी का भी ताल्लुक है---उस बकाया के लिये खाल उड़ा ली जाती है। खाल उड़ाने का मतलब इस जामने में लोगों को गिरफ्तार किया जाय, उनके सम्मान को धक्का पहुंचाया जाय, बैल बछिया कुर्क हों। उधर तो एक तरफ यह बात हो रही है और दूसरी तरफ यह लेख बता रहा है कि ऐसे लोग भी इस प्रदेश में हैं जिन्होंने कंज्यूमर्स से वसूल करके अपने घर में रख लिया। गरीबों ने रोशनी की गर्ज से बिजली खर्च की उन्होंने तो ड्यूटी दे दी, लेकिन बकाया किसके जिम्मे रहा ? बकाया उनके जिम्मे रहा जिन्होंने दूसरों से वसूल करके अपने पास रख लिया। उनसे आज तक न सरकार ने सूद लिया और न हमको यह बताना चाहते हैं कि वह कौन यार लोग हैं जिन्होंने रख भी लिया और सूद भी नहीं दिया। मालूम तो हो उनका नाम और यह भी मालूम हो कि सरकार के कौन ऐसे अच्छे नौकर हैं---सरकार के नौकर तो कभी बुरे होते नहीं हैं---जिनकी जिम्मेदारी थी। तो हम समझते हैं कि उससे इस सदन को फैसला लेने में मदद मिल सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात बताने में सरकार को दिक्कत होगी। मैंने यार का लफ्ज इस्तेमाल किया। सरकार के यार जो हैं इस वक्त उसमें मुझे गलत फहमी नहीं है। जो पुराने यार थे वह तो आज टांगे जा रहे हैं। उनकी तो हालत खराब हो रही है। नये-नये यार बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उन यार लोगों के नाम रखे जायं, बकायादार लोगों के नाम रखे जायं। क्या कानपुर के बड़े-बड़े मिल मालिक नहीं हैं ये ? क्या यह वह लोग नहीं हैं जिनमें हर तरह से अदा करने की शक्ति है ? लेकिन सरकार का उनसे एक खास रिश्ता है। वह रिश्ता नहीं टूट सकता। वह रिश्तेदार लोग इस बकाया को रखे हुये हैं। मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं उठाता हूं लेकिन मैं आपसे निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि ऐज ए रूल वह सारे रेकर्ड्स सदन की मेज पर होने चाहियें जिससे सदन को कम से कम यह जानने का मौका तो मिल सके कि इस विधेयक में यह जो बात आई . . . .

श्री उपाध्यक्ष---माननीय मंत्री जी, इस किस्म की कोई रिपोर्ट आपके पास है कि कितना बकाया है ? अगर फाइल आपके पास हो तो यहां भेज दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोई ऐसा एरियर यूबे में किसी जगह बकाया नहीं है। यह बात जरूर है कि डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, वह जब अपने चार्जेज कनज्यूमर से बिजली के वसूल करती है उसके साथ ड्यूटी भी वसूल करती है। तो तीस दिन के अन्दर उनको गवर्नमेन्ट ट्रेजरी के अन्दर उस ड्यूटी के रुपये को जमा कर देना चाहिये। होता यह है कि बजाय ३० दिन के ज्यादा समय ले लेते हैं, २,३ महीने तक का समय ले लेते हैं। तो बजाय इसके कि उन पर प्रेशर डालना पड़े हमने साढ़े १२ परसेंट इंटरेस्ट रखा है, बैंक रेट इससे कम है। तो इस इंटरेस्ट से बचने के लिये वे अपने आप समय के अन्दर दे देंगे। मैं समझता हूं इसमें कोई रजिस्टर वगैरह दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, इंसाफ की बात है अगर इन बातों की पूरी जानकारी हमको हो।

अब इस विधेयक में जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माफ करने की बात है उसकी मेरिट पर भी थोड़ा विचार होना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं और अगर मैं गलत कहूं तो मंत्री जी मेरी सेहत कर दें कि हमारा प्रदेश देश के और सूबों से बिजली पैदा करने में सबसे पिछड़ा हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना में भी हमने बड़ी कोशिश की, फिर भी हम सारे देश में बहुत बैकवर्ड हैं और शायद तीसरी योजना में भी सारे हिन्दुस्तान में पीछे रहेंगे। अब जब पीछे हैं तो हमें इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि पहले तो हम बिजली को पैदा करने की क्षमता पैदा करें। बिजली कैसे पैदा करें ? मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में काफी बिजली की पैदावार बढ़ी। लेकिन कैसे बढ़ी ? इस तरह से बढ़ी कि वहां सबसे पहले कूड की स्केरसिटी मानी गई। खूराक की कमी को वहां की सरकारों ने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया

[श्री गेंदासिंह]

के ऊपर असर डाला और ऐसा नहीं रहा कि विरोधी दल क कुछ कहें और सरकार कुछ और कहे। वहां की सरकारों ने इस पर बारबार केन्द्रीय सरकार को मजबूर किया और उसी के मुताबिक सारे रिकार्ड बने। जब सारे रिकार्ड अनाज के सम्बन्ध में बने तो बिजली पैदा करने के पहले सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात सोची गई। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की बात जब आती है तो आप से आप तीसरा लाभ इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है, वह पैदा होती है। इतनी बात जरूर है कि पिछले ५,७,१० वर्षों के भीतर प्रदेश की सरकार ने हमेशा इस बात को अपने धरहरे से कहना शुरू किया कि प्रदेश ऐसी हालत में है और अनाज की पैदावार हमने बढ़ायी है, न केवल अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, बल्कि पड़ोसी प्रान्तों की भी मदद कर सकते हैं। और यह कह कर प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि आज हाइडल प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। कई वर्षों के लिये रिहन्ड का काम रुका हुआ था। और जब इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि भाई अनाज की कमी है, प्रदेश में और खासतौर से पूर्वी प्रदेश में, जब यह चर्चा हुई आल इंडिया लेविल पर और इस सदन में भी, तो फिर रिहन्द के लिये कान खुले और रिहन्द के लिये यह सोचा गया कि रिहन्द से बिजली पैदा करते हैं तो हम उसके जरिये से ट्यूबवेल्स को और सिंचाई के साधनों को सस्ती बिजली दे सकेंगे, सस्ता पानी दे सकेंगे और इस प्रकार अनाज की उपज बढ़ायेंगे। यह बात उस समय सोची गयी जब कि रिहन्द का काम बन्द था।

हम तो, श्रीमन, बराबर इस बात की चर्चा करते रहे कि हम तो सम्पन्न हैं, हम तो दूसरों की मदद करने लायक हैं जबकि पश्चिमी बंगाल मदरास व आन्ध्र सब कह रहे थे कि हम अनाज के बिना मरे जा रहे हैं, हमारी मदद करो। प्लानिंग कमीशन को कोई कुत्ते ने तो काटा नहीं। एक तरफ मदरास, बम्बई, पश्चिमी बंगाल व आंध्र कह रहे हैं कि हम अनाज से मर रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कह रहा है कि हम मदद करने की स्थिति में हैं तो वह सिंचाई का प्रबन्ध वहां नहीं करेगा तो क्या यहां करेगा जहां कि सब लोग सर्व सम्पन्न हैं ? प्लानिंग कमीशन का ध्यान उन्हीं की तरफ गया, युद्धोत्तर योजना तैयार करने वालों का ध्यान भी उन्हीं की तरफ गया। वहां इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी, उसक साथ इंडस्ट्री भी बढ़ी। इसमें दो रायें नहीं हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इंडस्ट्री का भी भविष्य है। लेकिन हमको दो बातों में से एक को चुनना है। रोटी की व्यवस्था करें या कोई अन्य व्यवस्था करें। आज भी बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत पड़ती है। हां सन १९५४-५५ में हम सरप्लस हो गये थे वहां सन १९५४-५५ के बाद १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८ और १९५८-५९ में ऐसा नहीं हो सका कि हमारा काम अपने घर के अनाज से चल पाता। तो हमारे लिये कम से कम पहले यह जरूरी है कि हम लोगों को रोटी मुहइया कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत ही नम्रतापूर्वक समझाना चाहता हूं कि कभी भी किसी एग्रिकल्चरल देश में---पूरे देश को छोड़कर अगर उत्तर-प्रदेश की ही चर्चा की जाय जिसकी ८० प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। खेती से उसका ताल्लुक हो, जब तक उसकी माली हालत दुरुस्त न हो जाय, जब तक उसके पास इंडस्ट्री में पैदा हुए सामान को खरीदने की ताकत न हो तब तक काम नहीं चल सकता। लिहाजा हमारे लिये यह बुद्धिमानी की बात होती कि हम अपने अभावग्रस्त जिलों को, जहां कहीं भी अनाज अधिक से अधिक पैदा कर सकते थे, उनको सस्ती बिजली देकर पानी पहुंचाते।

मैं इंडस्ट्री का मुखालिफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्री बढ़े, लेकिन इंडस्ट्री कभी भी बढ़ नहीं सकती अगर एग्रिकल्चर में हम पीछे जाते हैं। लेकिन यह काम तो सरकार ने किया नहीं। अब क्यों किया सरकार ने ऐसा ? मैं किसी व्यक्ति की नीयत पर हमला नहीं करता। जो दोनों महानुभाव कांग्रेस बेंचेज पर इस समय बैठे हुए हैं उनकी तरफ मेरी पूरी सफाई है। मैं जानता हूं कि बिड़ला जी से गिरधारी लाल जी की या धर्मसिंह जी की दोस्ती नहीं हो सकती लेकिन इस सरकार की दोस्ती है, अपविज दोस्ती है। किस के खर्च पर यह दोस्ती है ? लाखों किसानों के खर्चे पर यह दोस्ती है, लाखों छोटे-छोटे उद्योग धंधे करने वालों के खर्चे पर यह दोस्ती है। जो छोटे उद्योग धंधे वाले लोग थे, जो कोल्हू व क्शर लगाये हुए

थे वे करते क्या थे? वह करते थे यह कि सरकार और ये बड़ी बड़ी मिलों वाले देते थे गन्ने की कीमत १ रुपया ५ आने मन और वह देते थे १ रुपया ९ आने, १ रुपया १० आने और १ रुपया १२ आने तक। किसान उनके यहां जा कर अपना गन्ना गिरा देता था और इतने दाम पा जाता था। नतीजा इसका यह हुआ कि इस सरकार ने एक हुक्म निकाला कि जितने लोग बिजली से कोल्हू या क्रशर चला रहे हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बगैर लाइसेंस के वे नहीं चला सकते। फीस तो उस लायसेंस की कम ही थी लेकिन यह एक रुकावट थी उनके रास्ते में और यह रुकावट इसलिये पैदा की गयी कि बड़े-बड़े मिल मालिकों ने कहा सरकार से कि ये क्रशर वाले हमारा गन्ना लिये जा रहे हैं इसलिये उनके रास्ते में रुकावट डालो। वह रुकावट डालना नहीं था बल्कि उनको मारना था, उनके लिये जो करोड़-करोड़ रुपया लगा कर फैक्ट्री खोले हुए हैं और जो हर साल करोड़ों रुपये का फायदा उठाते हैं। इसके पहल उनके ऊपर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं थी। तो जब लाइसेंस से भी तसल्ली नहीं हुई तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से उनके ऊपर ४ या ५ रुपये के हिसाब से ड्यूटी लगा दी गयी। उस वक्त यू० पी० सरकार ने भारत सरकार से कुछ नहीं कहा। यह सरकार बैठे-बैठे प्रसन्न हो रही थी कि हमारे यार लोगों का तो दिल्ली से काम बन रहा है, बिड़ला जी, नेवाटिया जी और इस तरह के जो ६८-७० परिवार हैं उनका इस प्रकार काम बना। अब कसूर उन छोटे-छोटे क्रशर वालों का क्या था? कसूर उनका यही था कि १ रुपया ५ आने के बजाय १ रुपया ९ आने मन गन्ना खरीदते थे। इस हाउस में जब कहा गया तो उधर से जवाब दिया गया कि वे तो बड़ा खराब काम करते हैं, सब गन्ना ले जाते हैं, उसमें से चीनी ज्यादा नहीं निकालते इसलिये लायसेंस लगाया है उनके ऊपर। अब इसको हम क्या कहें? हम तो समझते हैं कि जिस आदमी ने यह कहा उसको जरा शर्म आनी चाहिये थी।

अब श्रीमन, इसमें भी ऐसे लोगों की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होगी, जो गरीबों पर जुल्म करेंगे। सब से बड़ा फायदा इस सूबे में बिजली से उठाने वाले हैं बिड़ला जी। इस सरकार की यह पालिसी है कि जो सब से बड़ा हो वह सब स ज्यादा फायदा उठाय और जो बीच में हो सको कम फायदा हो और यह सब फायदा जो सब से ज्यादा गरीब हो उसके घर से जाना चाहिये। मैं तो जो कांग्रेस का आर्गन है एकोनामिक रेव्यू उसका पढ़ने वाला हूं। एकोनामिक मामले में वह जो बात कहता है वह ठीक ही मानी जानी चाहिये। बैकुंठनाथ मेहता ने कहा कि इस देश में जितनी नेशनल इंकम बढ़ी उसका ज्यादा हिस्सा चला गया इन बड़े लोगों के हाथ में। इतना हिस्सा चला गया, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर इसको निकाल दिया जाय तो जितना हम प्लान पीरियड में लेकर चले थे उसमें से जब लिया जायगा तब कहीं जाकर बड़े लोगों का पूरा पड़ेगा। यह कैफियत है और वही बात इस विधेयक में भी है।

एक बात यह कही गई कि पहले विधेयक में इंडस्ट्री का नाम लिख दिया गया था लेकिन अब आंख मूंदकर छूट दे रहे हैं। यह नई बात है और इसके लिये कहा यह जाता है कि माननीय सदस्यों ने आलोचना को छोड़ दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिये कौन-सी उपयोगी बात कह रही है? अगर वह इस संबंध में बताते तो हमारी समझ में आता। लेकिन हम से कहा जायगा कि यह एक छोटा-सा विधेयक है उसको पास करना है, इसके भीतर न जाओ। हो सकता है कि गवर्नमेंट की कम जानकारी में यह विधेयक गलत ड्राफ्ट हो गया हो। इसलिये यदि सिलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां पर विचार विनिमय होकर सोचा जायगा कि किस तरह से किया जाय।

श्रीमन, मैं एक बात और कह दूं और वह यह है कि गंगा ग्रिड में यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में एक किलोवाट बिजली इस्तेमाल करे तो उसको १५८ रुपया देना पड़ेगा और शारदा वाले को १८६ रुपया देना पड़ेगा लेकिन बिड़ला जी को अल्मूनियम क कारखाने के लिये केवल १५० रुपया ही देना पड़ेगा और पूर्वी प्रदश में ४०० रुपया देना पड़ेगा। लकिन

[श्री गेंदा सिंह]

बिड़ला जी को १५० रुपया ही देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार सफाई दे कि यह रियायत क्यों दी गई? मुख्य मंत्री जी ने रियायत की चर्चा की थी और कहा था कि यह कारखाना केरल या बम्बई में चला जाता, इसलिये हमने ऐसा किया। रोजगार कितने लोगों को मिलेगा और जो इससे हम नुक्सान उठा रहे हैं, इन दोनों की तुलना चौधरी साहब करें और सदन को बतायें कि हम अल्मूनियम का कारखाना लगाकर फायदे में हैं क्या? उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो ऐसा लगता है कि ४, ५ साल की जो रिहन्द से बिजली मिलने में देर की गई। इससे मालूम होता है कि पहले से कोई साजिश थी कि जब अल्मूनियम का कारखाना चले तब बिजली इससे अवेलेबिल हो क्योंकि अगर रिहन्द की बिजली अवेलेबिल हो गयी ४ वर्ष पहले तो उसका नतीजा यह होगा कि वह नेशनल ट्रबवेल को जायगी, किसानों के काम में वह आ जायगी। ४, ५ वर्ष पहले अल्मूनियम के कारखाने की बात नहीं थी। तो हमें यह संदेह पैदा होता है कि बिड़ला से आखिर इतनी क्यों दोस्ती? बिड़ला से सरकार दोस्ती रखे उसको हम रोक नहीं सकते लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं . . . .

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---सदन में कोरम नहीं है। और यह चौथी बार है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन, आपने ही यह कहा था कि अगर तीन बार कोरम नहीं होगा तो स्थगित कर देंगे। यह चौथी बार हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सरकारी पक्ष से जरूर कहूंगा कि बार-बार कोरम न रहना यह ठीक नहीं है। उनको सावधान रहना चाहिये।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह---श्रीमन, ऐसे बिलों पर नहीं आयेंगे। इसको तो समझते हैं कि मामूली बिल है, इसमें क्या है? किसी ने कह दिया होगा कि मामूली बिल है, ६०-७० लाख का मामला है।

एक सदस्य---उधर के लोग भी भागे हुये हैं।

श्री गेंदासिंह---लेकिन अब हम आपको बिठायेंगे। कहीं ऐसा न हो कि इस बिल में हार जायं यह भी ध्यान में रखियेगा। अगर हम ठीक से समझा पाये तो हम समझते हैं कि अब की बार हारियेगा इसमें। मैं यह कह रहा था कि कुछ एसी साजिश थी कि ऐसे वक्त पर बिजली अवेलेबिल हो जिस वक्त पर बिड़ला जी भी अवेलेबिल हों। फिर केरल, मध्य प्रदेश और बम्बई का झगड़ा मालूम होता है कि सब लोग पालकी लिये बिड़ला जी के सामने खड़े थे कि हमारी पालकी में बैठ जाओ। मुझे खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री जी की पालकी में बिड़ला जी बैठ गये। उन्होंने मोह लिया और बिड़ला जी लुभा गये और चले गये। हमको बिड़ला जी से गलतफहमी नहीं है। जहां कहीं भी चीनी के कारखाने में बिड़ला जी हैं वहां दूसरे कारखानों में जो तौर तरीके हैं उनको नहीं बरता जाता। वह तो बिड़ला जी का कारखाना है। वहां कानून कैसा? मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि बिजनौर में सिवहारा को देख लें।

श्री उपाध्यक्ष---यह विषयान्तर हो रहा है। बिड़ला जी का वादविवाद में कोई ज्यादा हिस्सा नहीं है।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति से ताल्लुक रखता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने शुरू में नहीं रोका। अब ज्यादा हो रहा है।

श्री गेंदासिंह--मैं भी बिड़ला जी का नाम लेने से घबड़ाता हूं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिल धनिकों की मदद करने वाला है। जिस वक्त यह प्रश्न आये कि हम किस को प्रायरिटी दें तो हम बिड़ला को प्रायरिटी नहीं दे सकते। हम उस काम को प्रायारिटी देंगे जिससे लोगों को रोटी मिल सके, लोग कम से कम एक झोपड़ी बना सकें। अगर सरकार यह चेष्टा करती कि हमको भी बिजली देती और उनको भी देती, तो यह जो गवर्नमेंट इस वक्त है यह उसके बस की बात नहीं है। जो कुछ हमारे पास इस वक्त है वह उसको लुटाने के लिये फय्याज हैं लेकिन जांफिशानी नहीं कर सकती। फय्याजी तो कर सकती है लेकिन जांफिसानीं नहीं कर सकती। अगर जांफिसानी करके कुछ पैदा करती तो फिर उसको फय्याजी करने का हक था। यह जनता का धन है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब हमको मिलना चाहिये कि आखिर जो यह कारखानों को और दूसरी चीजों को प्रोत्साहन देते चले जा रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, प्रोत्साहन दें कारखानों को लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो हम उपेक्षा करते चले जा रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला है ?

श्री धर्मसिंह---एग्रीकल्चर पर तो पहले ही से ड्यूटी माफ है। वेल्स इत्यादि पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पहले ही से माफ है।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक हिसाब बताया वह हिसाब ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी के और जो चार्जेज हैं उनको सबको समझकर के बताया है और मेहरबानी करके, फिर उसको सुन लें। गंगा ग्रिड में जो ट्यूबवेल के लिये पर किलोवाट पर इयर देना पड़ता है वह बता दें, शारदा ग्रिड में पर किलोवाट और पर इयर जो रकम देनी पड़ती है वह बता दें और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में पर किलोवाट पर इयर कितनी रकम देनी पड़ती है, वह मेहरबानी करके बता दें और फिर बता दें कि बिड़ला साहब को जो देने जा रहे हैं वह क्या भाव पड़ेगी। यह चारों चीजें बता दें और फिर हमसे न पूछें क्योंकि हमको तो कोई कागज पत्र दिया ही नहीं है, अगर दिये होते तो हम उसे पढ़कर आते और सदन का इससे कम समय लेकर बता देते। लेकिन आप अब मेहरबानी करके यह बात जरूर बता दें।

अन्त में मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मैं बार-बार कई बार नीयत का सवाल उठाता हूं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक जो है इससे मुझे जरूर संदेह होता है कि इसमें बड़े लोगों की मदद करने के लिये यह काम किया गया है। हो सकता है कि हमारा खयाल गलत हो। हम हमेशा अपने को ओपेन टु करेक्शन रखते हैं। और क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है। आर्डिनेंन्स पर इस वक्त काम हो रहा है और वह ६ सप्ताह जो है वह अभी बीतने नहीं जा रहा है। १५ दिन के लिये हमारा प्रस्ताव है। १५ दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाय। सदन उठने नहीं जा रहा है। सदन बैठेगा। तो हम १०-२० आदमी बैठकर के इस पर विचार कर लें और मैं यह भी कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि अब की मर्त्तबे इस विधेयक पर जब सेलेक्ट कमेटी बैठे तो जो हमारे रूल्स में बराबर यह बात कही जाती रही है, आप उसके अध्यक्ष हो जायं क्योंकि सेलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष होना चाहिये उपाध्यक्ष को। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। कोई बड़े से बड़े मंत्री हों लेकिन वह उसके अध्यक्ष की कुर्सी नहीं ले सकते। सेलेक्ट कमेटी की कुर्सी उपाध्यक्ष के लिये है। सेलेक्ट कमेटी में हम बैठें और बैठकर शांतिपूर्वक वहां विचार करें, सारी चीजों को वहां हम समझें। डिपार्टमेंट के लोग भी आयेंगे। उनसे भी समझने बूझने का मौका मिलेगा। सारी बातों को समझने बूझने के बाद हो सकता है कि हम अपनी राय बदल दें। अगर हम यह समझेंगे कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट्स और करोड़पतियों की मदद करने के लिये यह कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इस नीयत से की गई है कि इससे सूबे का लाभ हो तो हम अपनी राय बदल सकते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई पहाड़ गिरने वाला है अगर यह बिल चला गया प्रवर समिति को। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक रोज इलेक्ट्रिसिटी की बात को लेकर

[श्री गेंदासिंह]

माननीय मुख्य मंत्री को इस सदन का आधा घंटा पौन घंटा वक्त लेना पड़ा। बड़े चार्जेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ और मैं जानता हूं कि जो आगे आने वाला जमाना है उसमें भी बड़े से बड़े चार्जेज लगेंगे। चौधरी चरणसिंह ने जिस वक्त इस्तीफा दिया था उस वक्त और बातें तो अखबारों में नहीं आयीं लेकिन इसकी चर्चा हुई और अखबारों ने छापा इसको। ब्लिट्ज ही नहीं सारे अखबारों ने छापा कि जो बिड़ला जी को इलेक्ट्रिसिटी दी गई यह काम इस स्टेट के हित में नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल से बिजली के सारे मामलों का संबंध है। इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां इसको भेज कर इस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लिया जाय ताकि यह जो गलतफहमी है, वह दूर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सामने ४ संशोधन थे जिनमें से पहले और तीसरे को रखे जाने की इजाजत मैंने दी है। अब जो बाकी दो हैं उनका इनमें ही समावेश हो जाता है।

श्री राजनारायण---मेरी परेशानी यह है कि आज यह विधेयक इस सदन के कार्यक्रम में कैसे लाया गया, क्योंकि अभी हम सब विरोधी दल के लोग बैठे हुए थे तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के व्हिप विष्ट जी पहुंचे थे। वहां पर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने और सब लोगों ने यह कहा कि आज दिन भर कोर्ट फीस चलायी जाय और वहां ये यही कहकर आये कि चलाया जायगा। फिर हमको यहां आने पर मालूम हुआ कि २ १/२ बजे उसको खत्म कर दिया गया। इन्होंने यह कहा कि २ १/२ बजे तक के लिये तय है। तो अभी प्रतापसिंह जी ने माननीय त्रिलोकीसिंह जी को लिखकर भेजा था और उनसे पूछा था कि क्या २ १/२ बजे तक तय हुआ था तो माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने लिखा है कि "जी नहीं, तय यह हुआ था कि दिन भर कोर्ट फीस चलेगा" तो अब यह हमेशा के लिये तय हो जाना चाहिये कि आखिर यह क्यों ? यदि कार्य परामर्श दात्री समिति है तो वह क्यों है और क्यों वहां हम अपने प्रतिनिधि को भेजें। इनका यहां पर बहुमत है, जिस बिल को जितना चाहें उतना चलायें और जिसको न चाहें न चलायें। तो यह साफ हो जाना चाहिये कि यहां पर इस प्रकार से असत्य भाषण क्यों किया जाता है?

***श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजनारायण जी ने कहा---मैं अभी वहां गया था और उनसे बातें हुईं और यह चर्चा हुई कि आज दिन भर इसको चलायें। उसके बाद मैं यहां पर आया और मैं चाहता था कि वह दिन भर चले। लेकिन आपने भी देखा कि कोई भी सदन में बोलने वाला नहीं था। मैंने कोई क्लोजर मूव नहीं किया। जब कोई बोलने वाला नहीं था तो उस बिल को अचानक वहीं खत्म हो जाना था। ऐसी हालत में वह कैसे दिन भर चलाया जाता?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---उपाध्यक्ष महोदय, जब कोर्ट फीस विधेयक यहां पर चल रहा था तो अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त यहां पर आसीन थे तो यहां पर उनसे यह व्यवस्था मांगी तो बताया गया कि नेता विरोधीदल से आपकी बात हुई है कि २ १/२ बजे तक यह कोर्ट फीस चलना चाहिये इसलिये समय निर्धारित हो जाना चाहिये। हमने कहा कि इसपर समय निर्धारण नहीं होना चाहिये, इसलिये उसके अनुसार सारे सदस्यों ने यह सोचा कि लीडर आफ अपोजीशन की ऐसी राय है तो ज्यादा लम्बी स्पीचें न हों और हम सब लोगों ने वहीं तक कन्फाइन रखा। इस पर मैंने नेता विरोधी दल को लिखा कि आपकी इस संबंध में क्या बात हुई थी। मैंने लिखा कि "आप कृपाकर बतायें कि क्या आपने २ १/२ घंटे में कोर्ट फीस को समाप्त करने को कहा है"। उन्होंने लिखा "जी नहीं, अंतिम बात यह हुई थी कि वह दिन भर चले"। तो हमको यह गलत खबर दी गई। इसलिये अधिष्ठाता महोदय का जो निर्णय था उसको रखने के लिये २ १/२ बजे तक इसको पूरा किया। यही सूचना यहां पर दी गई थी और हम उसी पर जमे रहे।

श्री उग्रसेन---जब यहां पर अधिष्ठाता बेचनराम जी गुप्त विद्यमान थे उस समय माननीय विष्ट जी ने यह कहा कि नेता विरोधी दल से तय हो गया है कि यह बिल २ १/२ बजे तक चलेगा। मैंने बार-बार कहा कि यह टाइम लिमिट न रखें, इसको चलने दिया जाय। जल्दी खत्म हो जायगा। इसको देख लिया जाय। नरेन्द्रसिंह जी विष्ट बराबर यहां पर कहते हैं कि नेता विरोधी दल से तय हो गया है। मैं भी बिजनेस कमेटी में हूं। कभी नहीं पूछा जाता। जब हाईकोर्ट में रिट आता है तो हमसे कहा जाता है कि उसको २ घंटे में पास करो। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---इसमें गर्म होने की कोई बात नहीं है।

जो मैंने पहले कहा था कि विरोधी दल के नेता से यह तय हुआ है कि २ १/२ बजे तक यह समाप्त हो जाय और ५ बजे तक इलेक्ट्रिसिटी बिल, यह आज का नहीं कल का निर्णय था। आज यहां जो लम्ब-चौड़ भाषण हुए, खासतौर से प्रतापसिंह जी और गेंदासिंह जी के तो उनसे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि शायद त्रिलोकीसिंह जी ने उनसे कहा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रतापसिंह जी का भाषण तो मेरे सामने हुआ था, वह लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं था।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---जब मैंने देखा कि उन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी और त्रिलोकीसिंह जी की क्या बात हुई तो उसकी सफाई करने के लिये मैं त्रिलोकीसिंह जी के पास उनके कमरे में गया और मैंने कहा कि कल यह तय हुआ था कि २ १/२ तक यह समाप्त हो जायगा और ५ बजे तक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जायगा। लेकिन सदन में मालूम होता है कि आपकी पार्टी के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो आप उनको यह बात सूचित कर दें कि हममें और आप में क्या बात हुई थी। वहीं पर मौके से अन्य नेता और माननीय राजनारायण जी भी आ गये और आपस में लड़ने लगे कि आपने यह कैसे तय कर दिया? उस झमेले से हट कर मैं यहा आ गया और सदन में जब आया तो यहां देखा कि कोई भाषण देने वाला ही नहीं था। मैंने कोई क्लोजर भी उसके लिये मूव नहीं किया।

श्री राजनारायण---मैं पुनः बहुत ही अदब के साथ और साथ ही साथ बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि सदन में असत्य भाषण हो रहे हैं। यह सही है कि विष्ट जी .....

(व्यवधान)

मैं यह चाहूंगा और आप से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही थोड़े समय के लिये स्थगित कर दी जाय और त्रिलोकी सिंह जी को बुलाया जाय। उनके सामने पहले सफाई के साथ यह बात तय हो जाय कि यह तय हुआ था कि नहीं कि यह आज दिन भर चलेगा। त्रिलोकीसिंह जी ने हम से बात-चीत की कि आप राजी हैं? मैंने कहा कि इसे हम को पढ़ तो लेने दीजिये। हो सकता है कि हम आगे भी चलाना चाहें, लेकिन दिन भर से कम समय इस के लिये नहीं होना चाहिये। यह बात समझ कर वह आये। यह बड़े बने हैं---हम लड़ने लगे, ऐसी अनर्गल और असत्य बात कहना ठीक नहीं है। क्या किसी स्टेज पर विष्ट जी ने सदन को यह सूचित किया कि आज दिन भर इस बिल को चलाने का निश्चय वहां हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये।

श्री गेंदासिंह---मैं एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, लेना चाहता हूं। मेरे ही भाषण के समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। उस समय आप नहीं थे। तो मैं इसकी याद लोगों को दिलाना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि विष्ट जी को शायद याद नहीं पड़ रहा है, उन्होंने यही

[श्री गेंदासिंह]

कहा कि नेता विरोधी दल से यह बात तय हो गयी है कि २ १/२ बजे तक यह विधेयक चलेगा और ५ बजे तक इलेक्ट्रिसिटी वाला पास हो जायगा। अब उसको जानने के बाद मेरे लिये मजबूरी थी कि मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करता। लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। उसी वक्त, मेरे भाषण के बाद अधिष्ठाता जी ने यह नियम कर दिया कि १० मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। तो मैं विष्ट जी से यह कहना चाहता हूं कि यदि यह १० मिनट की पाबन्दी न लग गयी होती तो शायद उनको वक्ता मिलते। वह समय एक दो बजे के बीच का था, आमतौर से लोगों ने जल्दी में अपनी बात कह दी। उसके बाद मैंने भी त्रिलोकीसिंह जी का पत्र देखा। लेकिन अब वह बात तो खत्म हो गयी। अब आप कोई रास्ता निकालें कि जो यह समझ कर चले गये थे कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल पर २० तारीख को बहस होने वाली है उनके साथ अन्याय न हो सके। इस बात को ध्यान में रख कर आप अपनी कोई व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—मेरी कठिनाई यह है कि सारी बातें अनौपचारिक ढंग से हुई हैं जिनका मैं कतई कोई नोटिस नहीं ले सकता। सही तरीका यह है कि अगर समय का निर्धारण हो जाय तो कार्य परामर्श समिति के द्वारा सुझाव आये और सदन में उसके अनुसार प्रस्ताव हो जाय। इसलिये मैं दोनों पक्षों से इतना ही निवेदन करूंगा कि भविष्य में सावधानी से बातचीत हो और उसी हिसाब से कार्यवाही की जाय।

श्री प्रतापसिंह—विष्ट जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि पहले ढाई बजे तक चलने की बात तय हुई और फिर सारे दिन के लिये। तो मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आदरणीय सदन के सदस्यों को इस बात की कोई सूचना नहीं दी और ढाई बजे तक ही की बात रह गयी। मैंने फिर कहा कि अगर पहले पाबन्दी थी.....

श्री उपाध्यक्ष—वह तो कोई पाबन्दी नहीं होती जब तक इस पर फैसला न कर लिया गया होता।

श्री राजनारायण—अगर आप सूचना दे दिये होते तो माननीय अधिष्ठाता महोदय की पाबन्दी खत्म हो गयी होती।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मुझे यह कहना है कि विष्ट जी का यह कहना कि कोई बोलने वाला नहीं रह गया था इसलिये यह खत्म हो गया तो ऐडवाइजरी कमेटी में यह साफ हो जाना चाहिये था कि उसके सामने आप प्रोग्राम को ले आना नहीं चाहते हैं। एक आदमी से बात करके तय कर लेते हैं और जब अपोजीशन वालों ने कहा कि यह ठीक नहीं है और लोग बोलने के इच्छुक थे, मैं स्वयं बोलना चाहता था तो इसको दिन भर चलाना चाहिये था। राजनारायण जी बोलने वाले थे, हम बोलने वाले थे इसलिये हमने जल्दी से मीटिंग को खत्म किया और साढ़े पांच बजे तक हम बैठेंगे, हमें इसमें हिस्सा लेना है इस भावना को लेकर सदन में हम आये। लेकिन एक बात एक रोज तय होती है फिर वह खत्म हो जाती है। खैर, यह बात दूसरी है कि एक बिल पास करा लिया, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पर तैयार नहीं थे, हम समझते थे कि २० तारीख को इस पर बोलना होगा। तो इस प्रकार टैक्टिक्स से पास करा लेना, यह सरकार को शोभा दे सकता है। फार्मली चीज आपके पास नहीं आती है तो इस तरह की बात करना और तय करने पर भी खिलाफ कार्यवाही करना, मैं इसके खिलाफ स्ट्रांग प्रोटेस्ट लाज कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को स्थगित कर दें, इस पर २० को बहस चले और विष्ट जी का जो रवैया था उसके विरोध में हम सदन का त्याग कर रहे हैं, हम यहां बैठना नहीं चाहते।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---पहले बैठिये तो। एक ही सांस में न कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव- अब तो हमने कह दिया कि हम सदन का त्याग कर रहे हैं, लेकिन आपसे यह दरख्वास्त करता हूं कि दूसरा जो बिल है उस पर हमको बोलने का अवसर मिलना चाहिये, उसे आज न लिया जाय।

श्री राजनारायण---अगर आपकी बात मान ली जाय और यह स्थगित किया जाय तो वाक-आउट आप कहे को करेंगे? आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रजीत यादव---बिल के ऊपर अगर आज बहस एलाउ नहीं करेंगे तब तो हम बैठेंगे।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---वहां पर जब बात हो रही थी तो मैं भी उपस्थित था। मैंने विष्ट जी से कहा कि आखिर विशेष समिति बुलाई क्यों नहीं गयी तो उत्तर मिला कि उस समय बिल ही तैयार नहीं था। तो मैंने कहा कि अगर एक बिल हो तो उसके लिये भी हमको बुलाना चाहिये, यह तो कोई बात नहीं हुई। आपकी आपस में बात-चीत की हमको जानकारी भी न हो। तो जब पहले ५ बजे तक बहस जारी रहेगी यह तय हुआ था तो यह बीच ही में खत्म हो गया यह घटना ऐसी हुई कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे होगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं जानना चाहता हूं विष्ट जी से कि इस सुझाव पर उन्हें क्या आपत्ति है कि इस समय कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और २० को माननीय सदस्य इस पर बहस करें?

***श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**---मुझे आपत्ति यही है कि मैंने जैसा अर्ज किया, वह सही बात है कि त्रिलोकीसिंह जी और मेरे बीच में बात-चीत हुई थी। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी जानकारी आपको न हो। मैंने समझा था कि विरोधी दल के नेता ने आप सब से बात-चीत कर ली होगी। गेंदा सिंह जी जब बोल रहे थे तो मैंने वही बात कही थी, उसमें कोई असत्य नहीं है। राजनारायण जी जैसा कहते हैं कि असत्य कहा तो अच्छा होता अगर उस शब्द को वे वापस ले लेते, अगर नहीं लेते तो मैं उस पर कुछ जोर नहीं देता। आपने, हर एक ने कहा कि वहां बात हुई।

यह सही बात है कि जब लम्बे भाषण होने लगे और ढाई बजे खत्म होने की सम्भावना नहीं थी तो वहां गया और उसका मैंने जिक्र कर दिया। इसमें राजनारायण जी जो चाहते थे उसको मैं हाउस के सामने नहीं कहना चाहता क्योंकि वहां पर गरम बातें हो रही थीं और उसका जिक्र करने से फायदा भी नहीं है। वह यह जरूर चाहते थे कि वह आज दिन भर चले। लेकिन जब मैं यहां आया तो देखा कि लोग बोलने वाले नहीं थे, और श्रीमन्, मैंने कोई क्लोजर भी नहीं मूव किया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अधिष्ठाता महोदय से यह कहा कि नहीं कि हम लोगों का तय हो गया है कि यह ढाई बजे तक समाप्त हो जायगा।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---पहले तय हो गया था वही कहा। यह तो पहले की बात है। आज जब गेंदासिंह जी बोल रहे थे तब यह तय हुआ और सही बात मैंने कही।

श्री उपाध्यक्ष---मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है इसलिये आपको इस में क्या आपत्ति है कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय और २० तारीख को इसे ले लिया जाय?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गिरधारीलाल---उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई इतना लम्बा-चौड़ा बिल नहीं है जिसके लिये अगले दिन फिर सदन का समय जाया किया जाय। अभी डेढ़ घंटे का समय बाकी है, इसमें इसको खत्म कर दिया जाय।

श्री राजनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय विष्ट जी और दूसरे सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को स्पष्टवादी होना चाहिये। माननीय विष्ट जी ने जो इस सदन में यह कहा कि केवल राजनारायण चाहते थे कि वह आज दिन भर चले, यह बात सही नहीं है। मैं तो चाहता था कि आज ही नहीं चले बल्कि सदन के सम्मानित सदस्यों के बोलने पर अंकुश ही न लगे और अगर यह दूसरे दिन भी चल सके तो अवश्य चले। मगर हमारी इच्छा के विपरीत माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे लोगों ने कहा कि आज दिन भर ही यह चले। तो माननीय विष्ट जी अपनी इस बात का सुधार कर लें।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि जब वहां से नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं की बात सुनकर माननीय विष्ट जी इस सदन में आये और उन्होंने ढाई बजे के पहले इस सदन में प्रवेश किया था तो क्या माननीय अधिष्ठाता महोदय को यह सूचित किया गया कि आप इसकी सीमा ढाई बजे तक ही न रखें बल्कि इसकी सीमा दिन भर तक चले ताकि अधिष्ठाता महोदय नयी रोशनी में अपने १० मिनट के प्रतिबन्ध को हटा देते ? मूल प्रश्न यहां पर यह आता है। तो क्या मैं आपके जरिये यह कहूं कि माननीय विष्ट जी ने इस सदन को सत्य से अवगत नहीं कराया, क्या उनका ऐसा करना उनकी अनाधिकार चेष्टा नहीं है ? और क्या इस प्रकार सदन में सत्य बात को प्रकट न करना सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---भविष्य में ऐसी बात नहीं होगी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह सदन का विशेषाधिकार का प्रश्न बन गया है। जब माननीय नेता विरोधी दल के सामने बात हो और उससे अधिष्ठाता महोदय को अवगत नहीं कराया गया और पुरानी सूचना के आधार पर चलने दिया गया, यह सदन का अपमान है और सदन में सत्य को छुपाना है।

श्री उपाध्यक्ष---आप लिखकर दीजिये अगर आप ऐसा प्रश्न उठाना चाहते हों।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे मंत्री जी से एक बात और निवेदन करनी है कि कौन समय बर्बाद करता है, इस बात को सभी जानते हैं। तो श्रीमन्, आपके द्वारा मुझे मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि हमको आश्वासन मिला था कि आज दिन भर कोर्ट फीस विधेयक चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी विधेयक २० तारीख को आयेगा। तो वह आश्वासन टूटा। तो ऐसी स्थिति में माननीय गिरधारीलाल जी यहां पर ऐसी स्थिति न पैदा करें कि झख मार कर के आज ही इस बिल को पास ही करायें। इसलिये मैं चाहता हूं, जैसा कि आपने भी कहा कि आज सदन स्थगित किया जाय और आधे घंटे की डिबेट जो ५ बजे के बाद आने वाली थी उसको अभी ले लिया जाय। अगर मंत्री जी नहीं मानेंगे और चाहेंगे कि एक ही मिनट में इसको पास करा लें तो वह दूसरी बात है लेकिन असत्य बात को यहां चालू करने के बाद उनको हमारा सहयोग नहीं मिल सकेगा।

श्री गेंदासिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक दूसरी बात ही कहना चाहता हूं। चौधरी साहब ने कहा कि छोटा-सा बिल है और थोड़े से समय में पास हो सकता है। लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यदि हमको यह आश्वासन मिले कि इस विधेयक पर क्लोजर मूव न होगा आज और समय की पाबंदी न लगायी जायगी तो यह एक रास्ता निकल आयेगा और हाउस का काम चलता रहेगा। इसमें मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री गिरधारीलाल---मैं इसके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कल सैयद अलीजहीर साहब से मुझे यह सूचना मिली थी कि पूरा दिन दोनों बिलों के लिये बांटा गया है। यानी दोनों को ढाई-ढाई घंटे मिलेंगे। उसी आश्वासन के मुताबिक मैं समझता हूं कि हमें इसे खत्म करना चाहिये। काम तो माननीय राजनारायण जी और आपके पास बहुत ज्यादा है, वह हम आगे के समय में कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसी परिस्थिति में जो बातें यहां हुईं उन पर विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विरोधी दल को ठीक-ठीक सूचना नहीं दी गयी और इस तरह से उनका अधिकार नहीं छीनना चाहिये कि अच्छी तरह से अध्ययन कर के वे वाद विवाद में भाग ले सकें। इसलिये अब कोई कार्यवाही आज नहीं होगी और जो बाकी कार्यवाही इस बिल के बारे में है वह २० तारीख को होगी।

३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न ११७ से सम्बन्धित विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी के प्रश्न के सम्बन्ध में आध घंटे तक वादविवाद होगा। वह इस प्रकार है--

> "एलोपैथी चिकित्सालयों में डाक्टरों की नियुक्ति न होने से सम्बन्धित कुंवर श्रीपालसिंह के ३१ जुलाई, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ पर श्री त्रिलोकी-सिंह द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद।"

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर मैं आपका बड़ा अनुग्रहीत हूं कि इस प्रश्न को उठाने की इजाजत माननीय अध्यक्ष ने मुझे दी....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय त्रिलोकीसिंह जी के प्रश्न को उठाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि मैं देखता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री अभी नहीं आ पाये हैं। अगर ऐसा हो तो इसको भी स्थगित कर दिया जाय।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मंत्री जी भी नहीं आ पाये हैं और डिप्टी मिनिस्टर महोदय भी तैयार नहीं हैं, इसलिये अगर इसको स्थगित कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति न होगी। अगर कोई मजबूरी हो तो रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, इसको भी २० तारीख को बाद में लिया जायगा।

अब हम उठते हैं और २० तारीख को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३८ मिनट पर वृहस्पतिवार, २० अगस्त, १९५९ के ११ ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१३ अगस्त, १९५९ ई०

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या १७ से सम्बन्धित सूचना—

नाम तहसील				सन् १९५८–५९ में तकावी दी गई कुओं की संख्या जिनके लिये	१९५८–५९ में अनुदान दिया गया कुओं की संख्या जिन पर
झांसी	..	..	..	६	२
मोठ	..	..	..	६	९
मऊरानीपुर	..	..	..	१०	—
गरोठा	..	..	..	४	—
ललितपुर	..	..	..	१६	३
महरौनी ..	..	..	..	५	—
			योग ..	४७	१४

झांसी जिले के लिये १९५९–६० में कुंए बनाने के लिये ५०,००० रुपये की तकावी की स्वीकृति दी गई है। तहसीलों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर तकावी की मंजूरी दी जायगी।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११८ एल० ए०—१९५९—८४५।